राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या : 16

बुधवार

20 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीमती बसन्ती देवी।

उदयपुर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को वितरित राशन सामग्री

368. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य एवं राशन सामग्री का वितरण नहीं हो रहा है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति एवं परिवार हैं जिन्हें कब से उक्त सामग्री वितरित नहीं की जा रही है? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री एवं सभी तरह के लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी नहीं। उदयपुर जिले के 1,82,024 बी.पी.एल. परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत खाद्य सामग्री एवं राशन सामग्री का प्रति माह वितरण किया जा रहा है।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार है।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति सराड़ा में 23,117 बी.पी.एल. परिवार 2010 में राशन की खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, 2010-11 में 9,913 बी.पी.एल. परिवार और बढ़े हैं परन्तु इनको राशन की खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। क्यों?

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय जी, 1997 में कुल बी.पी.एल. चयनित थे और 2002 में ए.पी.एल. में आने चाहिए थे, वे नहीं आये हैं। ए.पी.एल. में, न

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

ही बी.पी.एल. में माने गये। इस तरह के सलूम्बर में कुल कितने परिवार हैं जो ना तो ए.पी.एल. में माने गये हैं, ना बी.पी.एल. में माने गये हैं?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पूछा कि राशन सामग्री नहीं मिल रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि हमने एक वर्ष पहले से, दिसम्बर, 2011 से प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को, प्रत्येक स्टेट बी.पी.एल. को, प्रत्येक अन्त्योदय अन्नपूर्णा परिवार को कूपन उपलब्ध कराये हैं और उन कूपन के माध्यम से अपनी, जो भी उसकी सामग्री है, उसको बी.पी.एल. का गेहूं, वगैरह मिलता है, चीनी उसको मिलती है। अगर किसी बी.पी.एल. को नहीं मिली हो, मान लो, उसने एक महीने, दो महीने तक नहीं लिया हो, उसको भी हमने आदेश कर दिये हैं; छह महीने बाद भी अगर वह परिवार अपने कूपन लेकर आता है तो उसको हम एग्जाई भी छह महीने का एक साथ दे देंगे। जो हमारा राशन डीलर है, उसको उतना ही गेहूं हम देंगे जितने कूपन का उसने वितरण किया है। इस तरह की व्यवस्था हमने की है। तो इसके बाद, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी परिवार को गेहूं के सम्बन्ध में, चीनी के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है कि जो सरकार का लक्ष्य है, बी.पी.एल. परिवार तक यह सामग्री पहुंचनी चाहिए।

आपने कहा, कितने परिवार हैं, बी.पी.एल., ए.पी.एल., माननीय सदस्या, ए.पी.एल. तो सारे ही होते हैं, बाकी आपके सलूम्बर में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 16,560, स्टेट बी.पी.एल. की संख्या 10,958, अन्त्योदय परिवारों की संख्या 9,093 है। इन सबको नियमित रूप से खाद्य सामग्री का हम वितरण करवा रहे हैं।

प्रश्न संख्या-369

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी। (अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री सुखराम।

धौलपुर जिले में अवैध खनन रोकने हेतु कार्य योजना

370. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में खान आबंटन हेतु नियम व मानदण्ड

(श्री सुखराम)
निर्धारित हैं? यदि हां, तो उक्त मानदण्डों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) धौलपुर जिले में वर्तमान में कहां-कहां पर, किस क्षेत्र में, किस-किस को खनिज पट्टे कब-कब आबंटित किये गये? मय आबंटित नाम, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) धौलपुर जिले में गत तीन वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनकर्ताओं को खनन पट्टे आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो खनन को रोकने के लिए गत चार वर्षों में सरकार द्वारा कब-कब कार्यवाही कर अवैध खनन को रोका गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। प्रदेश में आबंटन हेतु प्रधान खनिजों के लिए एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 व एम.सी.आर., 1960 नियम बने हुए हैं तथा अप्रधान खनिजों के लिए एम.एम.सी.आर., 1986, मार्बल पालिसी 2002, ग्रेनाइट पालिसी 2002, राजस्थान खनिज नीति 2011, मार्बल डवलपमेंट एण्ड कन्जर्वेशन नियम 2002 एवं ग्रेनाइट कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट नियम 1999 बने हुए हैं जिनकी प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट 1 से 8 पर उपलब्ध हैं।

(2) धौलपुर जिले में प्रभावशील खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट-9 पर उपलब्ध है।

(3) धौलपुर जिले में गत तीन वर्षों में 229 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा 19 खनन पट्टे स्वीकृत हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 10 अ, ब, स पर एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-11 पर उपलब्ध है।

(4) धौलपुर जिले में समय-समय पर निरीक्षण कर तथा अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर अवैध खनन बंद करवाया गया है। इसके अलावा, अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई। अवैध खनन की रोकथाम हेतु गत चार वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-12 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, धौलपुर जिले में आपने एरिया

(श्री सुखराम)

बना रखे हैं, ये विविध नामों से खनन क्षेत्र में हैं, तो पहला तो प्रश्न यह है कि ऐसे कितने खनन पट्टे हैं, जो फर्मों को दिये गये हैं? एक ही फर्म के नाम से हम नियमानुसार कितने पट्टे जारी कर सकते हैं? एक आवेदक और एक फर्म के नाम से हम कितने पट्टे जारी कर सकते हैं?

दूसरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग धौलपुर के रहने वाले नहीं हैं, क्या ऐसा नियम है कि जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, जहां खनन पट्टे हम देते हैं, तो उससे जो रायल्टी आती है उस रायल्टी में से नियमानुसार उस ग्राम पंचायत को, तहसील को और जिले को कितने परसेंट आप विकास कार्यों के लिए रायल्टी प्रदान करते हैं? उसमें से कितना प्रतिशत है?

दूसरा, विशेषकर के जो पूरा खदान क्षेत्र बसेड़ी विधान सभा में आता है, विगत तीन वर्षों में कितनी राशि रायल्टी के माध्यम से वसूली गयी? यह बताएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पट्टे तक हम एक व्यक्ति को एक नाम से दे सकते हैं।

जहां तक तीन वर्ष में और जो लीज सैंक्शन का मामला है, यह आपने कोई एरिया विशेष के नहीं पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह का है, एक तो वह खनिज हैं जो हमारी ...

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं सिर्फ पत्थर खनन की बात कर रहा हूं। मेरा जो क्षेत्र है, उसमें कोई दूसरी तरह का नहीं, सिर्फ पत्थर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्थर के खनन की बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पत्थर खनन ही होता है, अध्यक्ष महोदय, एक तो मैसनरी स्टोन का होता है और एक सैण्ड स्टोन का होता है। कुल 17 खनन पट्टे स्वीकृत हुए हैं।

इसमें दूसरा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वे पट्टे हुए जो हमारी जो नयी पालिसी आयी 2011 की, उससे पूर्व के हैं और बाकी वे पट्टे हैं जो हमारी पालिसी के बाद के हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा यह पूछ रहा था कि जो रायल्टी वसूल करते हैं, उसमें से क्या आप ग्राम पंचायत को, सम्बन्धित, जहां खनन कर रहे हैं, सरकार उससे रायल्टी वसूल कर रही है, तो उस पैसे का कितना प्रतिशत उस ग्राम पंचायत या तहसील के विकास कार्यों

(श्री सुखराम)

के उपयोग के लिए आप देते हैं? आप मुझे यह थोड़ा सा बताएं। जो आप रायल्टी वसूल करते हैं, कितना प्रतिशत पैसा उन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास के लिए आप देते हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दो परसेंट पंचायतों के माध्यम से, तो खास तौर से जिला परिषद को हम देते हैं राशि और उसके माध्यम से पंचायतों तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पर्टिकुलर उस पंचायत को और वहां की जो राशि है, उसका जो परसेंटेज हम वितरित कर दें, ऐसा नहीं है। टोटल इसका दो परसेंट, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देते हैं लेकिन यह जिला परिषदों को आबंटित होती है और जिला परिषद अपने स्तर पर उनका आबंटन करती हैं। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हमारे क्षेत्र की भी है, एक परसेंट राशि रायल्टी की नहीं मिलती।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रायल्टी का पैसा वसूल हो रहा है, ग्राम पंचायत में वहां ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है तो उससे जो परेशानियां आती हैं, तो सम्बन्धित जो आसपास के गांव हैं वे परेशानी झेलते हैं। खनन होता है, उससे जो भी सिलिकोसिस की बीमारी होती है, वहां के जो लोग हैं वे परेशान होते हैं। फिर जो रायल्टी का पैसा है, उसका प्रतिशत, जो भी विकास हो, सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देना चाहिए।

मैं तो यह कह रहा हूं कि ठीक है, आपने जिला परिषद को दिया है तो विगत पांच वर्षों में जिला परिषद को कितना-कितना पैसा आपने दिया है? यह बता दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सूचना के प्रश्न का जिक्र नहीं था, फिर भी मैं माननीय सदस्य को किन-किन पंचायत को क्या मिला है, इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: उपलब्ध करा देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): क्योंकि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के बाद एक परसेंट से बढ़ाकर के तीन परसेंट का जो किया था, तो जिला परिषद के माध्यम से ही होता है और जिला परिषद ही रिकमंड करती है। (व्यवधान) इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 28.1.2011 को आपने नई खनिज नीति बनाई और उसी के तहत आपने 50 प्रतिशत खुली नीलामी में और 50 प्रतिशत लाटरी में खनन पट्टे जारी करने का निर्णय लिया? क्या यह भी सही है कि इस खनन नीति के आने के बाद एम सी सी आर, 1986 के जो प्रावधान थे, वे अप्रासंगिक हो गये, यानी उनका कोई अर्थ नहीं रहा? क्या यह सही है कि कुछ कतिपय क्षेत्र में आपने इस खनन नीति के होते हुए भी एम सी सी आर, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पहले-आओ-पहले-पाओ की नीति को लागू किया है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2011 की पालिसी हमने बनाई तो यह महसूस किया कि हजारों खनन पट्टे जो पूर्व में प्रचलित हैं, जिनका फैसला होना बाकी है, तो नियम में खास तौर से यह देखा गया कि 28.1.2011 के बाद जो प्रोसीजर होगा वह 50 प्रतिशत आबंटन और 50 प्रतिशत पर उनको कैटेगराइज किया गया है कि यह-यह सारा रिजर्वेशन से होगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व के प्रचलित पट्टे हैं, उनमें पूर्व का जो नियम चला आ रहा है, उसी के अनुरूप उनको किया जाएगा। बीच में इस तरह से भी महसूस किया गया कि जहां हम डेलिनीएशन कर रहे हैं, डेलिनीएशन, यदि हमारे पास में पूरा एरिया खाली नहीं होगा तो एक नोटिफिकेशन के जरिये दुबारा फिर इसको किया गया है। लेकिन बार-बार यह डिमांड आ रही है कि जहां डेलिनीएट करना है, वहां खाली क्षेत्र नहीं मिल रहा है और जहां पूर्व में लोगों के प्रचलित पट्टे हैं, उनकी भी यह डिमांड आ रही है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, पालिसी का जो पार्ट है वह यही है कि पूर्व के जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुरूप हम करें। एक नोटिफिकेशन बाद में और आया था जिसमें इसको एक बार प्रतिबंधित किया है लेकिन वह अभी दोनों तरह से लागू नहीं हुआ और पुरानी पालिसी को भी हमने लागू किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पालिसी राजस्थान में एक साथ लागू नहीं रह सकतीं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, एक मिनट, ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, दो पालिसी नहीं हैं, पालिसी एक है, 28.1.2011 की। उस पालिसी में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जो पहले के

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पट्टे हैं उनको हम पूर्व नीति के अनुसार ही लागू करेंगे लेकिन बाद में यह समझा गया कि खाली क्षेत्र डेलिनीएशन का नहीं बच रहा है और खास तौर से जो लाइमस्टोन के हैं, उनमें यह महसूस किया गया कि हम इसको एक बार, उसमें जो क्षेत्र कम है, उसमें इस नक्शे को रिवाइज करने की परमिशन नहीं दें। केवल यही उसमें प्रतिबंध लगाया गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि 21.11.2012 को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई....

श्री अध्यक्ष: आप कितने प्रश्न पूछेंगे? माननीय सदस्य, आप कितने प्रश्न पूछेंगे?

श्री रविन्द्र सिंह।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अभी मेरा प्रश्न है, मूल प्रश्नकर्ता हूं, अध्यक्ष महोदय।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला भी है। मेरे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। ओवरलोडेड ट्रक जाते हैं, आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: केवल रविन्द्र सिंह, और किसी का नहीं। रविन्द्र सिंह जी को परमिशन दी है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि धौलपुर में जो सैंडस्टोन निकलता है, उसकी रायल्टी और अन्यत्र जगह सैंडस्टोन निकलता है, उनकी रेट क्या हैं? दोनों जगह की एक है या अलग हैं? यह बता दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी पर पहले नियम अलग थे लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर खास तौर से निर्देश जारी किए कि बजरी की जो पालिसी है, जो आपका नियम है, उसको बदलकर, पहले केवल आक्शन होता था पर अब जैसे खनन की लीज होती है, उसी तरह से उसकी लीज कर दी है। नये नियम हमने बना दिये हैं और नये नियमों के अनुसार उनको बना-बना कर आक्शन हमने कर दिये हैं। लेकिन अभी पूर्व में प्रचलित, खास तौर से यदि हम तत्काल बंद कर देंगे तो जो बजरी प्रचलन में बंद हो जाएगी जिससे कई तरह की परेशानियां आम आदमी के सामने खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इसको अलग कर दिया है। बजरी का पहले आक्शन था और अब इसका और उसका फर्क कर दिया है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं सैंडस्टोन का पूछ रहा हूं, मुझे सैंडस्टोन का जवाब दिलवायें; मैं बजरी का नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, बजरी नहीं, सैंडस्टोन। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सैंडस्टोन का पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा बताया गया है कि सैंडस्टोन में धौलपुर में रेट ज्यादा है और अन्यत्र कम है। ऐसा क्यों है? और यदि है तो पता लग जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महसूस किया गया कि कई जगह सैंडस्टोन की कीमत का कारण क्वालिटी का कुछ फर्क है और वह पालिसी का पार्ट है। खास तौर से जहां उसकी फिनिशिंग होकर प्रोडक्ट जब बाहर जाता है तो उसका वेस्टेज मानकर कि इसमें इतना ज्यादा वेस्टेज निकल जाता है, उस वेस्टेज को फिनिशिंग के बदले, कम्पंसेट करने के लिए उसकी थोड़ी रेट ज्यादा होती है और जहां सीधे-सीधे ब्लाक जाते हैं, वहां वह रेट नहीं होती है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): साहब, ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): इसका जवाब तो दे दें, साहब। (व्यवधान)

पालनहार योजना के तहत विधवा महिला के एक से ज्यादा बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता राशि

371. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधवा महिला के बच्चे-बच्चियों को पालनहार योजना के अन्तर्गत शिक्षा एवं रोजमर्रा की आवश्यकता हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितने बच्चे-बच्चियों को कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पालनहार योजना के अन्तर्गत एक ही बच्चे को लाभ दिया जाता है? क्या सरकार विधवा के एक से ज्यादा बच्चे-बच्चियों को उक्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जी हां। विधवा महिला के एक बच्चे को पालनहार योजनान्तर्गत शिक्षा एवं रोजमर्रा के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रुपये प्रति माह एवं विद्यालय में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक शिक्षण कार्य हेतु 675 रुपये प्रति माह राशि उपलब्ध करवाई जाती है। प्रावधानों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) पालनहार योजनान्तर्गत ऐसे बालक/बालिका जिनके माता-पिता, दोनों की मृत्यु हो चुकी हों अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी हों अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो अथवा दूसरे को मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी हो, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों, कुष्ठ एवं एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक तथा विधवा माता, नाते जाने वाली महिला के एक बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक योजना का लाभ दिया जाता है। वर्तमान में विधवा माता की एक से अधिक संतान को योजनान्तर्गत लाभ दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि प्रावधान की कापी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि नियम 4, अनुदान सहायता में लिखा है कि ''प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रति माह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रुपये प्रति माह अनुदान स्वीकृत किया जाएगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त दिया जाएगा।'' अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे-बच्ची हैं जो पालनहार योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनको स्वेटर या उनके लिए 2,000 रुपये दिये?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, क्या आज की इस महंगाई के जमाने में, और सरकार भी यह मानती है, सरकार ने यह माना है कि हम-दो-हमारे-दो को संवैधानिक अधिकार दे रखा है, उसके बाद भी क्या विधवा या परित्यक्ता महिला के एक से अधिक बच्चे को लाभ देने का सरकार विचार रखती है?

तीसरा, क्या ऐसे लावारिस बच्चे जिनके मां-बाप की मृत्यु हो जाती है, उनके दादा-दादी नहीं होते, चाचा-चाची उनको रखना नहीं चाहते, तो क्या सरकार

(श्री हरिसिंह रावत)

ऐसे बच्चों के लिए अनाथालय, विद्यालय हर जिले में खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र भीम के लिए पूछा है, तो वहां पर 21 बच्चे अनाथ हैं जिनको हम पालनहार योजना का लाभ दे रहे हैं, विधवा माता के 656 बच्चे हैं जिनको हम उनका लाभ दे रहे हैं; आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के 71 बच्चे हैं उनको हम लाभ दे रहे हैं; कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के 20 बच्चे हैं जिनको हम लाभ दे रहे हैं; एड्स पीड़ित माता-पिता के 13 बच्चे हैं उनको लाभ दे रहे हैं, नाते गई माता का एक बच्चा है जिसको हम लाभ दे रहे हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर 782 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजसमन्द जिले में सभी लाभान्वित बच्चों का भौतिक सत्यापन प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में करवाया जा चुका है तथा साथ ही सभी पालनहारों के खाते खुल गये हैं और सबको बैंक अकाउंट में भुगतान किया जा रहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आप जो दो हजार रुपये दे रहे हैं, वे अभी तक बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। जो 2,000 रुपये, जूते, जुराब, स्वेटर के देने की बात कर रहे हैं, वे आज तक शायद किसी को नहीं मिला है। तो स्पष्ट करें कि कब दिया, किसके थ्रू दिया? यह मुझे इसके बारे में स्पष्ट करें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना की जो सूची मेरे पास है, जो लाभान्वित बच्चे हैं, उनका फिगर भी मैंने दे दिया है। दो हजार रुपये की जो सहायता दी जाती है, उसकी सूचना भी मैं प्राप्त करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे पालनहार स्वीकृत होता है, तभी वह राशि साथ में दी जाती है लेकिन फिर भी आपने स्पेसिफिक पूछा है तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सरकार भी हम-दो-हमारे-दो बच्चे का करती है, तो क्या सरकार दो से अधिक बच्चों को इस क्राइटेरिया में रखने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

जाने वाली माता के बच्चों को छोड़कर, प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए प्रारम्भिक पांच वर्ष के लिए 500 रुपये महीना, जो भी अनाथ बच्चा, राजस्थान का कोई भी अनाथ बच्चा हो...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं एक से अधिक की बात कर रहा हूं, क्या एक से अधिक को लाभ देने का विचार रखती है?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप मेरी बात तो सुनो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): विधवा हो, उसके एक से ज्यादा बच्चे अगर हैं तो उसको आप दोगे, क्या यह है?

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने अलाऊ किया है क्या?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप हमेशा दर्द भरी बातें करती हों, बात सुनना नहीं चाहती हों। (व्यवधान) मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दर्द जायज है, आपने दुःख दर्द देखा है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। राजस्थान का कोई भी निराश्रित बच्चा है, जो भी राजस्थान का अनाथ बच्चा है, वह हमारा बच्चा है, सरकार का बच्चा है, उसके पालनहार का काम हम करेंगे, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, जो नाते जाने वाली माता के बच्चे हैं, वह एक बच्चे को पालनहार का हम लाभ देते हैं। यह बात सही है कि उसके अगर दो बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल से पालनहार होता है। फिर भी इस बारे में सरकार विचार कर रही है। निश्चित तौर से आपकी भावनाओं को, जब कैबिनेट में मीटिंग होगी, रखूंगा।

वैसे पालनहार में, पेंशन नियमों में, सब तरह से काफी सरलीकरण किया गया है। अभी बजट घोषणा 2013-14 में पालनहार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक सहायता 675 से बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, प्रति लाभार्थी बढ़ाकर एक हजार रुपया किया है, जो बहुत अच्छा फैसला हुआ है। इसका लाभ पूरे राजस्थान को, 'पालनहार' को मिलेगा।

इसके अलावा, और जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं, उस बारे में विभाग विचार करेगा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी महिला जिसको पति छोड़ देता है और पति दूसरी औरत ले आता है और

(श्री केसाराम चौधरी)

वह त्याग पत्र उस महिला को देता नहीं है। इसलिए क्या सरकार उस महिला को लाभ देने की व्यवस्था करेगी? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को यह समझ नहीं पाये। त्याग पत्र देता नहीं और वह महिला बैठी रहती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। इस प्रश्न को समझा नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वह महिला जिसको पति ने त्याग दिया और त्याग पत्र वह लिख कर देता नहीं है, तलाकनामा नहीं देता है और दूसरी पत्नी को ले आता है ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): राजस्थान में ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कम से कम इनका जिक्र तो किया जाए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जो पुरुष दूसरी महिला ले आता है और उस महिला को भी बैठे रहने के लिए मजबूर करता है ...(व्यवधान) ऐसी महिला को सरकार लाभ देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के अन्तर्गत मैं गांवों में घूमा हूं, हर पंचायत में मुझे ऐसे कई केस मिले हैं जहां ऐसी परित्यक्ता महिला, जिसके पति ने उसको आठ-नौं साल से छोड़ रखा है, वह एकल जीवन यापन कर रही है या अपने माता-पिता के पास रहती है। उसके बच्चे भी हैं। क्या ऐसी परित्यक्ता महिला को भी सरकार पालनहार योजना के अन्तर्गत बच्चों को या उनको पेंशन देने का विचार रखती है? यह स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब दे दें, बस। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हैं ...(व्यवधान) भावनाएं आपके साथ हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय केसाराम जी ने जो पूछा है, जब तक लीगल डाईवोर्स नहीं होता है, उसको योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

आपने जो सवाल रखा है, उस बारे में मैंने अवगत करा दिया है। इस बारे में विचार किया जाएगा, निश्चित तौर पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: परम नवदीप सिंह।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु निजी संस्थाओं/ट्रस्टों की भागीदारी हेतु दी गई सुविधाएं

372. डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षो में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने व शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु निजी संस्थाओं तथा ट्रस्टों को भागीदार बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त संस्थाओं तथा ट्रस्टों के नाम व पते सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाएं कहां-कहां कार्यरत हैं? ग्राम, विद्यालय तथा जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं तथा ट्रस्टों के साथ किये गये मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्थाओं को कितनी तथा क्या-क्या सुविधाएं किन-किन शर्तों पर उपलब्ध कराई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री) (शिक्षा मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने व शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव (2005 में गठित) के अन्तर्गत निजी संस्थाओं/ट्रस्टों को भागीदार बनाया जाता है। वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं के नाम व पते की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा उपलब्ध करवाने व गुणात्मक सुधार हेतु निजी संस्थाओं तथा ट्रस्टों को भागीदार नहीं बनाया गया है।

(2) वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन क्रियाशील संस्थाओं की जिलेवार एवं विद्यालयवार सूचियां क्रमश: परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न हैं।

(3) वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ किये गये मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (MoU) की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न हैं।

(4) राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के अन्तर्गत भागीदारी कर रही निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (MoU) में वर्णित दायित्वों/शर्तों के अनुसार सहभागी संस्थाओं के साथ कार्य किया जाता है।

(सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय मंत्री महोदय, क्या हमारी कल्याणकारी सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षा के अन्दर ऐसे प्रावधान रखना चाहती है?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि यह जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आफ लोकेशन आर प्लेसमेंट, वह क्या है इसके लिए?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो माननीय सदस्या का प्रश्न है, उसका उद्देश्य यह था कि राजस्थान में प्राथमिक एजुकेशन जो हैं उसमें गुणात्मक रूप से सुधार हो और उसके अनुरूप यह महसूस किया गया कि इसमें अकेली सरकार अपने स्तर पर वे सारे स्टेप्स नहीं उठा पाती जिससे उस प्राथमिक एजुकेशन को हम गुणात्मक स्तर पर पहुंचा सकें। इसलिए पी पी पी मोड पर, यह महसूस किया गया कि इन संस्थाओं को हम उन प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ दें जिनके पास में एक्पर्टीज हों और उस एक्सपर्टीज का लाभ सीधे-सीधे सरकारी प्राथमिक शालाएं कक्षा एक से आठ तक, उनको सीधा लाभ मिले। उसका निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाभ भी मिलेगा।

सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन में इस तरह का कोई नया प्रोग्राम और कोई प्रोजक्ट लागू करे।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न था, क्या हमारी कल्याणकारी सरकार इसकी इच्छा रखती है? योजना नहीं है, वह मेरे को उत्तर मिल गया लिखित रूप में, क्या हमारी इच्छा है?

दूसरा, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला, क्राइटेरिया आफ लोकेशन क्या है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): खास तौर से एस एस ए लागू होने के बाद....

श्री विजय बंसल (भरतपुर): जो उत्तर दिया जा रहा है 374 का है या 372 का है? क्योंकि माननीय सदस्या ने प्रश्न संख्या 374 बोला है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): हम अपनी गलती सुधारते हैं, it is 372.

श्री अध्यक्ष: जयपुर में 'गलता' है, इसलिए छोटी-मोटी गलतियों की तरफ आप ध्यान मत दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणात्मक एजुकेशन के प्रस्ताव जो हैं, खास तौर से एक से लेकर आठ कक्षा तक के ही प्राप्त हुए हैं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आता है कि उनमें भी गुणात्मक सुधार की कोई गुंजाइश हो, तो राज्य सरकार इस प्रोग्राम के तहत उनको भी शामिल कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

बीकानेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में व्याप्त अनिमितताओं की जांच

373. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर के वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच चल रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरोपित प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, बीकानेर द्वारा भर्ती एवं पद के दुरुपयोग के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आरोपों के बावजूद सरकार ने इन्हें इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर के साथ-साथ दूसरे कालेज, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर के प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त आरोपों के बावजूद भी उक्त प्राचार्य को इन संस्थानों में भर्तियां करने हेतु अधिकृत किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनवरी, 2013 में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री रामकिशोर सैनी): (1) जी हां।

(2) जी हां। प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर के विरुद्ध

(श्री रामकिशोर सैनी)

माननीय सेशंस न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे जिस पर ब्यूरो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दृष्टान्तों एवं निर्णय के तहत प्राथमिक जांच संख्या 190/12 दिनांक 04.10.2012 दर्ज की गई, जो कि जांचाधीन है।

(3) जी हां। कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर के प्रशासनिक/वित्तीय एवं शैक्षणिक व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित करने हेतु नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक कार्य-व्यवस्था हेतु प्रो. रणजीत सिंह को प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा निर्देशित किया गया था कि महाविद्यालय में AICTE एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार संकाय अकादमी के अनुपात में कमी है। संकाय सदस्यों के निर्धारित अनुपात के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2012-13 से सम्बद्धता प्रदान नहीं किये जाने के कारण आवश्यक पदों पर भर्ती की गई है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में माह दिसम्बर, 2012-जनवरी, 2013 के मध्य की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच संख्या 41/2013 जांचाधीन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि त्यागपत्र देने के बावजूद, 2011 में प्राचार्य ने त्याग पत्र दे दिया और उसके बावजूद अभी तक उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया? एक और महत्वपूर्ण संस्थान है बीकानेर के अन्दर, उसका अलग से, उनको प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर का अतिरिक्त कार्य भार सौंप दिया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि मई, 2011 से अब तक कितनी नियुक्तियां बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज में हुई? तथा मुख्य मंत्री कार्यालय में जब शिकायत की गयी, उनके निर्देश पर जो प्रोफेसर छंगाणी की कमेटी बनायी गयी, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये ?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह प्रश्न किया है कि ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं कि प्रोफेसर रणजीत सिंह को दूसरे कालेज का भी चार्ज दे दिया गया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कालेज के प्रिंसिपल के लिये, प्राचार्य के लिये रेगुलर नियुक्ति करने के लिये

(श्री रामकिशोर सैनी)

विज्ञप्ति जारी की गयी, इसमें केवल दो योग्य आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इसके कारण से वह रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पायी। लेकिन प्रोफेसर रणजीत सिंह को 12.5.2011 को 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर जोइन कराया गया था।

उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोफेसर रणजीत सिह को काफी लम्बे समय से प्रशासनिक व एकेडेमिक अनुभव है। एम एन आई टी, जयपुर में 20 वर्ष का इनका कार्य अनुभव है; सी आर स्टेट कालेज आफ मरूथल, हरियाणा में निदेशक के पद पर आप रहे हैं; एम एस आई टी, न्यू देहली के निदेशक; आई एस टी, न्यू देहली के कार्यकारी निदेशक और ए आई सी टी ई की विभिन्न कमेटीज के वृहद् प्रशासनिक अनुभव आपको हैं। इसलिये इनको हमने बीकानेर कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया।

इन्होंने कुछ ही दिन बाद, इनकी माताजी की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, दिल्ली से आते थे, तो इन्होंने यह निवेदन किया कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाये। संस्थान के पास लेकिन दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं था, इसलिये इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और पुन: इनसे बात की गयी, चर्चा की गयी कि आप इस कालेज में प्रिंसिपल की हैसियत से रह सकते हैं। तो आपने हमें सहमति प्रदान की, इसलिये इनको वापस रेगुलर वहां पर प्रिंसिपल रखा गया। (व्यवधान) वह बता रहा हूं, एक मिनट, सारी बात बता रहा हूं। उसके बाद में आर टी ओ, कोटा और ए आई सी टी ई, दिल्ली द्वारा हमें यह निर्देश जारी किये गये कि एक्सटेंशन आफ अप्रूवल के लिये आपको रेगुलर नियुक्तियां करनी पड़ेंगी।

जो आपने भर्ती का प्रश्न किया, उसके टेकअप के हमें स्टेट में साढ़े सात करोड़ सेण्ट्रल गवर्नमेंट से मंजूर होने वाले थे, उसके लिये हमने इन प्रिंसिपल को एडिशनल चार्ज उस सी ए टी, कालेज का दिया।

श्री अध्यक्ष: देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न हैं। यह प्राचार्य जिनको बनाया है, इनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच है, इन्होंने स्वीकार किया प्रश्न में, फिर ऐसी क्या मजबूरी है, ये श्रीमान् जी, अपनी बौद्धिक सम्पदा की चोरी के कारण नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में भी इनको त्याग पत्र देने के लिये मजबूर होना पड़ा, फिर यही व्यक्ति इनको मिला? जो मुख्य सचिव की रोक कि आप नियुक्तियां नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

कर पाओगे, उसके बाद भी मार्च, 2013 में नियुक्तियां की गयी हैं। केवल ए आई सी टी ई के कारण इन जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को नियुक्ति देनी पड़े और भ्रष्ट व्यक्ति को दूसरी संस्था के कारण देनी पड़े। उनकी योग्यताएं तो गिना दीं लेकिन क्या योग्यताएं भ्रष्टाचार के भी ऊपर हैं? यदि एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, भाषण नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): भ्रष्टाचार में तुरन्त इनको पद से हटाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, भाषण नहीं। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, यह बताएं कि 15 साल पहले इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई, तब से अस्थायी रूप से ही प्रिंसिपल चल रहे हैं और यह भी सही है कि यह चारों तरफ से आरोपित होकर, उसके बाद में ए सी बी में केस दर्ज हुआ। विभागीय जांच भी चल रही है, अनियमितता के भी आरोप लग रहे हैं। उसके बाद भी क्या आप इस संस्था को बन्द करना चाहते हैं? इतना भारी असंतोष, आन्दोलन हो रहे हैं, सब जन-प्रतिनिधियों ने आपको शिकायत की, ऐसा क्या है? जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो पूर्व से ही इस प्रकार के षड्यंत्र करके, साजिश करके पैसा कमा रहा हो और फिर भी आप उसको लिये बैठे हैं, कारण तो बताओ? क्या आपके साथ सम्बद्धता है इसकी?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न यहां भ्रष्टाचार के बारे में किये गये हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में इस प्रिंसिपल के खिलाफ पी ई है, केवल प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी है, कोई एफ आई आर इनके खिलाफ दर्ज नहीं है और... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ए सी बी में जांच चल रही है, पता है? (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): डेफिनेटली। मैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है खाली ए सी बी में, ऐसा कहना है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वहां मामला नहीं जाता। कोई भी दूसरा लिखकर दे दे, मामला नहीं जाता...(व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): मैं वह निवेदन कर रहा हूं, मैं बता देता हूं, डेफिनेटली...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जब कोर्ट ने भी कुछ समझा है... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने अलाउ किया? इनका नहीं होगा। आपको अलाउ किसने किया? भाषण चालू कर दिया। आपको अलाउ किसने किया? पहले परमिशन लेते। बिना परमिशन आप बोल रहे हो। मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये पहले। (व्यवधान)

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं करूंगा, पहले मंत्रीजी का जवाब आने दें। जवाब आने दीजिये पहले। अलाउ नहीं होगा। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, फिर संतुष्ट नहीं हों तो बात करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप तो एक्सपर्ट हो इसके लेकिन यह पहले इनका जवाब तो आ जाने दो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक कम्प्लेंट कोर्ट में पेश की गयी, कोर्ट ने उसको 156(3) में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। ए सी बी... (व्यवधान) आप सुन तो लें, निवेदन तो सुन लें। ए सी बी में उसमें प्राथमिक जांच दर्ज की गयी। एफ आई आर लॉज नहीं है उसमें। बार-बार जो एफ आई आर के बारे में निवेदन किया जा रहा है कि एफ आई आर उसके खिलाफ दर्ज हो गयी है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह आपने रुकवायी है एफ आई आर...(व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): एक मिनट सुन लें, सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिये। अंकित नहीं हो रहा है किसी माननीय सदस्य का। (व्यवधान) मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में केवल मोटे तौर पर यह जांच की जाती है कि यह प्रकरण सत्यता के कितने नजदीक है। सत्यता के नजदीक होने के बाद उसमें एफ आई आर कटती है और एफ आई आर कटने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एफ आर भी लगती है, एफ आर लगने बाद...यदि चालान पेश होता है...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें, सुन तो लें एक बार। ...(व्यवधान) चालान पेश होने के बाद...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। जवाब सुनिये पहले। पहले जवाब देने दीजिये मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी किया जाता है। इसलिये यह भी एक प्रोविजन है। उसके बाद में प्रोसीक्यूशन एविडेंस लेकर एक्विटल भी होता है और कन्विक्शन भी होता है। आज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में किसी भी अन्नान व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई एक कम्प्लेंट जाहिर कर दी और अभी आज ए सी बी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इसमें इसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर ली जाये। उससे पहले आप और सदन, मैं सोचता हूं, उस प्रोफेसर के खिलाफ भी यह अन्याय होगा कि आज की डेट में केवल एक वेग एप्लिकेशन के आधार पर उनको डिस्चार्ज कर दें। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सबने अपनी बात कह ली। (व्यवधान) अगला प्रश्न लेने दीजिये मुझे।

अगला प्रश्न। श्रीमती अनीता सिंह।

भरतपुर जिले के राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत सहायता हेतु लम्बित प्रकरण

374. श्रीमती अनीता सिंह (नगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंडी मुख्यालय पर गठित राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत सहायता समिति के सदस्यों में विरोधाभास होने पर प्रकरण निदेशालय स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को निर्णय हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान है?

(2) भरतपुर जिले की मंडियों के ऐसे कितने प्रकरण राज्य/निदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु गत 3 वर्ष में प्राप्त हुए हैं एवं उन पर राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा क्या निर्णय लिये गये तथा कितनी राशि ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत की गयी?

(3) भरतपुर जिले की मंडियों में वर्तमान में उक्त योजना के कितने प्रकरण कब से किन कारणों से लम्बित हैं तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल कृषि विपणन मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) जी हां। मंडी मुख्यालय पर गठित राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत मंडी

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

स्तरीय सहायता समिति के सदस्यों में विरोधाभास होने पर प्रकरण निदेशालय स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को निर्णय हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान है। उक्त समिति का गठन दिनांक 16.04.2012 को किया गया है।

(2) समिति के गठन के उपरांत भरतपुर जिले की मंडी समितियों से राज्य/निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु मंडी समिति, भरतपुर के तीन प्रकरण निम्नानुसार प्राप्त हुए:-

क्र.सं.	दावेदार का नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि
1.	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री लाभूसिंह (मृतक नानकी कौर पत्नी श्री लाभूसिंह)	18.12.2012
2.	श्री चन्द्रभान पुत्र श्री हरिचरण (मृतक समोदा पत्नी श्री चन्द्रभान)	18.12.2012
3.	श्री मोतीराम पुत्र श्री छोटूलाल (श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री मोतीराम)	18.12.2012

क्रम संख्या 1 से 3 पर अंकित प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य/निदेशालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा लिये गये निर्णय परिशिष्ट 'अ' अनुसार संलग्न हैं।

(3) भरतपुर जिले की मंडियों में वर्तमान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत 11 लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'ब' अनुसार संलग्न है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न पुकार लिया है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आपको गुड गवर्नेंस वाली कहती है ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी डींगें, इन्होंने यह कहा कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल पूरक प्रश्न की इजाजत दी है माननीय सदस्या को। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): पूरक प्रश्न ही पूछ रही हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में तो लाओ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल माननीय सदस्या, श्रीमती अनीता सिंह को इजाजत दी है पूरक प्रश्न पूछने की।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। केवल मात्र माननीय सदस्या का पूरक प्रश्न होगा। (व्यवधान) आप व्यवधान कर रहे हैं, इतने सीनियर सदस्य होकर के। माननीय सदस्या को पूरक प्रश्न पूछने दीजिये, समय समाप्त हो रहा है। यह वेल में बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

(माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं, पूरक प्रश्न ही पूछ रही हूं, इन्होंने सेवा गारंटी बिल पारित किया था और मैंने यह प्रश्न लगाया था, भरतपुर जिले में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत जो लम्बित मामले थे, उनके प्रकरण में और मेरा प्रश्न लगने के बाद, इन्होंने जो 3 मामले इनके यहां लम्बित थे, उनको इन्होंने राशि स्वीकृत की है। एक है दीवान सिंह, नानकी कौर का पुत्र है, यह मामला लम्बित था 31.05.2012 से। इसकी मृत्यु सिर दर्द से हुई थी। इसमें लिखा है कि "निदेशालय स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के क्रम में मंडी समिति द्वारा 14.03.2013 के द्वारा राशि 1 लाख रुपये स्वीकृत की।'' ऐसे ही दूसरा मामला चन्द्रभान का है और तीसरा मामला मोतीराम का है। इन तीनों को एक साथ 14.03.2013 को ही इन्होंने किया है, जब मेरा यहां प्रश्न लग गया। अध्यक्ष

(श्रीमती अनीता सिंह)

महोदय, मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि अगर मैं यहां पर प्रश्न नहीं लगाती तो मेरे इन मामलों में ये राशि स्वीकृत कर देते?

दूसरा, मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर में जाटूलिका, श्रीमती रेशम पत्नी श्री रतन सिंह, इनकी मृत्यु पर इनके पुत्र चन्द्रभान का मामला लम्बित पड़ा था। मैंने जब यह प्रश्न लगाया तो इन्होंने लम्बित रहने के कारणों में मुझे जो कारण दिया है, वह मैं सुनाना चाहती हूं आपको, "दिनांक 13.08.2012 को मंडी स्तरीय समिति की बैठक में सदस्यों में असहमति होने के कारण निस्तारण हेतु निदेशालय, जयपुर को भिजवाया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि का निर्णय लिया गया है और निदेशालय ने ही पत्र दिनांक 11.03.2013 के द्वारा सहायता राशि के भुगतान करने की स्वीकृति मंडी समिति, भरतपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी है।" अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहती हूं कि जब सेवा गारंटी बिल के अन्दर एक समय सीमा निश्चित है, उसके बावजूद भी यह जो इतना लंबा-लंबा समय निकलता है, हम जब यहां प्रश्न लगाते हैं तो ही जाकर के इनकी स्वीकृतियां होती हैं; इनकी सहायता राशि के लिए।

मेरा प्रश्न है मंत्रीजी से कि आपने जो जांच कमेटियां बनाई हैं, क्योंकि जो और 11 प्रकरण आपने बताये हैं, उनमें जांच कमेटी के लिए आपने लिखा है, तो क्या जांच कमेटी की आपके निदेशालय पर और भरतपुर मंडियों में कोई समय सीमा है? किसान कोई एप्लिकेशन लगाता है सहायता राशि के लिए, मृत्यु उपरांत या अंग-भंग होने के उपरांत, तो कितने समय में उसको न्याय मिलने की या राशि मिलने की समय सीमा है? एक तो यह बतायें।

तीसरा, यह बतायें कि जैसी आज किसानों की स्थिति है, उनका डीजल भी बढ़ रहा है, खाद में भी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब को देखते हुए किसानों की हितैषी सरकार कहलाने वाली, क्या सहायता राशि को 1 लाख से 2 लाख करने का विचार मंत्रीजी करते हैं?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पहला प्रश्न उठाया कि मेरा प्रश्न लगने के बाद निदेशालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निदेशालय में ये 18.12.2012 को आये थे, लास्ट महीने में।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने निस्तारण की बात की है, यह तो मुझे पता है कि लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): लम्बे समय से नहीं थे, बारहवें महीने की 18 तारीख को आये और इनका इस महीने में निस्तारण कर दिया। यह बात भी किसी हद तक स्वीकारनी पड़ेगी कि जब कोई प्रश्न विधान सभा में लगता है मंडी का, जिले के केसों के बारे में तो ज्यादा खोजबीन की जाती है, जब यह पेंडेंसी यहां देखी तो आपके जितने भी केस थे, 3 केस थे, तीनों को स्वीकार करके मंडी को भेज दिये गये कि इनकी जितनी राशि बनती है, वह दे दी जाये।

अध्यक्ष महोदय, आगे इनकी समय सीमा के बारे में निवेदन है कि अब जो मंडी स्तरीय समिति है, वह अपने हिसाब से काम करती है। कई बार बीमे का प्रतिनिधि नहीं आता, कई बार अभ्यर्थी खुद प्रस्तुत नहीं होता। कई कारणों से वहां देर लगती है। मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों को कि आपकी मंडियों में, जहां-जहां भी हैं, आप प्रभावी आदमी हैं, वहां की मीटिंग समय पर कराकर इनका निस्तारण करायें। (व्यवधान) मेम्बर नहीं हैं, एम एल ए तो हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों के लिए, उसकी जो विधवा पत्नी है, उसको सहायता जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए अगर कोई समय सीमा नियत कर देंगे तो उनको दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिनका उस मंडी से लेना-देना नहीं है, उनको तो इन्होंने मेम्बर बना रखा है। तो मीटिंग कहां से करायें?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): एम एल ए हैं तो प्रभाव तो है ही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या पूरक प्रश्न पूछ रही हैं, आप बीच में ही।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, उनको दर-दर नहीं भटकना पड़े मंडियों में और निदेशालय में, अगर यह समय सीमा नियत कर देते हैं कि इतने समय में आपकी एप्लिकेशन का निस्तारण हो जायेगा, आपको सहायता राशि मिल जायेगी तो उससे उनको बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंडी का, आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, ...

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने अलाउ नहीं किया, बैठिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): समय सीमा, कितना समय करेंगे, वह भी सदन को बतायें।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अभी तक समय सीमा तो कोई निर्धारित नहीं है। फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की जाये तो इस पर विचार करेंगे कि कम से कम समय, जितना लगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमराराम।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। वे इसकी सहायता राशि बढ़ाकर के कितनी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? दो लाख की कही है मैंने तो।

ब्याज मुक्त ऋण राशि पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज वसूली प्रकरण

375. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा करने के बाद केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों से दिसम्बर, 2012 तक 7 प्रतिशत ब्याज दर किस आधार पर वसूल की गयी है?

(2) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण सहकारी बैंकों को किया गया है? यदि हां, तो गत 2 वर्षों का बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जब राज्य सरकार ने ब्याज-मुक्त ऋण की व्यवस्था की है, तो बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ब्याज वसूलने की कार्यवाही किस आदेश के आधार पर की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा नहीं की है, वरन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को उक्त ऋण ब्याज-मुक्त करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। राज्य सरकार की उक्त घोषणा की अनुपालना में शीर्ष बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिनांक 02.11.2012 को जारी किये गये। उक्त निर्देश जारी होने से पूर्व

(श्री परसादीलाल)

अलवर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर बैंकों द्वारा ब्याज राशि वसूल की गयी लेकिन आदेश जारी होने के पश्चात् उक्त बैंकों द्वारा वसूल की गयी ब्याज की राशि लौटा दी गयी है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में ब्याज अनुदान पेटे 37,81,35,858 रुपये की राशि का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंकों को किया गया है, जिसका बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2011-12 की ब्याज अनुदान की राशि रुपये 1,03,29,19,661 का भुगतान केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त वर्षों में राज्य सरकार की ओर से कृषकों को ब्याज अनुदान देने का प्रावधान नहीं था। गत 2 वर्षों में सहकारी बैंकों को हुए पुनर्भरण का बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ब्याज वसूली राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के आदेश दिनांक 02.11.2012 के जारी होने के पूर्व की गयी है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का आदेश दिनांक 02.11.2012 परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में समय पर अल्पकालीन ऋण चुकाने वाले किसानों को वर्ष 2010-11 में केन्द्र सरकार ने छूट दी, फिर राज्य सरकार ने छूट दी और वर्ष 2010-11 में छूट देने के बाद शीर्ष बैंक 2012 में आदेश निकालता है। इसके लिए कोई न कोई तो अधिकारी दोषी होगा। 2010 में ब्याज समय पर चुकाने वाले किसानों को ब्याज में छूट देने का आदेश 2010-11 में होता है और उसका आदेश निकलता है 2012 में, जब यह प्रश्न लगता है। इससे बड़ी अंधेरगर्दी क्या होगी? शीर्ष पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वे आदेश निकालें।

आपकी घोषणा, केन्द्र सरकार की घोषणा किसानों के पक्ष में हुई, चाहे राज्य सरकार की घोषणा हो। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिसका नाम मात्र का पैसा तनख्वाह के रूप में मिलता है, वह तो वसूल नहीं करते और आपके 6 बैंक, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 बैंक, जिनमें सीकर भी है, अलवर है, बीकानेर भी है, चूरू, झुंझुनूं है, आपका सबसे लोएस्ट कर्मचारी जिसको वेतन श्रृंखला भी नहीं है, वह किसानों से पैसा वसूल नहीं करता है, ब्याज का और आपका शीर्ष बैंक दो साल

(श्री अमराराम)

बाद आदेश निकालता है। बैंक का एम डी उनसे नाजायज, वह सोसायटी जो गांव में गरीब की सहायता करने के लिए है, उनके खिलाफ, जिन्होंने दो साल तक आदेश शीर्ष बैंक में नहीं निकाला हो, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? जिन छह बैंकों ने, उन सोसायटियों जो आम किसान की मदद करती है, उनसे नाजायज रूप से वसूली कर ली, आपकी सोसायटी के व्यवस्थापकों ने वसूली नहीं की और बैंक ने वसूली कर ली, तो उन एम डीज के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं न कहीं बैंक एम डी से गलती हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं और मैंने जवाब देने से पहले, 6 बैंकों के एम डीज ने जो गलती की, उनको मैंने ए पी ओ करने के विभाग को आदेश दे दिये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेतसिंह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): प्रश्न संख्या 376।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब दे दिया। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) इतनी जल्दी... (व्यवधान) यह हनुमान है, ऐसे नहीं मानेगा। (व्यवधान)

किशनगढ़ बास में निगम बस सुविधा के विस्तार हेतु कार्य योजना

376. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय अलवर से तहसील मुख्यालय कोटकासिम तक, कोटकासिम से तिजारा तक, कोटकासिम से धारूहेड़ा (हरियाणा), कोटकासिम से रेवाड़ी, किशनगढ़ बास से कोटकासिम, किशनगढ़ बास से वाया खैरथल-हरसोली-बीबीरानी होते हुए कोटकासिम तक के सड़क मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन है? यदि हां, तो यातायात सुविधा हेतु कितनी बसों का किस-किस समय का आवागमन

(श्री रामहेत सिंह)

निर्धारित है? प्रत्येक मार्ग पर संचालित बसों की समय सारिणी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बसें उक्त मार्गों पर यातायात के लिये पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो सरकार उक्त मार्गों पर और कितनी बसों का संचालन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को तहसील मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) प्रश्नगत मार्गों पर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की स्थिति दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में इन बस सेवाओं को उपलब्ध हो रहे यात्री भार को देखते हुए संचालित बस सेवाएं पर्याप्त हैं। यात्री भार का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। ऐसी स्थिति में और बसें बढ़ाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कुल 45 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें से 25 ग्राम पंचायतें राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़ी हुई हैं। शेष वंचित 20 ग्राम पंचायतें वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अन्तर्गत आगामी वर्षों में निगम की 'ग्रामीण परिवहन सेवा' के तहत बस सेवाओं से जोड़ी जा सकेंगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पैरा नम्बर 1 के परिशिष्ट-1 पर जो बिन्दु नम्बर 2 पर कोटकासिम से तिजारा, जो पी पी पी माडल पर 18 परिचक्र ग्रामीण परिवहन सेवाओं के संचालन का जवाब दिया है, यह बात सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो पूरक प्रश्न पूछिये। बात सत्य नहीं है, पूरक प्रश्न क्या है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पूरक प्रश्न ही यह है, जब जवाब ही गलत है, मैं उसी को चुनौती दे रहा हूं, जवाब को।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अगर यह बात जो आपने जवाब में दी है, अगर वह असत्य हो तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

आपने परिशिष्ट-1 के पेज नम्बर 2 पर लिखा है, किशनगढ़ से कोटकासिम, आपने जो आखरी बस का समय लिखा है, 16 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी किशनगढ़ से और कोटकासिम पहुंचेगी 17 बजकर 5 मिनट पर; यानी 4 बजने के बाद कोई भी आपके रोडवेज की बस कोटकासिम तक नहीं जायेगी किशनगढ़ से। तो क्या बस 4 बजे बाद चलाने की आपकी मंशा है? यदि हां, तो कब तक?

इसी प्रकार से, कोटकासिम से किशनगढ़ बास के लिए लिख रहे हैं, 18 बजे का समय, यह आखिरी बस है जो शाम को 6 बजे वापस आती है। क्या इसके बाद भी दो बसें चलाने की आपकी मंशा है?

तीसरा मेरा प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): चौथा हो गया, तीसरा नहीं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): चौथा, आपने जो ग्रामीण सेवा, जो 45 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 20 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें आज तक ग्रामीण परिवहन सेवा चालू नहीं हुई है, यह कब तक चालू हो जायेगी?

एक बिन्दु और है,...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पांचवां है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पेज 2 पर परिशिष्ट पर आपने मात्र एक बस जो खैरथल से कोटकासिम वाया हरसोली, बीबीरानी, देहली जाती है, उसके अलावा एक भी रोडवेज की बस नहीं चलती है। जबकि यहां पर बीबीरानी कालेज एक बहुत बड़ा कालेज है, ग्रामीण कालेज है, और बहुत सारे इंस्टिट्यूशंस हैं, उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम है, वहां ए सी एम और एस डी एम न्यायालय है, विद्युत विभाग के और भी बहुत सारे आफिसेज हैं, ग्रामीणों के वहां तक आने-जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपकी हरसौली से बीबीरानी, कोटकासिम बस चलाने की मंशा है? यदि हां, तो कब तक?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय मंत्रीजी, वह छठी फेल एम डी का भी बता दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): बताया था उस दिन।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उस दिन पूरा नहीं बताया था, आज बता दो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उस दिन आपको बताया था और मैं पुनः, चूंकि आपने यह प्रश्न खड़ा किया है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अगली तारीख 29 निश्चित है, उस पर जो फैसला अदालत का आयेगा, वह शिरोधार्य होगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अदालत की काहे की छूट दे रहे हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अदालत ने तो उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): यह अदालत में है, आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अदालत में जाने के लिए छूट दे रहे हो आप। (व्यवधान) एम डी पैसा लगा रहा है, उसको तो आप शह दे रहे हो। सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणाओं को पलीता लगा रहा है, ग्रामीण सेवा जो चल रही थी उनको बंद करवा रहा है। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को बसों से जोड़ना चाह रही है लेकिन हमारे कपासन के अन्दर 6 बसें बंद कर दी गई हैं और अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): ×××

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो छठी फेल का प्रकरण है, काफी दिनों से चल रहा है और इसका जुड़ाव शेखावाटी से है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो छठी फेल का प्रकरण है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो शेखावाटी का ही मामला क्या, यह तो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है; पूरे राजस्थान को देखना चाहिए, क्या मामला है। जो बात हो, उसकी क्रिया तो होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मामला तो निश्चित रूप से जो आप फरमा रहे हैं, मामला तो गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप दिखा दो न, आप सर्टिफिकेट दिखा दो, आपका कर्मचारी है, चीफ मैनेजर है, आप तो दिखाओ उनका सर्टिफिकेट। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य, आपकी सरकार पर किस प्रकार के प्रश्नवाचक चिह्न लगा रहे हैं। यह सरकार है या मजाक है? सरकार के ऊपर सरकार के सहयोगी जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान) सरकार जो अल्पमत में है... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह मामला गम्भीर है। (व्यवधान) ऐसे विषय पर जो अदालत में विचाराधीन है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार जो पहले से अल्पमत में है, उस सरकार के ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): कोई अल्पमत में नहीं है...(व्यवधान) बहुमत में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर।

(12.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार जो पहले से ही अल्पमत में है, उस सरकार के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर। (व्यवधान) मंत्री जी, आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा मंत्रीजी का। मंत्रीजी का अंकित नहीं होगा, आसन पांवों पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने की घोषणा के उपरांत भी उक्त अधिनियम नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला अलवर की तहसील बहरोड़ की ग्राम पंचायत काकरा एवं बड़ौद को नगरपालिका नहीं बनाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से रामगंजमण्डी की कृषि उपज मंडी समिति को धनिया मंडी हेतु अवाप्त 20 बीघा 8 बिस्वा जमीन का शीघ्र कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जोधपुर के भूजल स्तर में निरन्तर वृद्धि होने के उपरांत भी एकान्तर पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री वासुदेव देवनानी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की तहसील कोटकासिम के समस्त गांवों को विकास की दृष्टि से नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के अधीन करने के सम्बन्ध में।

7. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से मेवाड़ काम्प्लैक्स योजना के तहत छापली गांव में महाराणा प्रताप का युद्ध स्मारक एवं अन्य निर्मित सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

8. डा. दिगम्बर सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के ग्राम गेवा में कायलाना नहर व कालीबेरी नहर के कैचमेन्ट एरिया की 603 बीघा भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के जिलों में कार्यरत ए.डी.जे. कोर्ट को मेट्रिमोनियल केसेज सुनवाई का अधिकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श कर, प्रदान करवाने के सम्बन्ध में।

10. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य, उत्पादन की तुलना में बहुत कम रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्रीमती संजना आगरी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से स्टेट हाई-वे सोजत सिटी से रूपावास, धीनावास से जोधपुर का सड़क कार्य शुरू हुए तीन वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक उक्त सड़क के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री छोटूसिंह भाटी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जैसलमेर में आर.एस.एम.एम. व गैस आधारित पावर प्लान्टों द्वारा क्षेत्रीय रायल्टी ग्राम विकास हेतु खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की सड़कों के टोल नाकों पर लम्बी-लम्बी लाइनों व झगड़े-फसाद से बचने के लिए हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की तर्ज पर निजी चौपहिया वाहनों को टोल देने से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

14. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से खानपुर कस्बे में निर्मित बस स्टैण्ड का उपयोग रोडवेज द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य, श्रीमती संजना आगरी, श्री छोटूसिंह भाटी, श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं श्री अनिल जैन को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य के विद्यार्थी मित्रों की मांगों का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्या की ओर से राज्य में शिक्षकों व पंचायती राज के संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर सरकार में स्थायी नौकरी देने की भांति अन्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने के सम्बन्ध में।

3. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की अनुसूचित जाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनके विकास के लिए आबंटित बजट सार्वजनिक करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में कतिपय नवीन सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय को तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

6. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर के उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर मुंसिफ न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

7. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू की सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

8. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर, जिला अलवर के ग्राम सोंखरी में वन क्षेत्र के घाटी मार्ग पर सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1979 में सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति का कोटा 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में।

10. श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रशासनिक एवं अन्य उच्च सेवा में टी एस पी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 12 प्रतिशत आरक्षण में 5.5 प्रतिशत आरक्षण अलग से करने के सम्बन्ध में।

11. सुश्री सिद्धि कुमारी, सदस्या की ओर से बीकानेर के महाराजा डा. करणी सिंह स्टेडियम की दुर्दशा को सुधारने के सम्बन्ध में।

12. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से मेघवालों का भाट, मेघवालों के रावलिया/रावलिया मेघवाल, जो भी उचित हो, अंकित कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को आज पढ़ा हुआ माना जा रहा है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती संजना आगरी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था, भू अवाप्ति कानून के बारे में। उसकी कहीं चर्चा, विषय है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष: नहीं है, आज नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमि अवाप्ति कानून आ ही नहीं रहा है। केन्द्र भी लटकाये बैठी है।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आया अभी। आपने दिया है तो अभी जवाब आने दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सोजत में स्टेट हाइवे स्वीकृति पश्चात् भी सड़क की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत का स्टेट हाइवे, जो सोजत सिटी भीनावास से होते हुए राजोला से तक स्वीकृत हुआ है, वह बजट 2010-11 में स्वीकृत हुआ है, उस कार्य को शुरू किये तीन वर्ष पूर्ण हो गये हैं, तीन वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी पी डब्ल्यू डी द्वारा उस स्टेट हाइवे का जो कार्य है, जगह-जगह पर खड्डे खोद कर रख दिये हैं और जगह-जगह गिट्टी बिछा कर रख दी है।

(12.05 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त स्टेट हाइवे का जो कार्य है, उस पश्चिम क्षेत्र के लगभग 25-30 गांव ऐसे हैं जो उस सड़क से होते हुए गुजरते हैं। पिछले तीन वर्षों के अन्दर बार-बार मैंने पी डब्ल्यू डी एक्स.ईएन. को और सरकार को भी मैंने अवगत कराया कि यह कार्य तीन वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उस सड़क मार्ग पर जो सोजत सिटी से होते हुए रूपावास से भीनावास जो जाता है, उस पर पिछले तीन वर्षों के अन्दर लगभग सौ से डेढ़ सौ एक्सीडेंट हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस सड़क के हालात जीर्ण-शीर्ण अवस्था के अन्दर हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब को अवगत कराना चाहूंगी कि उक्त कार्य तीन वर्ष होने के बावजूद भी आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो इससे सम्बन्धित पी डब्ल्यू डी विभाग के जो भी अधिकारी हैं, चाहे इससे सम्बन्धित ठेकेदार हैं, सरकार को

(श्रीमती संजना आगरी)

इससे सम्बन्धित अधिकारियों और उससे सम्बन्धित ठेकेदारों को पाबंद करना चाहिए ताकि समय रहते उक्त कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए।

इसके साथ ही, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पी डब्ल्यू डी और एन एच ए आई विभाग द्वारा जितने भी नदी और नाले आते हैं, उन सड़कों के बीच में, तो वहां अण्डरपाइप नहीं लगा कर वहां पर रपटें बनाई गई हैं। जो शहबाद जाने वाली रपट है, उसका रास्ता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर इस वर्ष वर्षा ऋतु के अन्दर पूरा आवागमन डेढ़ से दो महीने बाधित रहा। उसके साथ ही, रायपुर विधान सभा क्षेत्र और सब जगह जो रपटें बनाई गई हैं, उन पर, शहबाद रास्ते के ऊपर कम से कम 50 एक्सीडेंट हुए हैं। डेढ़ महीने तक आवागमन बाधित रहा। बार-बार एस डी ओ को अवगत कराया गया, सम्बन्धित अधिकारियों को और पी डब्ल्यू डी अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। उसके बावजूद भी वहां पर काई जम जाने के कारण उन रपटों के ऊपर अधिकारियों द्वारा पत्थर डलवाये जाते हैं जिससे आवागमन बाधित न रहकर कम से कम ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री छोटूसिंह भाटी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी ये नदी-नाले आते हैं और जो रपटें बनाई गई हैं, उनके अण्डरपाइप लगा कर आप लोग व्यवस्था कराएं ताकि वर्षा ऋतु में यह आवागमन बाधित नहीं रहे।

इसके साथ ही, मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में रायपुर तहसील के अन्दर जो रायपुर और रायपुर बस स्टैण्ड, नेशनल हाइवे 14 के बीच में लूणी नदी स्थित है, उस लूणी नदी की जो पुलिया है, उसमें केवल वर्षा ऋतु के अन्दर बारिश ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने केवल एक गिट्टी के लिए बोला है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्लीज। जो लूणी नदी आती है, उसकी जो पुलिया है, वह दो बार दो जगह से टूट कर पानी में बह कर चली गयी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय छोटू सिंह भाटी। केवल माननीय सदस्य, छोटू सिंह भाटी का अंकित हो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिए। माननीय छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के आर एस एम एम और गैस आधारित पावर प्लान्टों द्वारा क्षेत्रीय रायल्टी राशि खर्च नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: छोटू सिंहजी भाटी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: छोटू सिंहजी, केवल आपका ही अंकित हो रहा है।

जैसलमेर में RSMM व पावर प्लांटों द्वारा क्षेत्रीय रायल्टी ग्राम विकास हेतु खर्च नहीं किया जाना

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला विभिन्न खनिज पदार्थों एवं पावर प्लान्टों, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, देश में, पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उसी क्रम में आर एस एम एम ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह प्रश्न नहीं है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ...मान्यवर, उसी क्रम में, लाखों टन लाइमस्टोन जो कि जैसलमेर से बाहर भिजवाया जा रहा है, उसी प्रक्रिया के मार्फत आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही उक्त गांवों की दिनचर्या पर, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मान्यवर, इस हेतु सरकार द्वारा बचत राशि का दो प्रतिशत प्रभावित गांवों के विकास के लिए

(श्री छोटू सिंह भाटी)

वसूल किया जा रहा है। उसी तरह गैस आधारित बिजलीघर में भी उक्त राशि ग्राम विकास के लिए रखी जाती है। परन्तु वर्तमान में उक्त राशि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, विकास के लिए ग्राम पंचायत अथवा अन्य माध्यमों से भी दी जा रही है जिसके कारण स्थानीय लोगों का हक प्रभावित होता जा रहा है।

मान्यवर, सदन के माध्यम से, ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त राशि सुनियोजित प्लान बनाकर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, विधायक, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की सहमति लेकर खर्च की जाये, परन्तु उक्त राशि हमारे विभाग के द्वारा खर्च नहीं की जा रही है। पंचायतों के भी प्रस्ताव पूर्व में आये, फिर भी हमारे अधिकारियों द्वारा जो जैसलमेर जिले में दो-दो प्रतिशत बचत के द्वारा खर्च होनी चाहिए, वह नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जो प्रस्ताव आये ग्राम पंचायत रामगढ़ के, ग्राम पंचायत राघवा के, उनके अन्दर यही निवेदन किया गया है, यही प्रस्ताव लिया गया है कि जैसलमेर से तनोट के लिए माह फरवरी और माह सितम्बर में हमेशा मेला लगता है, उसमें कई दर्शनार्थी पैदल जाते हैं, उक्त राशि दो-दो प्रतिशत सन् 2011 और 2012 के अन्दर स्वीकृत की गई थी, वह पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। हमारा निवेदन है, आपके माध्यम से सदन को कहना चाहते हैं कि वह दो प्रतिशत जो राशि है, वह पैसा, रामगढ़ ग्राम पंचायत में इस प्रकार का एक विश्रामालय बनाया जाये ताकि जो दर्शनार्थी लोग जाते हैं, उनका विश्राम भी हो सके और वे ठहर भी सकें।

मान्यवर, इसके अलावा भी, हमारे जैसलमेर में खनिज की जो दो प्रतिशत बचत राशि का पैसा आता है, उसमें ग्राम पंचायत लखाना में भी आता है, ग्राम पंचायत रणधा में भी आता है, ग्राम पंचायत अमरसागर में भी आता है लेकिन दो प्रतिशत राशि हमारे जैसलमेर जिले के डी एल ओज द्वारा समय पर खर्च नहीं होती है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बिराजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ...उसके कारण उन गांववासियों को उसका लाभ नहीं मिलता है। रायल्टी बचत राशि में से दो प्रतिशत राशि कटती है, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि पुन: वह पैसा उस ग्राम पंचायत में खर्च किया जाये ताकि इसका लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय श्री ज्ञानदेव जी आहूजा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अनिल जैन।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): शून्य काल में कोई भी मंत्री यहां सदन में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अनिल जैन।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री शून्य काल में नहीं है। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ...दूसरी ग्राम पंचायतों में गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनिल जैन का।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनिल जी, आप बोलिये, आपका अंकित हो रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनिल जी। देशाटन के आधार पर नहीं होता है ना, माननीय भाटी साहब।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनिल जी, आप बोलिये। केवल अनिल जी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अनिल जी, आप बोलिये। केवल अनिल जी। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

खानपुर कस्बे में रोडवेज द्वारा बस स्टैण्ड का उपयोग नहीं किया जाना

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के खानपुर विधान सभा क्षेत्र के खानपुर कस्बे में 2001 में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण हुआ। सुनिश्चित रोजगार योजना और सांसद कोष के द्वारा इस बस स्टैण्ड का निर्माण 2001 में किया गया लेकिन आज भी खानपुर की जनता

(श्री अनिल जैन)

बस स्टैण्ड पर बसों के ठहराव का इंतजार कर रही है। इन पिछले 13 वर्षों में आज तक भी प्रशासन के और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी और आज तक भी वह बस स्टैण्ड कस्बे के बीच में संचालित है, जिससे वहां के आमजन को, व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर में कम से कम वहां 20 बार जाम लगता है लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंदकर बैठा है। प्रशासन को बार-बार अवगत कराने के बाद भी वे मीटिंग लेते हैं चीफ मैनेजर, झालावाड़ और चीफ मैनेजर, बारां की, लेकिन उसके पश्चात् आज दिनांक तक भी वहां पर रोडवेज बस स्टैण्ड कस्बे के बीचों-बीच संचालित है। सवारियों को परेशानी आती है क्योंकि मेगा हाइवे पर ही बसें रुकती हैं और बसें बाहर की बाहर ही चली जाती हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): यही हालत होगी, साहब। पर मंत्रीजी तो इंटेलिजेंट हैं; मंत्रीजी तो पढ़े-लिखे हैं, साहब। चीफ मैनेजर छठी पास है तो क्या हुआ? (व्यवधान) मंत्रीजी तो बहुत गम्भीर हैं। इसलिए मंत्रीजी इसमें कुछ करेंगे।

वर्तमान में कस्बे के बीच जो बस स्टैण्ड वहां संचालित है, वहां आये दिन एक्सीडेंट का अंदेशा बना रहता है, कस्बे में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ मेगा हाइवे पर बसें रुकती हैं। प्रशासन से बात की जाती है तो एस डी एम साहब बात करते हैं, दो दिन बसें रुकती हैं, वापस बाइपास से ही बसें गुजरने लगती हैं। इस कारण दो-तीन किलोमीटर लोगों को वहां पर पैदल चलकर कस्बे में अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है।

इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के खजाने का पैसा उसमें खर्च हुआ है और 2001 से निर्मित है। पूरे कस्बे के लोग चाहते हैं कि बस स्टैण्ड जो निश्चित स्थान पर बनाया गया है, वहां चालू किया जाये और आमजन को राहत प्रदान की जाये। (व्यवधान) छठी फेल चीफ मैनेजर की पिछले दो दिन से सदन में जिस तरह से...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): दो दिन से नहीं है, कई सालों से है।

श्री अनिल जैन (खानपुर): पर अभी वर्तमान में तो दो दिन से...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): नहीं, नहीं, कई सालों से है। (व्यवधान)

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय उठाया, मैं उसमें सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस विषय को माननीय सदस्य पूर्व में भी उठा चुके हैं, प्रश्न के माध्यम से भी उठा चुके हैं और जिसका आपको विभागीय जवाब भी दिया गया है। आपने फरमाया है कि यह रोडवेज का बस स्टैण्ड है, यह रोडवेज का बस स्टैण्ड नहीं है। यह बात सही है कि इस बस स्टैण्ड के निर्माण किये जाने में, पंचायत समिति द्वारा खानपुर कस्बे के मध्य से बारां मार्ग पर लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर निर्मित किया गया है। उक्त बस स्टैण्ड 'सुनिश्चित रोजगार योजना' मद से राशि 70,000 रुपये एवं सांसद कोष से राशि 1.73 लाख रुपये, कुल 2.43 लाख रुपये से वर्ष 2001 में, जैसा आपने फरमाया, बना है और 40,000 वर्ग फीट भूमि पर बना है। उक्त बस स्टैण्ड, जैसा कि मैंने निवेदन किया, रोडवेज के स्वामित्व का नहीं है तथा मुख्य बाजार से डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर यात्रियों को आने-जाने में असुविधा होने एवं उक्त स्टैण्ड के मुख्य बाजार के मध्य यातायात के अवरुद्ध रहने के कारण रोडवेज का संचालन सम्भव नहीं है।

इसके साथ-साथ, वर्तमान समय में रोडवेज की बसों का संचालन भी बाइपास होकर किया जा रहा है।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है, वह इतनी दूर नहीं है और कस्बा वहां तक डवलप हो चुका है। वर्तमान में जो बस स्टैण्ड चल रहा है, वह मध्य बाजार में है...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, आपका जवाब आ गया, माननीय सदस्य। (व्यवधान) पर्ची।

श्री अनिल जैन (खानपुर): ...जहां आना-जाना सम्भव नहीं है आज की तारीख में।

जो भी आपको जानकारी दी गई है, वह गलत है, डेढ़ से दो किलोमीटर दूर नहीं है। आज भी विद्युत विभाग और अन्य विभाग उसके बगल में ही निर्मित हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर): आपसे गुजारिश है कि उसे चालू करवा दें, वहां के लोगों के हित में यही होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज चार पर्चियां निकाली गई थीं और सदन का नियम है कि जो भी यहां सब्जेक्ट है, एक दफा डिस्कस हो जाता है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) अब जो भी है, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात तो आप सुनिये। यह माननीया, श्रीमती किरण माहेश्वरी जी और वासुदेव देवनानी जी, इसका तो कल भी डिस्कस हो चुका, पहले भी हो गया। इसलिए मैं इन दोनों, क्योंकि एक दफा डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं, माननीय श्री ओम बिरला।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची जो है, उसको आप इस तरीके से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये, आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये, अध्यक्ष जी से।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, यह डिस्कस हो चुका है इसलिए आप ड्राप कर दें, यह पासिबिल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन पर आप विराज रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन से बात करेंगे। अध्यक्ष जी से बात नहीं करेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, आप आसन पर विराजमान हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, व्यवस्था आप देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम आसन से बात करेंगे। और यह पर्ची आप कौनसे नियम में रिजेक्ट कर रहे हो? आप कौनसे नियमों में रिजेक्ट कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: चेयर में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कौन से नियम में रिजेक्ट कर रहे हैं? यह अधिकार हमारा है कि हम आपसे पूछें।

श्री उपाध्यक्ष: यह पर्ची कौनसे नियम में है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौनसे नियमों में रिजेक्ट कर रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष: मुझे यह बता दीजिये, पर्ची कौनसे नियम में है? ऐसे ही यह नियम है। एक दफा चर्चा हो गई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह पर्ची परम्परा है, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अध्यक्ष जी से बात करिये। मैं चेयर पर बैठ गया, अध्यक्ष जी से बड़ा नहीं हो गया।

माननीय ओम बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम बिरला।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके की आप व्यवस्था दे रहे हैं, यह नियमों के अन्दर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची पर बोलने का अधिकार माननीय सदस्यों का होता है, आप कैसे इस पर्ची को ड्राप कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम बिरला।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हमारा पर्ची पर बोलने का अधिकार है। हमको बोलने, पर्ची पर बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम बिरला जी, बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची पर इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सरकार की गलतियां हैं और इसीलिए सरकार इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहती।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वह सरकार की गलती है, सरकार घबरा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमारे ऊपर दमन कर रहे हैं, हमारे अधिकारों के ऊपर दमन कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सम्भव नहीं है कि आप हमारी पर्ची को ड्राप करवा दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हम यू पी ए की चेयरपर्सन को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह सारा प्रकरण नहीं आने देना चाह रहे हैं। (व्यवधान) हमको पर्ची पर बोलने का अधिकार है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची पर बोलने का सभी सदस्यों को अधिकार है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इनकी भी वही पर्ची है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लाटरी निकालते हैं, उसमें चार सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने का अधिकार होता है। आप कैसे उनके बोलने के अधिकारों का हनन कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला, बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह अधिकार आप हमारा हनन नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह हमारे अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम जी बिरला। (व्यवधान) केवल ओम जी बिरला।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम जी बिरला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओम जी बिरला, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बोलना आपको? आपका अकेले का अंकित हो रहा है। (व्यवधान) आप नहीं बोलना चाह रहे हैं? बोलिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बोलना चाहते तो...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कैलाश चन्द भंसाली। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंह जी। (व्यवधान) माननीय दिगम्बर सिंह जी। (व्यवधान) माननीय दिगम्बर सिंह जी का पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, माननीय डाक्टर साहब। (व्यवधान) केवल दिगम्बर सिंह जी का होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नियम पर्ची का बता दीजिये मुझे। पर्ची का कोई नियम नहीं है, आसन के ऊपर है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

(12.23 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

पर्ची के विषय में जो मामला उठाया गया है, पहली बात तो नियमों में यह व्यवस्था है कि एक विषय पर चर्चा हो जाय, तो दोबारा नहीं हो। दूसरा, किसी व्यक्ति के विषय में, जो सदन का सदस्य नहीं हो, किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं है। यदि कोई इस प्रकार की चर्चा की गई तो वह अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो पर्ची का विषय है, कल जो था, वह प्रश्न और प्रश्नों का जवाब था। यह जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विषय है, जिसके बारे में, यह केवल एक कोलायत का ही नहीं है, यह जैसलमेर की जमीनों के बारे में है, जिसके बारे में कल कोई चर्चा नहीं की। कल का जो क्वेश्चन था, वह केवल कोलायत की जो जमीन थी उस जमीन के बारे में था। आज यह जो जमीन है, यह फलौदी का, जैसलमेर का और बीकानेर, सारे एरियों का है और उसमें भी दस अलग-अलग कम्पनियों का है।

उन दस अलग-अलग कम्पनियों ने जिस प्रकार से इस जमीन को लिया है, जिस ढंग से और जिस ढंग से इन कम्पनियों ने वापस दूसरे रिसेल की है, जिन मापदण्डों को इसने पूरा करना था, सीलिंग के मापदण्डों को इसने धरा। सरकार को एक तरह से, एक तरह से सरकार की मिलीभगत से जिस ढंग से इनको लाभ पहुंचाया है, यह विषय इसमें एक जगह का नहीं है। इसमें सारे अलग-अलग स्थानों का, कल केवल कोलायत तक केन्द्रित था, प्रश्न का जो जवाब था और वहीं की जमीन जितनी हुई थी उसके बारे में विषय था। यह जो विषय है, वह सारी इन विभिन्न कम्पनियों के द्वारा जिस प्रकार की जमीनें ली गईं, वह दस हजार बीघा से भी, दस हजार हेक्टेयर से भी अधिक है, उसके विषय में है यह।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मैंने जैसा निवेदन किया, पर्ची पर मैं बोलना तो अलाउ करूंगा, यह तो मैंने कहा ही नहीं कि नहीं करूंगा; आपने खड़े होकर कहा कि और जगह का विषय है, मैंने दो बात निवेदन की हैं, जिस पर चर्चा कल हो गई है उस पर चर्चा नहीं करनी है, पहली चीज; दूसरे, किसी व्यक्ति के विषय में, जो सदन का माननीय सदस्य नहीं है, उसका नाम लेकर के किसी प्रकार की कोई चर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर करेंगे तो अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) सुनिये तो सही। अब श्रीमती किरण महेश्वरी का और श्री वासुदेव देवनानी का आप पढ़ लीजिये, स्पेसिफिक कल चर्चा वाला ही है, नामजद है। तीसरा, श्री ओम बिरला और श्री कैलाश भंसाली की पर्ची को मैं कंसिडर करूंगा लेकिन, फिर निवेदन कर दूं, कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी, अगर होगी तो अंकित नहीं होगा। यह मैं पहले निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री ओम बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): श्रीमती किरण माहेश्वरी का कल वाला विषय नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इनका सारा विषय जैसलमेर से सम्बन्धित है और वह कम्पनी नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पर्ची उन्होंने डाली है कि आपने डाली है? पर्ची उन्होंने डाली है कि आपने डाली है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनका सारा मामला यह है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यक्ति विशेष के नाम से आपने दिया है, व्यक्ति विशेष के। आसन पांवों पर है, बिराजें। व्यक्ति विशेष के नाम से दिया है, दोनों व्यक्ति विशेष के नाम से दी गई हैं। चर्चा कल हो चुकी है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। निवेदन करना चाहता हूं, पुन: निवेदन करना चाहता हूं, दोनों पर्चियां नाम से, व्यक्ति विशेष के नाम से दी गई हैं, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा केवल जो विषय ओम बिरला और कैलाश भंसाली ने रखा है, उनको मैं अलाउ करूंगा लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम आया तो कतई यह रिकार्ड में नहीं जायेगा, एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं एक बात। जैसा अभी आपने माननीय ओम बिरला जी का नाम पुकारा, राजस्व की डिमाण्ड्स के टाइम पर ओम बिरला जी सोलर एनर्जी के बाबत आलरैडी चर्चा करवा चुके हैं, आलरैडी करवा चुके हैं, यह दोबारा चर्चा नहीं हो सकती 259 के तहत। एक बार अगर किसी विषय पर चर्चा हो गई तो दोबारा से यह हाउस कभी चर्चा नहीं करता, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने नाम दिया है, आपने नाम दिया है। आपने पर्ची में नाम दे दिया है इसलिए मैं अलाउ नहीं कर सकता। अलाउ नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, श्री ओम बिरला।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। विराजिए आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा नाम पुकारा है आपने।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, एक मिनट के लिए कृपया विराजें, आसन पांव पर है। मैंने श्री ओम बिरला का नाम पुकारा है, मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर की ओर से एक आब्जेक्शन आया है कि पहले विषय पर चर्चा हो चुकी है, आप वाले इश्यू की। वह मैंने असेम्बली सेक्रेटेरिएट से चैक करवाया है। रिकार्ड के अन्दर इन्होंने जब प्रस्तुत किया है तो वह मैं चैक करवा रहा हूं। तब तक श्री कैलाश भंसाली अपनी बात कहें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य सरकार द्वारा कतिपय कम्पनियों को जमीन आबंटन में अनियमितता

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में बीस हजार एकड़ भूमि औने-पौने दाम में राज्य सरकार ने कुछ कम्पनियों को दी है, मैं उन कम्पनियों के नाम भी इंगित करना चाहूंगा। उन सब कम्पनियों को जिस तरह से कानून बदलकर, नियम बदलकर, अधिसूचनाओं को बदलकर जिस तरह से भूमि प्रदान की गई है, वह बहुत ही ऐसा मामला है जिसको सदन में

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री वासुदेव देवनानी एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी सदन कूप में धरने पर बैठे)

लाना आवश्यक है। सरकार की जो भी नियति रही हो परन्तु यह नीयत साफ दिखती है, इसमें बड़ा भयंकर घोटाला हुआ है। वह घोटाला सदन में आना चाहिए और सदन में सब बातें मिनिस्टर साहब को रखनी चाहिए कि किन बातों को लेकर के बेवजह फायदा दिया गया है। आज जैसलमेर और बीकानेर में एक-एक इंच भूमि की कीमत बढ़ गई है, एक एकड़ की कीमत पचास करोड़ हो गई है। यही नहीं, सब जगह भूमि उपलब्ध नहीं है। जब बाड़मेर में रिफाइनरी की घोषणा हुई, उसके साथ भूमि के भाव और अधिक बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे, पांच हजार कारखाने लगेंगे। जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए यह काम में लिया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का नाम अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री नवल किशोर (बामनवास): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस दल व भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारेबाजी)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री नवल किशोर (बामनवास): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती संजना आगरी, श्रीमती संजना आगरी, ध्यान आकर्षित करेंगी। (अनुपस्थित) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ध्यान आकर्षित करेंगी। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ध्यान आकर्षित करेंगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष जी, हाउस को आर्डर में लाइए। मैं बिलकुल मेरी सीट पर उपस्थित हूं, हाउस को आर्डर में लाइये ताकि मैं मेरी बात को रख पाऊं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांति रखिए, शांति रखिए। कोई अन्य सदस्य अलाउ नहीं, चन्द्रकान्ता मेघवाल ध्यान आकर्षित करेंगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आधार कार्ड में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज इतनी महत्वपूर्ण डिमांड है, आज सीधी जनता से जुडी हुई डिमांड है, लोकल बाडीज की डिमांड है, मैं सोचता हूं कि इस पर चर्चा हो...

श्री अध्यक्ष: मैं भी चाहता हूं कि इस पर बहस हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पंचायती राज और नगरपालिकाओं में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उन पर चर्चा हो लेकिन जो विषय हमने पर्ची के माध्यम से रखने का प्रयास किया, हमने तो आसन से नियमों के तहत आकर अपनी बात रखने का प्रयास किया ताकि राजस्थान की जनता के सामने यह जाए कि किस प्रकार से जमीनों की हेराफेरी हुई। दुर्भाग्य यह है कि आसन की तरफ से जो अधिकार हमें दिये हुए हैं, हमने आपसे प्रार्थना की और उसके बाद भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इस बात को लेकर मैं और मेरा दल वाक-आउट करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में आधार कार्ड बनाने में जनता को हो रही परेशानी

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): राज्य में आधार कार्ड बनाने में जनता को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके दल ने तो वाक-आउट किया है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं बाहर जाकर वापस आई हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वे नहीं कर रही हैं वाक-आउट, वे नहीं कर रही हैं वाक–आउट।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप यह कह दो कि मैं वाक-आउट नहीं कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष जी, ये मुझे बताएंगे क्या कि मुझे क्या बोलना है? हम नहीं जानते हैं कि सदन की परम्पराएं क्या हैं? कृपया आप मुझे रोकें नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए, माननीय सदस्या ध्यान आकर्षित कर रही हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी, मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो एक विवादग्रस्त पर्ची जो आपने अलाऊ की थी...

श्री अध्यक्ष: केवल ध्यान आकर्षित से सम्बन्धित।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले मेरी अर्ज सुन लें आप, उसके बाद आप रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ध्यानाकर्षण पर बोल लूंगा...

श्री अध्यक्ष: केवल ध्यानाकर्षण।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन मेरा निवेदन तो सुनें। मेरा निवेदन है, यह है कि कैलाश चन्द भंसाली के द्वारा जो पर्ची यहां लगाई गई, जिस पर आपने बोलने की उनको इजाजत दी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता हूं ताकि यह पूरी बात सदन की जानकारी में आ जाए कि जैसलमेर में किसने जमीनें खरीदीं, किसने बीकानेर में खरीदीं, किसने जालौर में खरीदीं, किसने उस प्रोहिबिटेड एरिया जो बाड़मेर का था, उसमें खरीदीं, ये किसने खरीदीं। यह +++ के द्वारा खरीदीं गई, पी एस ई एल का एजेंट था और यह +++ भारतीय जनता पार्टी का मेम्बर था...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) जो माननीय सदस्य नहीं हैं, उनका नाम अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और आज भी मेम्बर है। उसके द्वारा यह डेढ़ लाख बीघा जमीनें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जानकारी में और सरकार टुकर-टुकर देखती रही और वह प्रतिबंधित एरिये में जमीनें खरीदता रहा। जबकि +++ के द्वारा एक इंच जमीन भी किसी भी प्रतिबंधित एरिये में नहीं खोली गई, अगर खोली गई तो वह रख दें। हम इस बात के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया आपका।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ध्यानाकर्षण में क्या रखा है, साहब? इनकी सारी बात का जवाब तो मैंने दे ही दिया है।

श्री अध्यक्ष: वह अलग बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखित में दिया है जवाब। अब आप बोलो, और क्या चाहती हो?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बिन्दु संख्या एक पर जो उत्तर दिया गया कि कुछ बैंक, पोस्ट आफिस, एन एस डी एल, आदि पंजीयक के रूप में आधार...

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण जी सराफ, आप इतने सीनियर सदस्य हो, चले आ रहे हो। आपको पता है कि माननीय सदस्या बोल रही हैं और आप बीच में से आ रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको समय दिया है, वे बोल रही हैं, वे बोल रही हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रख गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-93 दिनांक 21.6.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-94 दिनांक 31.8.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-95 दिनांक 12.10.2012,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाता (ओं) की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 विरचित किये गये हैं ; एवं

4- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि-96 दिनांक 20.11.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2011-12 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2011-12 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लाल।

(अनुपस्थित)

श्री प्रदीप कुमार सिंह।

याचिका

मांडलगढ़ स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांडलगढ़ स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

(अनुपस्थित)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री भंवरलाल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (वर्ष 2012-13) के प्रतिवेदन

(क्र.सं. 10 व 11)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2012-2013 के दसवें एवं ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शांती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,48,46,74,000/- (सैंतीस अरब अड़तालीस करोड़ छियालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,32,81,11,000/- (तीन अरब बत्तीस करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,69,75,000/- (तीन अरब तेरह करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 50 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास। मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। मतदान हेतु प्रस्तुत। हो गई?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या 29 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,48,46,74,000/- (सैंतीस अरब अड़तालीस करोड़ छियालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,32,81,11,000/- (तीन अरब बत्तीस करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 50 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,69,75,000/- (तीन अरब तेरह करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.04 बजे गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बूंदी जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु निगम बस सेवा

369. श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बजट 2012-13 में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय से बस सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो बूंदी जिले में 31 जनवरी, 2013 तक कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बस सेवा आरम्भ की गयी है? तथा गत तीन वर्षों में बूंदी जिले में कौन-कौन से मार्ग पर बस सेवाओं को बन्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जबकि बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले की अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के लिए बस सेवा का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

बून्दी जिले की ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की दृष्टि से दिनांक 17.11.2012 को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.01.2013 थी लेकिन कोई निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: दिनांक 14.02.2013 को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.4.2013 है। निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने एवं प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात वंचित ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

पिछले तीन वर्षो यथा 2010, 2011 एवं 2012 में बूंदी जिले में बंद की गई निगम बस सेवाओं की मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

पिछले तीन वर्षों यथा 2010, 2011 एवं 2012 में बूंदी जिले में बंद की गई बस सेवाओं की मार्गवार सूची

बूंदी आगार

क्र.सं.	मार्ग	बंद अवधि	पुन: प्रारम्भ तिथि
1.	बूंदी-चौतराखेड़ा	अप्रेल-2012 मई-2012 अगस्त, 2012 से दिसम्बर-2012	माह जनवरी-2013 से पुन: संचालित है।

माह	बूंदी-चौतराखेडा			
	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)
अक्टूबर, 11	16.06	28.57	-12.51	51
नवम्बर, 11	13.24	28.71	-15.47	42
दिसम्बर, 11	10.43	27.09	-16.66	33
जनवरी, 12	10.26	27.50	-17.24	33
फरवरी, 12	10.09	29.08	-18.99	32
मार्च, 12	07.89	27.54	-19.65	25

झालावाड़ आगार

वर्ष	मार्ग	माह	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)	विशेष विवरण
18.10.12	बाकानी-जयपुर वाया नैनवां	अप्रैल, 12	20.11	25.03	-4.92	69	दि. 01.04.13 से पुन: संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
		मई, 12	18.80	24.84	-6.04	64	
		जून, 12	18.56	24.74	-6.18	64	
		जुलाई, 12	15.25	25.08	-9.83	52	
		अगस्त, 12	16.67	25.89	-9.22	57	
		सितम्बर, 12	15.69	30.08	-14.39	54	
		अक्टूबर, 12	13.96	28.99	-15.03	44	

कोटा आगार

वर्ष	मार्ग	बंद करने का समय	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)	विशेष विवरण
2010-11	कोटा-उदयपुर	0600	12.92	24.86	-11.94	49	दि. 01.04.13 से 05.45 बजे पुन: संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
2010-11	कोटा-दौसा	0700	9.82	24.86	-15.04	40	दि. 01.04.13 से पुन: संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
2011-12	कोटा-देहली	1230	18.84	26.45	-7.61	61	दि. 01.04.13 से पुन: संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर शहर के पेराफेरी क्षेत्र में खनन लीज हेतु अवाप्त कृषि भूमि

377. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर शहर से सटी हुई किसानों की जमीन को शिवकर लिग्नाइट प्रोजेक्ट के नाम पर अवाप्त किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर शहर के विकास की दृष्टि में इस भूमि को अवाप्त मुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में शिवकर लिग्नाइट प्रोजेक्ट (प्रथम चरण) के लिए बाड़मेर शहर के निकट 6 गांवों की कुल 4744-05 बीघा निजी खातेदारी भूमि के लिए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.06.2012 एवं संशोधन आदेश दिनांक 27.06.2012 जारी की जाकर वर्तमान में प्रकरण उक्त अधिनियम की धारा 5(ए) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी/जिला कलक्टर, बाड़मेर के स्तंर पर विचाराधीन है। चूंकि प्रकरणान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी/जिला कलक्टर, बाड़मेर के यहां प्रकरण विचाराधीन है, अत: इस स्टेज पर भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया जाना समीचीन नहीं है।

पाली जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पुत्री विवाह सहायता राशि हेतु लम्बित आवेदन

378. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वर्तमान में विधवा पुत्री, बी.पी.एल. परिवार, अनुसूचित जाति पुत्री के विवाह अनुदान के कौन-कौन से प्रकरण कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुदान के प्रकरणों में आवश्यक राशि के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

विरुद्ध सरकार द्वारा बहुत कम राशि जारी की जा रही है? यदि हां, तो विभाग के पाली कार्यालय द्वारा सरकार को कितनी-कितनी राशि की मांग कब-कब की गई एवं सरकार द्वारा मांग के विरुद्ध में कितनी-कितनी राशि जारी की गई?

(3) क्या सरकार लम्बे समय से लम्बित उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिक राशि जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्तमान में विधवा की पुत्री विवाह अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 2 प्रकरण लम्बित हैं (सूची-अ)। सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार अनुसूचित जाति की पुत्री विवाह अनुदान के 6 प्रकरण लम्बित हैं (सूची-ब)। लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी की जाती है।

(3) जी नहीं। जिलाधिकारी के पास लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

विधवा की पुत्री विवाह अनुदान योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लम्बित प्रकरण

सूची "अ"

(अवधि 1 अप्रैल, 2012 से माह फरवरी 2013 तक)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लम्बित फार्म की अवधि (कब से)	कारण
1.	लीला पत्नी हीराराम	07.08.2012	विवाह पंजीयन, वर-वधु की जन्मतिथि व शपथ पत्र नहीं
2.	मोहनी देवी पत्नी भूराराम	16.06.2012	विवाह पंजीयन, वर-वधु की जन्मतिथि व शपथ पत्र नहीं

सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार अनुसूचित जाति की पुत्री विवाह के अनुदान के लम्बित प्रकरण

सूची "ब"

(अवधि 1 अप्रैल, 2012 से माह फरवरी 2013 तक)

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पता	लम्बित फॉर्म की अवधि (कब से)	कारण
1.	श्रीमती गवरी देवी पत्नी कालूराम नोयल मारवाड़ जंक्शन	09.01.2013	विवाह पंजीयन नहीं, वर का आयु प्रमाण-पत्र नही
2.	श्री गुणाराम पुत्र किशनाराम मारवाड़ जंक्शन	09.11.2012	बैंक खाता नहीं, विवाह पंजीयन नहीं है।
3.	श्रीमती इन्द्रा पत्नी फुसाराम मारवाड़ जंक्शन	03.12.2012	बैंक खाता नहीं, वर की आयु का प्रमाण नही
4.	चन्द्राराम बावरी पुत्र पन्नाराम सोजत	06.06.2012	बैंक खाता नहीं, जन्म दिनांक नहीं बीपीएल कार्ड नहीं
5.	जगदीश पुत्र भानुजी पाली	28.05.2012	खाता संख्या नहीं, वर के नाम में अन्तर
6.	गजरा पत्नी श्री प्रभुराम खिमेल, बाली	07.04.2012	विवाह पंजीयन नहीं, बैंक खाता नहीं

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेलावास (जोधपुर) का क्रमोन्नयन

379. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम मेलावास को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम मेलावास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

चूरू जिले में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के तहत प्राप्त आवेदन

380. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कृषि मण्डियों में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के तहत आवेदन पत्र मांगे गये हैं? यदि हां, तो अब तक किन-किन मण्डियों में कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? जिलेवार एवं मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू की कृषि उपज मण्डियों में किन-किन ने कब-कब आवेदन पत्र प्रस्तुत किये एवं उनमें से किन-किन के आवेदन पत्र स्वीकृत हुये? आवेदनकर्ताओं के नाम, पते सहित मण्डीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बकाया प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की उक्त नीति से कृषक वर्ग को लाभ पहुंच रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की कृषि मण्डियों में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत आवेदन पत्र मांगे गये हैं। माह फरवरी, 2013 तक जिन मण्डियों में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, का जिलेवार एवं मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला चूरू की कृषि उपज मण्डियों में माह फरवरी, 2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदनकर्ताओं के नाम, पते सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.05.2010 से गठित अभिशंसा समिति द्वारा चूरू जिले में निम्नलिखित चार आवेदनकर्ताओं को भूमि आबंटन की अभिशंसा की गई है:-

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

1. बैठक दिनांक 16.01.2013 में कृषि उपज मण्डी समिति, चूरू में मैसर्स धेतरवाल इण्डस्ट्रीज, पंजीकरण क्रमांक 704/2012 एवं सुगम इण्डस्ट्रीज, पंजीकरण क्रमांक 708/2012 ।

2. बैठक दिनांक 27.02.2013 में सुजानगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति में मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज, पंजीकरण क्रमांक 740/2012 एवं कृषि उपज मण्डी समिति, तारानगर में मैसर्स सुल्तानिया इण्ड़स्ट्रीज, पंजीकरण क्रमांक 493/2012 ।

(3) वर्तमान में अभिशंसा समिति द्वारा जिलेवार आवेदन पत्रों पर क्रम से विचार किया जाकर भूमि आबंटन की अभिशंसा की जा रही है।

(4) जी हां। उक्त नीति से कृषक वर्ग को लाभ पहुंचेगा। नीति अन्तर्गत मण्डी प्रांगणों में स्थापित होने वाली कृषि प्रसंस्करण इकाइयों से कृषि जिन्सों के क्रय किये जाने के फलस्वरूप कृषक वर्ग को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा एवं नीति में देय अन्य प्रोत्साहनों से कृषक वर्ग को लाभ पहुंचेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूमि विकास बैंकों की बकाया कर्ज राशि की वसूली हेतु कार्य योजना

381. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कौन-कौन से भूमि विकास बैंक ऐसे हैं जिनके द्वारा बांटे गये कर्ज की बकाया वसूली योग्य राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कर्ज बांटने एवं वसूली प्रक्रिया में सख्ती नहीं बरतने के कारण उपरोक्त बैंक बंद होने की स्थिति में पहुंच गये हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बैंकों के एमडी एवं पदाधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर अपने चहेतों तथा रिश्तेदारों को नियम विरुद्ध कर्जा स्वीकृत किया है? यदि हां, तो क्यां सरकार उपरोक्त बैंकों द्वारा बांटे गये कर्ज की जांच कर दोषियों को चिह्नित कर दंडित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या सरकार सभी बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क करवाने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा वितरित ऋणों के अवधिपार बकाया जो कि 10 करोड से अधिक हैं, का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि प्राथमिक बैंकों द्वारा कर्ज धड़ल्ले से बांटे जाते हैं तथा न ही किसी प्रकार की वसूली प्रक्रिया में कोताही बरती जाती है। नाबार्ड द्वारा ऋण वितरण के लक्ष्य प्रतिवर्ष प्राथमिक बैंकों की वित्तीय स्थिति के आंकलन के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। जिसके अनुसार नाबार्ड द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु 225.00 करोड़ के दीर्घकालीन ऋणों के पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

एक लाख से अधिक अवधिपार के केसेज में वसूली हेतु मानिटरिंग स्वयं प्राथमिक बैंक के सचिव द्वारा की जाती है। राज्य एवं खण्ड स्तर पर समस्त भूमि विकास बैंकों की वसूली समीक्षा बैठक का आयोजन माननीय मंत्री महोदय, रजिस्टार महोदय एवं प्रबन्धक निदेशक, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की अध्यक्षता में समय-समय पर किया जाता है।

लम्बे समय से अवधिपार ऋणों के दोषी व्यक्तियों से ऋणों की वसूली हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

आज दिनांक तक किसी भी प्राथमिक बैंक को बन्द करने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा नाबार्ड एवं अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ही पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरण किया जाता है।

(4) हां। अधिनियमान्तर्गत बकायादारों के विरुद्ध सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है।

Annexure-1

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd. Jaipur

(Amt. in lacs)

Sr. No.	NAME OF PLDB	Overdue as on 30.06.12
1	**2**	**3**
1.	AJMER	1791.04
2.	BHILWARA	2094.71
3.	KEKRI	4905.48
4.	NAGAUR	1017.25
5.	TONK	8029.24
6.	ALWAR	2226.82
7.	BHARATPUR	2089.57
8.	DHOLPUR	1621.57
9.	HINDAUN	1313.87
10	SAWAI MADHOPUR	4906.28
11	CHURU	1080.97
12	JAIPUR	1974.88
13	JHUNJHUNU	1162.37
14	JAISALMER	1064.89
15	JODHPUR	1072.25
16	JALORE	5254.30
17	PALI	1164.03
18	BARAN	1436.98
19	BUNDI	1880.92
20	JHALAWAR	3378.28
21	KOTA	1530.82
22	DOONGARPUR	1141.37
23	UDAIPUR	2321.72
	TOTAL	**54459.61**

परियोजना निदेशक (मोनेटरि)
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी विभाग राज., जयपुर

प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस लेने हेतु कक्षा आठवीं पास की अनिवार्यता में छूट

382. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या यातायात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ड्राइविंग लाइसेन्स लेने हेतु सरकार ने कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है? यदि हां, तो कक्षा 8वीं पास के अभाव में इन्हें लाइसेन्स कहां से मिलेगा?

(2) क्या सरकार ड्राइविंग लाइसेन्स लेने में कक्षा 8वीं पास की अनिवार्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योग्यता के अभाव में परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सकता है।

(2) ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्ति करने हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। उक्त प्रावधान में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

राजसमन्द जिले में खनिज उत्पादन से प्राप्त राजस्व

383. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 में विभिन्न खनिजों का उत्पादन कितना हुआ एवं सरकार को उनसे कितना अधिशुल्क (रायल्टी) एवं अन्य राजस्व मिला?

(2) उक्त अवधि में कितने नए खनिज भण्डारों की उपलब्धता की खोज की गई एवं उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है?

(3) सरकार द्वारा जिले में नवीन खनिज भण्डारों की खोज, खनिज उत्पादन बढ़ाने एवं खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से फरवरी, 2013 तक विभिन्न खनिजों का उत्पादन एवं उनसे प्राप्त रायल्टी व अन्य राजस्व का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(2) उक्त अवधि में निकट ग्राम राजारेल, लसाडिया, जिला राजसमंद में खनिज लाइमस्टोन के लिये वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पूर्वेक्षण कार्य कर 30 से 200 मी. चौड़ाई, 1500 मी. लम्बाई एवं 20-25 मी. मौटाई में सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन का पता लगाया गया। इस क्षेत्र में प्रारम्भिक छिद्रण कार्य कर तीन बोर होल्स छिद्रित कर लगभग 200 लाख टन सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा वर्ष 2011-12 में निकट ग्राम तिखी, पितमपुरा, हालिया खेडा, डेलास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में क्वार्टज व फेल्सपार युक्त पेग्मेटाइट का पता लगाया गया है जिसकी लम्बाई 20 से 200 मी. एवं चौडाई 2 से 50 मी. है। 2.6 लाख टन क्वार्टज फेल्सपार का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह क्षेत्र निकट ग्राम स्वाडी, झुडवास तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में भी वर्ष 2011-12 में क्वार्टज व फेल्सलपार युक्त पेग्मेटाइट 50 से 200 मी. लम्बाई में व 2 से 30 मी. की चौड़ाई में पाई गयी है। इस क्षेत्र में 1.56 लाख टन क्वार्टज फेल्सरपार का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2012-13 में ग्रेनाइट के 10 प्लोट (प्रत्येक 3.0 हैक्टेयर) निकट ग्राम काकरोद (7 प्लाट) व पुशालों का खेडा (3 प्लोट) डेलिनियेट किये गये जिनके नोटिफिकेशन की कार्यवाही जारी है।

(3) विभाग द्वारा जिलेवार खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण हेतु प्रतिवर्ष फील्ड प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें किये जाने वाले पूर्वेक्षण कार्य हेतु परियोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जाता है। राजसमन्द जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक बनाई गई परियोजनाओं का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जिले में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिये किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। क्षेत्र में खनिज का उत्पादन बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक मशीनों से खनन कार्य कर खान मालिकों द्वारा स्वयं अपने स्तर से बढ़ाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी पंचायत समिति के छात्रावासों हेतु खरीदी गई सामग्री

384. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में गत तीन वर्षों में छात्रावासों के लिये कितनी राशि की सामग्री किस-किस संस्था/फर्म से खरीदी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(2) क्या यह सही है कि छात्रावासों के लिये सामग्री क्रय करने से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या अनुमोदन लिया गया? यदि हां, तो किन-किन से व नहीं, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 3 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जो क्रमश: राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बस्सी, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांसखों एवं राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तूंगा हैं। इन छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं की सुविधाओं पर गत तीन वर्षों में कुल 21 लाख 81 हजार 615 रुपये की सामग्री विभिन्न संस्थाओं/फर्मों से क्रय की गई है। क्रय की गई सामग्री का छात्रावासवार एवं संस्था/फर्मवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि छात्रावासों के लिए सामग्री क्रय करने से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियमों के अनुसार छात्रावास में भोजन व अन्य सामग्री की व्यवस्था छात्रावास में गठित मैस समिति द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मदवार राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसका आदेश क्रमांक 4980 दिनांक 31.07.2009 एवं 41746 दिनांक 26.05.2011 की प्रति परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(3) इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बिलाड़ा के क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन

385. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009 से 2012 तक बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने

(श्री अर्जुन लाल)

विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं उनमें से कितने विद्यालयों में विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय नये खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नये क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापक/विषयाध्यापक/व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं शारीरिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस विद्यालय में किस-किस पद पर अध्यापकों को नियुक्ति दी गई और यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2009 से 2012 तक राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

उक्त नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में विज्ञान या वाणिज्य संकाय प्रारम्भ नहीं किया गया हैं।

(2) उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

क्रमोन्नत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 18 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर नियुक्ति दी गई। विद्यालयवार, श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

(3) पंचायतीराज विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन कर उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों की पूति की जा सकेगी। शेष रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2012 तक राप्रावि से राउप्रावि में क्रमोन्नत विद्यालय तथा क्रमोन्नति से पूर्व विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत पद एवं क्रमोन्नति पश्चात् विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत नवीन पद, कार्यरत पदों का विद्यालयवार संख्या विवरण

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	क्रमोन्नत राप्रावि से राउप्रावि का नाम	क्रमोन्नति वर्ष	क्रमोन्नति पूर्व विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पद/ कार्यरत की संख्या								क्रमोन्नति पश्चात् विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत नवीन पद/कार्यरत पदों की संख्या											
				स्वीकृत पद			कार्यरत पद					क्रमोन्नति पश्चात् विद्यालय में स्वीकृत नवीन पद		वर्तमान में कुल स्वीकृत पद				वर्तमान में कुल कार्यरत					
				III ग्रेड	शाशि	प्रबोधक	III ग्रेड	शाशि	प्रबोधक	पैरा टीचर	वि-मित्र	II ग्रेड	III ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	शाशि	प्रबोधक	II ग्रेड	III ग्रेड	शाशि	प्रबोधक	पैरा टीचर	वि-मित्र
1.	बिलाड़ा	राउप्रावि वार्ड नं. 8 पीपाड़ सिटी	2009	3	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1	5	0	0	1	3	0	0	0	0
2.	बिलाड़ा	राउप्रावि अम्बेडकर पीपाड़ सिटी	2009	3	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1	5	0	0	1	2	0	0	0	0
3.	बिलाड़ा	राबाउप्रावि बोरून्दा	2009	2	0	0	2	0	0	0	0	1	4	1	6	0	0	1	3	0	0	0	0

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2009 से 2012 तक क्रमोन्नत विद्यालयों एवं कार्मिकों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति वर्ष	प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता		वरिष्ठ अध्यापक		अध्यापक		शा. शिक्षक ग्रेड-II		शा. शिक्षक ग्रेड-III		प्रयोगशाला सहायक	
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1.	रामावि. बिरामी	2009	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	रामावि. लोलावास	2009	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	रामावि. चान्देलाव	2009	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	रामावि. रामासनी	2009	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	रामावि. सम्भाडिया	2009	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	रामावि. वार्ड नं. 14 पीपाड़शहर	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	राउमावि. रियां सैठों की	2012	0	0	1	1	0	0	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	कुल योग		**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों का वेतनमान

386. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं एवं इनमें कुल कितने व्यवस्थापक कार्यरत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। व्यवस्थापकों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या लाभ/सुविधाएं दी जा रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं है? यदि हां, तो क्यों? उपरोक्त व्यवस्थापकों को कितना-कितना वेतन कौन-कौन से मदों में से दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त व्यवस्थापकों को राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी

उत्तर

(1) प्रदेश में 222 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इनमें से सक्रिय 215 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में व्यवस्थापक/मुख्य व्यवस्थापक कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। समिति स्तर से कार्यरत व्यवस्थापकों को समिति के सेवा नियमों के अनुसार तथा संचालक मण्डल के निर्णयानुसार ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, मेडिक्लेम/मेडिकल बिल पुनर्भरण/ चिकित्सा भत्ता आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) जिन समितियों में व्यवस्थापक के पद पर समिति के कर्मचारी नियुक्त हैं, उन व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्योंकि वे राज्य कर्मचारी न होकर सहकारी समिति के कर्मचारी हैं। ऐसे व्यवस्थापकों को राज्य सरकार के बजट मदों से वेतन नहीं दिया जाता है बल्कि समिति के स्तर से ही वेतन का भुगतान किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(सूचियां व पुस्तकालय में रखे गये)

भरतपुर-रूदावल मार्ग हेतु निगम बस सेवा

387. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या यातायात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर से सायं रूपवास होकर जटमासी होते हुए रूदावल रात्रि मुकाम करने वाली बस नहीं चलती है?

(2) क्या सरकार भरतपुर से रूपवास वाया जटमासी रूदावल तक बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोडने की दृष्टि से दिनांक 17.11.2012 को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.01.2013 थी लेकिन कोई निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: दिनांक 14.02.2013 को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिसकी अन्तिम तिथि 30.4.2013 है। निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने एवं प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात वंचित रूपवास, जटमासी एवं रूदावल ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

खान व भू-विज्ञान निदेशक के पद पर तकनीकी अधिकारी का पदस्थापन

388. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग में निदेशक के पद को भरने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नियम के तहत निदेशक पद को विभागीय तकनीकी अधिकारी के माध्यम से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक खान एवं भू-विज्ञान के पद पर विभागीय तकनीकी अधिकारी को पदोन्नत करने के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया हुआ है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पालना निर्धारित अवधि में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान खान एवं भू-विज्ञान सेवा नियम, 1960 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि निदेशक के पद को विभागीय अभ्यर्थियों की पदोन्नति से भरा जायेगा। दिनांक 22.07.2008 को अधिसूचना जारी कर नियमों में यह संशोधन किया गया कि यदि पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो राजस्थायन लोक सेवा आयोग के परामर्श से निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लगाया जा सकेगा। नियमों के सम्बन्धित भाग की प्रति एवं अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट- 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की सहमति से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2010 द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का केडर पद घोषित किया जा चुका है। इस कारण राजस्थान, खान एवं भू-विज्ञान सेवा नियम, 1960 के साथ संलग्न शिड्युल-। में से निदेशक पद को हटाया जाना प्रक्रियाधीन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा केडर नियम, 1954 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.05.2010 से निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का केडर पद घोषित किया गया है।

(3) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16911/2010 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2013 के अनुसार विभागीय अधिकारियों की नियमानुसार पदोन्नति से निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के पद को भरने के आदेश पारित किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2013 की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर के आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई है जो जो विचाराधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झालावाड़ जिले में संचालित छात्रावासों में रिक्त पद

389. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितने महिला व पुरुष छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं तथा उनमें कितने-कितने वार्डन व अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ में विभागीय अधिकारियों के कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? उक्त में से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में जिले के विभिन्न छात्रावासों में छात्रों को कच्ची रोटी/घटिया खाना दिये जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या प्राप्त शिकायतों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 18 छात्रों के एवं 4 छात्राओं के कुल 22 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं उनमें कार्यरत वार्ड व अन्य कर्मचारी की नियुक्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) झालावाड़ में विभाग के अन्तर्गत राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 92 पद स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी का नाम	कुल पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
राज्य सेवा	1	0	1
अधीनस्थ सेवा	30	9	21
मंत्रालयिक सेवा	11	2	9
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग	50	17	33
कुल पद	**92**	**28**	**64**

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। जिले में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय श्री दिनेश तरवाडी, तत्कालीन उपाध्यक्ष, राजस्थांन अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिनांक 14.09.2012 को राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, झालावाड़ के निरीक्षण के दौरान छात्राओं को अच्छा खाना नहीं मिलने की बात कही थी। लेकिन निरीक्षण के दौरान विभाग के जिलाधिकारी झालावाड़ स्वयं भी माननीय उपाध्याक्ष महोदय के साथ थे, इस तरह की कोई शिकायत छात्रावास में नहीं थी। उक्त समाचार मीडिया में आने के कारण छात्रावास के इन्चार्ज शिक्षा विभाग की अध्यापिका को हटा दिया गया।

परिशिष्ट "अ"

विभाग द्वारा झालावाड़ जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों का विवरण

क्र. सं.	नाम छात्रावास	वर्ग	बालक/कन्या	छात्रावासों में नियुक्त छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का विवरण	
				छात्रावास अधीक्षक	अन्य कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पिड़ावा	SC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तोपखाना, झालावाड़	SC	बालक	कार्यरत	कार्यरत (2)
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उन्हेल नागेश्वर	SC	बालक	कार्यरत	जाब बेसिस (2)
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीलवाड़ी	SC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (1) कार्यरत (1)
5.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डग	SC	कन्या	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
6.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, झालावाड़	SC	कन्या	अतिरिक्त चार्ज	कार्यरत (2)
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अकलेरा	ST	बालक	अतिरिक्त चार्ज	कार्यरत (2)
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खानपुर	ST	बालक	कार्यरत	जाब बेसिस (2)

1	2	3	4	5	6
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मनोहर थाना	ST	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (1) कार्यरत (1)
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मु. झालावाड़	ST	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (1) कार्यरत (1)
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुनेल	ST	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सारोला कलां	ST	बालक	कार्यरत	जाब बेसिस (2)
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कालूखेड़ी कलां	ST	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चौमहला	OBC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	कार्यरत (2)
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झालरापाटन	OBC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	कार्यरत (2)
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भवानी मण्डी	scavanger	बालक	कार्यरत	कार्यरत (2)
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बकानी	scavanger	बालक	कार्यरत	जाब बेसिस (2)
18.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सरड़ा	scavanger	कन्या	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (1) कार्यरत (1)
19.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खानपुर	OBC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
20.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अकलेरा	OBC	बालक	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (2)
21.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास झालावाड़	ST	कन्या	अतिरिक्त चार्ज	जाब बेसिस (3)
22.	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, झालावाड़	SBC	बालक	कार्यरत	जाब बेसिस (1) कार्यरत (1)

परिशिष्ट "ब"

झालावाड़ जिले में विभाग के अन्तर्गत श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण

लेखे के शीर्ष/दीर्घ शीर्ष/उप दीर्घ शीघ्र/ लघु शीर्ष/ उप शीर्ष	पदनाम	वर्तमान में पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
जिला कार्यालय	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	1	0	1	7.11.2012
	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	1	1	0	—
	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1	2005
	स्टेनो	1	0	1	1.04.2012
	सूचना सहायक	1	1	0	
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	0	
	कनिष्ठ लिपिक	3	0	3	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1	जुलाई 2012
छात्रावास	छात्रावास अधीक्षक	22	6	16	रिक्त पदों की दिनांक परिशिष्ट "अ" पर अंकित है
	चौकीदार	22	10	12	
	रसोईयां	23	6	17	
	अधीक्षक	1	0	1	2007

1	2	3	4	5	6
राज. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह झालावाड़	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	1	1	0	
	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1	2007
	रसोईयां	1	0	1	1.04.2012
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1	1.04.2012
	केयर टेकर	3	0	3	1.04.2012
जिला बाल संरक्षण इकाई झालावाड़	सहायक निदेशक	1	0	1	1.04.2012
	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	1	1	0	
	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	1	0	1	1.04.2012
	लेखाकार	1	0	1	1.04.2012
	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1	1.04.2012
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1	1.04.2012

पाली जिले के माध्यमिक विद्यालय रहित पंचायत मुख्यालय

390. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला पाली में कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं तथा उनके क्या कारण रहे? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय की घोषणा की गई थी।

जिला पाली के जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में माध्यमिक शिक्षा संचालित नही है का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां रामावि संचालित नहीं
1.	बाली	आमलिया
2.	बाली	काकरडी
3.	बाली	मिरगेश्वर
4.	मारवाड जंक्शन	बासनी जोजावर
5.	मारवाड जंक्शन	हिंगोला खुर्द
6.	मारवाड जंक्शन	चौकडीया
7.	मारवाड जंक्शन	जिजरडी
8.	पाली	सिरणदारी
9.	सुमेरपुर	दयालपुरा
10.	सुमेरपुर	बडेरवास
11.	सुमेरपुर	एरनपुरा

(शिक्षा मंत्री)

चूंकि उक्त सभी ग्राम पंचायतों के अन्य ग्राम में पूर्व से ही राजकीय माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित है, अत: इन्हें क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री के बजट घोषणानुसार वर्ष 2013-14 में 1000 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में माध्यामिक विद्यालय संचालित हो।

अत: घोषणानुसार विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जावेंगे।

फुलेरा में प्रस्तावित नवीन गैस एजेन्सी

391. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम एवं मानदण्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौन सी गैस एजेन्सी कहां-कहां पर कब से संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु आवेदन मांगे गये थे और आबंटित करने के उपरान्त आबंटन निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो आवेदन कब मांगे गये, किन-किन ने आवेदन किया, किसको गैस एजेन्सी आबंटित की गई और किन कारणों से आबंटन निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि फुलेरा कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो विज्ञप्ति कब जारी की गई और किस कारण से उक्त विज्ञप्ति को निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार किशनगढ़-रेनवाल एवं फुलेरा कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि; जयपुर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

से प्राप्त नई गैस एजेन्सी स्थापित करने के नियम एवं मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में 4 गैस एजेन्सियां संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम एजेन्सी एवं स्थान	कब से संचालित है
1	अन्नपूर्णा भारत गैस, नरायणा बीपीसीएल	15.05.2004
2	शहीद आनन्दसिंह गैस एजेन्सी, सांभर एचपीसीएल	30.06.2001
3	दी वेस्टर्न रेल्वे एम्पलाइज कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसायटी लि., फुलेरा आईओसीएल	21.08.1995
4	बधाल इण्डियन वितरक, बधाल आईओसीएल	21.12.2011

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि; जयपुर से प्राप्त सूचनानुसार किशनगढ-रेनवाल कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु दिनांक 03.11.2007 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गये थे। साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यार्थियों एवं चयनित अभ्यार्थियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। चयनित अभ्यार्थियों में से साक्षात्कार के दौरान तेल कम्पनियों की नीति/गाइडलाइन्स/विज्ञापन के अनुरूप अनुभव के मानदण्ड पर सही नहीं पाये जाने के कारण प्रथम स्थान पर हेमलता कुमावत (क्र.सं. 55) का चयन निरस्त किया गया इस सम्बन्ध में गैस कम्पनी के पत्र दिनांक 14.02.2013 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

इनके निरस्तीकरण के बाद द्वितीय स्थान पर चयनित श्री रणजीत सिंह (क्र.सं.59) को एजेन्सी आबंटित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि., जयपुर से प्राप्त सूचनानुसार फुलेरा कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु बीपीसीएल कम्पनी द्वारा दिनांक 13.12.2012 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, किन्तु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार उक्त विज्ञप्ति को ABEYANCE में रखा गया एवं तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अभ्यार्थियों को मूल ही आवेदन शुल्क के साथ लौटाये गये हैं।

(5) इस बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में समाहित है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जमवारामगढ़ की ग्रामीण निगम बस सेवाओं का पुनः संचालन

392. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या यातायात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में रोडवेज की कितनी-कितनी बसें कहां-कहां संचालित हैं? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संचालित बसों में से कटौती कर टोडा बिलोद, बिरासना, थौलाई खवारानीजी, पापड, साहू, रावरी, इन्द्रगढ़, घाटा-जलधारी नीमला, डांगरवाड़ा एवं बहलोड आदि गांवों की बसों को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इनके बंद करने के क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में पुन: रोडवेज की बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा प्रश्नगत स्थानों के लिए जिन मार्गों की सेवाएं संचालित हैं, उनमें मार्ग के सामने प्रश्नगत स्थान का नाम अंकित करते हुए सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

निगम द्वारा निम्न स्थानों के लिए बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है :-

1	बिलोद	इन स्थानों के लिए पर्याप्त आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार न मिलने के कारण बस सेवाओं का संचालन बन्द कर दिया गया है। संचालन बन्द करने की तिथि से पूर्व के 6 माहों में प्राप्त औसत आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।
2	घाटा जलधारी	
3	बिरासना	यह स्थान राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(यातायात राज्यमंत्री)

4	निमला	यह स्थान अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर होने के कारण पूर्व में निगम द्वारा बस सेवा का संचालन नहीं किया गया। इस स्थान को राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत इन ग्राम पंचायतों को यथा : बिलोद, बिरासना, निमला को बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या "2" के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट "2" में अंकित स्थानों के लिए निगम बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। परन्तु जिन स्थानों के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है उन्हें राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है। जिनके लिए दिनांक 14.02.2013 को निविदाऐं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथी दिनांक 30.04.2013 है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की सूची

आगार	क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3	4
वैशाली नगर	1.	बड़ी चौपड़-साहू वाया रामगढ़	08
	2.	बड़ी चौपड़-खवारानी वाया रामगढ़	08
	3.	बड़ी चौपड़-डांगरवाडा वाया रामगढ़-आंधी	02
	4.	बड़ी चौपड़-इन्द्रगढ़ वाया सायपुरा	02
	5.	बड़ी चौपड़-निम्मी वाया ढण्ड भानपुर	08
	6.	बड़ी चौपड़-टोडामीणा वाया ढण्ड भानपुर	08
	7.	घाटगेट-नक्ची घाटी वाया कानोता	06
विद्याधर नगर	8.	बडी चौपड़-आंधी वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़	02

1	2	3	4
विद्याधर नगर	9.	बडी चौपड़-रायसर वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, मातासूला	02
	10.	बडी चौपड़-बहलोद वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, रायसर	08
	11.	बडी चौपड़-रायसर वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, गोपालगढ़, सामरेड	08
	12.	बडी चौपड़-मेंहगी वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, थौलाई, दांतली	02
	13.	बडी चौपड़-बांकीमाता वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, रायसर	02
	14.	छोटी चौपड़-राहोरी वाया कानोता, नायला	10
	15.	छोटी चौपड़-पापड़ वाया कानोता, नायला	06
दौसा	16.	मांजी की छतरी-टहला	02
	17.	मांजी की छतरी-चांदराना	06
	18.	मांजी की छतरी-फूटाला	04
कोटपूतली	19.	शाहपुरा-दौसा वाया गढवाड़ी, बहलोद, रायसर, आंधी, भावनी	02
	20.	टकसाल-प्रतापगढ़ वाया राजपुरादास, तालाधौला	17
	21.	टकसाल-प्रतापगढ़-थानागाजी वाया राजपुरावास, तालाधौला	05
	22.	भीकमपुर-प्रतापगढ़-टकसाल वाया राजपुरावास, तालाधौला	02
	23.	टकसाल-गठवाड़ी-बोबाड़ी	06
	24.	टकसाल-गठवाड़ी	02

परिशिष्ट-2

प्रश्न के भाग संख्या-2 में अंकित स्थानों में से जिन स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित हैं-उनकी सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	प्रश्नगत स्थान का नाम
1.	बड़ी चौपड़-टोडामीणा वाया ढण्ड, मानपुर	टोडा
2.	बड़ी चौपड़-मेंहगी वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, थौलाई, दांतली	थौलाई
3.	बड़ी चौपड़-खवारानी वाया रामगढ	खवारानी
4.	छोटी चौपड़-पापड़ वाया कानोता, नायला	पापड़
5.	छोटी चौपड़-राहोरी वाया कानोता, नायला	राहोरी
6.	बड़ी चौपड़-डांगरवाड़ा वाया रामगढ़-आंधी	डांगरवाड़ा
7.	बड़ी चौपड़-बहलोद वाया सड़वा, सायपुरा, लाली, रामगढ़, रायसर	बहलोद

परिशिष्ट-3

बिलोद एवं घाटा जलधारी स्थानों के लिए पूर्व में संचालित बस सेवाओं को प्राप्त हुए गत छह माह का औसत आय प्रति किमी. एवं यात्रीभार का विवरण

1. बड़ी चौपड़ से बिलोद

माह	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)
जुलाई, 11	12.61	45
अगस्त, 11	13.06	46
सितम्बर, 11	12.42	44
अक्टूबर, 11	12.45	41
नवम्बर, 11	12.01	40
दिसम्बर, 11	09.20	30

2. बड़ी चौपड़ से घाटा

माह	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)
अगस्त, 12	10.43	34
सितम्बर, 12	10.46	32
अक्टूबर, 12	10.56	32
नवम्बर, 12	11.20	35
दिसम्बर, 12	09.80	30
जनवरी, 13	09.52	29

श्रीगंगानगर जिले के डोडा पोस्त व्यसनियों की चिकित्सकीय जांच

393. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले में डोडा पोस्त के परमिटधारी कुल कितने व्यक्ति हैं? उक्त का क्रम संख्या, नाम एवं गांव सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परमिटधारी पोस्त व्यसनियों की मेडिकल जांच करवाई गई है? यदि हां, तो वर्तमान में नशा करने की क्या स्थिति है? यदि नहीं तो सरकार उक्त व्यसनियों का कब तक मेडिकल परीक्षण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में डोडा पोस्त के परमिटधारी व्यक्तियों की वर्ष 2012-13 में कुल संख्या 3101 है, जिनकी क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम एवं पते का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मेडिकल जांच में इन्हें डोडा पोस्त का व्यसनी पाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लिबर्टी स्कूल आफ नर्सिंग, मानसरोवर, जयपुर के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति का पुनर्भरण

394. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राजकीय अथवा मान्यता प्राप्ति संस्थानों में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के समय विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के भुगतान पुनर्भरण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लिबर्टी स्कूल आफ नर्सिंग, मानसरोवर जयपुर को वर्ष 2009-10 के बैच में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कोर्स कर रहे अनूसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की छात्रवृत्ति अब तक स्वीकृत नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे तथा क्या सरकार उक्त बकाया छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। लिबर्टी स्कूल आफ नर्सिंग मानसरोवर, जयपुर में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं के सर्वे हेतु व्यय राशि

395. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्यालयों में प्रवेश, विद्यालयों में पानी बिजली व्यवस्था, खेल मैदान एवं कक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी एन.जी.ओ. को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या विभाग द्वारा इन एन.जी.ओ. से जानकारी प्राप्त करने के बदले निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में संचालित विद्यालयों में उक्त सभी जानकारी उपलब्ध है? यदि हां, तो फिर एन.जी.ओ. को नियुक्त करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इन जानकारियों को प्राप्त करने हेतु किसी एन.जी.ओ. को नियुक्त नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार के निर्देशानुसार नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रचार-प्रसार एवं प्रावधानों के बारे में जन जागरण करने के उद्देश्य से ''शिक्षा का हक अभियान'' चलाया गया था, जिनमें एन.जी.ओ. द्वारा उपलब्ध करवाये गये स्वयं सेवक एवं एस.टी.सी./बी.एड. में अध्ययनरत छात्राध्यापक/असेवारत स्वयं सेवकों द्वारा संलग्न प्रपत्रानुसार परिशिष्ट ''क'' विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षा व्यवस्था, खेल मैदान का उपयोग आदि पर एस.एम.सी. सदस्यों, अध्यापकों एवं बालकों से फीडबैक, चर्चा तथा संवाद किया जाना अपेक्षित है।

(2) जी नहीं। एन.जी.ओ. को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, परन्तु स्वयं सेवकों के प्रति विजिट 200/- रुपये का भुगतान कार्य सम्पन्नता के प्रमाणीकरण के पश्चात् दिए जाने का प्रावधान है।

(3) विद्यालयों में जानकारियां प्राप्त करना इस अभियान का मूल उद्देश्य नहीं था। शिक्षा का हक अभियान का मूल उद्देश्य नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रचार-प्रसार एवं जन जागरण करना है। इसके साथ ही विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे कक्षा व्यवस्था, खेल का मैदान का उपयोग आदि पर एस.एम.सी. सदस्यों, अध्यापकों व बालकों से फीड बैक, चर्चा तथा संवाद किया जाना अपेक्षित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोतर

धौलपुर जिले के औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

465. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा धौलपुर जिले के औद्योगिक विकास के लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला धौलपुर में उक्त अवधि में कितने लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में स्थापित उक्त उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में कितने लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग बंद हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर के औद्योगिक विकास के क्रम में रीको द्वारा 5 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं पिछले पांच वर्षों में इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है:-

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र	वर्षवार व्यय की गई राशि रु. (लाखों में)					
		2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13 (31.01.13)**
1.	ग्रोथ सेन्टर धौलपुर	-	2.28	142.66	88.38	85.37	-
2.	ग्रोथ सेन्टर (विस्तार) धौलपुर	172.74	0.70	8.44	18.08	83.79	33.37
3.	ओडेला रोड धौलपुर	1.21	8.67	0.99	85.06	0.54	-
4.	बाडी	-	-	-	7.71	22.83	7.81
5.	स्टोन पार्क, विश्नोदा, धौलपुर	395.23	437.45	27.19	0.61	3.84	-

(उद्योग मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा जारी क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011-12 मे भी धौलपुर जिला शामिल है। रीको द्वारा इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण कर समय पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर 16 आवेदकों को लाभ दिया जाना स्वीकृत किया गया है।

(2) धौलपुर जिले में उक्त अवधि में 23 लघु उद्योग एवं 2 मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं तथा वृहद उद्योग कोई भी स्थापित नहीं हुआ है।

(3) उक्त अवधि में स्थापित उद्योगों में 450 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(4) ऐसी सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

कोटा जिले में वर्जित स्थानों पर संचालित शराब की दुकानों की प्राप्त शिकायतें

466. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत चार वर्षों में कोटा जिले में मन्दिरों, अस्पतालों एवं स्कूलों जैसे वर्जित स्थानों के आस-पास शराब की दुकानें होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं हटाई गई दुकानों का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले में गत चार वर्षों (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13) में मन्दिरों, अस्पतालों एवं स्कूलों जैसे वर्जित स्थानों के आस-पास शराब की दुकानें होने के सम्बन्ध में 21 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों का तहसीलवार विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 एवं हटाई गई दुकानों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बलदेवगढ़ ग्राम (अलवर) की खनन लीज संख्या 239/87 के पुनः संचालन हेतु अनुमति

467. **श्री आदराम मेघवाल** (पीलीबंगा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री आदराम मेघवाल)

(1) ग्राम बलदेवगढ़ तहासील राजगढ़ जिला अलवर में खान संख्या 239/87, खसरा नं. 226 में कब से किस आबंटी के नाम दर्ज है?

(2) उक्त खान कब से और किस कारण बंद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) न्यायालय द्वारा उक्त खान के सम्बन्ध में किस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय हुआ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) आर पी जी 2011 दिनांक 31 जुलाई, 2012 एवं आर.पी.जी. प.1 (2) 2011 दिनांक 26 जुलाई, 2012 की पालना में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त खनन पट्टा राडा मानते हुए बन्द किया गया है?

(6) सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टे की कब-कब जांच कराई गई?

(7) क्या यह भी सही है कि खनिज अभियंता के पत्र क्रमांक/ख-अ/अल/मार्बल/अना/2011 के द्वारा सरकार को अवगत कराया कि उक्त संख्या 219 में गैर मुमकिन में राडा का सम्बन्ध नहीं बनता?

(8) क्या सरकार अब उक्त पट्टे को खनन क्षेत्र आबंटी को चालू करने की अनुमति देने का विचार रखती है?

(9) क्या सरकार हाई कोर्ट एवं संभागीय आयुक्त के निर्णय एवं सरकार के आर पी जी की पालना करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम बलदेवगढ़ (तहसील राजगढ़) जिला अलवर में खनन पट्टा संख्या 239/87 श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्रा निवासी दौसा के पक्ष में पंजीयन दिनांक 12.1.1988 से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत खनन पट्टा पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व पटवारी के सत्यापन के अनुसार खसरा नम्बर 84 सिवाय चक बिना लगानी गैरमुमकिन पहाड़ एवं खसरा संख्या 85 चरागाह में होना मानकर स्वीकृत किया गया था लेकिन वर्तमान में की गई जांच में क्षेत्र के अन्य खसरों में पड़ने की रिपोर्ट प्राप्त होने से इसके सम्बन्ध में प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 920/2013 राज्य सरकार बनाम चन्द्रशेखर शर्मा विचाराधीन है। मामला न्यायिक प्रक्रियाधीन होने से खनन पट्टा क्षेत्र के खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है।

(खनिज मंत्री)

(2) उक्त खनन पट्टा क्षेत्र संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 22.02.2007 के अनुसार गैर मुमकिन राडा में होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7.5.92 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण पूर्वानुमति प्रस्तुत नहीं करने तक पट्टेधारी को दिनांक 23.2.2007 से खनन/निर्गमन नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। तभी से खनन कार्य निरन्तर बन्द है। उक्त रिपोर्ट/अधिसूचना/पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 से 3 पर उपलब्ध है।

(3) खान बन्द कराने हेतु जारी पत्र दिनांक 23.2.2007 के विरुद्ध एस.बी. सिविल रिट पिटीशीन संख्या 1668/07 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में श्री चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 24.1.08 द्वारा आदेश दिए गए कि यदि खनन पट्टे का नवीनीकरण हो चुका है तो खनन पट्टे को खसरा नंबर 226 की भूमि में सीमांकित किया जावे। लेकिन उक्त खनन पट्टे का नवीनीकरण लम्बित होने के कारण निर्णय दिनांक 24.1.2008 की पालना नहीं हो सकी है। निर्णय दिनांक 24.1.2008 की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

श्री चन्द्रशेखर शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में अवमानना याचिका संख्या 360/2008 दायर की जो निर्णय दिनांक 18.5.12 से खारिज हो गई। निर्णय दिनांक 18.5.2012 की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

जिला कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 16.7.2009 की पालना में किए गए संयुक्त सर्वे दिनांक 1.8.2009 के विरुद्ध श्री चन्द्रशेखर शर्मा ने न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर में अपील प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 14.11.2011 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए कि जिला कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 16.7.2009 एवं उनकी अनुपालना में तैयार की गई संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 1.8.2009 को निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2011 की प्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में अपील दायर की जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 18.2.2013 से निर्णय दिनांक 14.11.2011 में विवादित आराजी की मौके की स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिए हैं जिसमें आगामी तारीख पेशी 15.4.2013 नियत है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 18.2.2013 की प्रति परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है।

(4) जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्र दिनांक 26.7.2012 एवं 31.7.2012 के द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 14.11.2011 की पालना कराई जाकर सूचना चाही गई

(खनिज मंत्री)

थी लेकिन निर्णय दिनांक 14.11.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में दायर अपील में आदेश दिनांक 18.2.2013 द्वारा यथास्थिति के आदेश दिए जाने से निर्णय दिनांक 14.11.2011 की पालना नहीं की जा सकी।

(5) जी हां। प्रश्न के भाग संख्या 2 में उल्लेखित विवरण के अनुसार उक्त खनन पट्टा क्षेत्र गैर मुमकिन राडा में होने के कारण पर्यावरण पूर्वानुमति प्रस्तुत नहीं करने से खनन कार्य बन्द करवाया गया है।

(6) सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टे की दिनांक 10.3.2005, 7.4.2005, 22.2.2007, 11.6.2009 एवं 1.8.2009 को जांच कराई गई।

(7) जी नहीं। खनि अभियन्ता, अलवर के पत्र क्रमांक खअ/अल/मार्बल/अना/2011/1819-1225 दिनांक 19.10.2012 द्वारा उक्त खनन पट्टे की वस्तुस्थिति उल्लेखित करते हुए लिखा गया था कि "यदि मूल स्वीकृति के समय उल्लेखित खसरा नम्बर 84 एवं 85 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो हाल खसरा नम्बर 219 गैर मुमकिन राडा का कोई सम्बन्ध उक्त क्षेत्र से नहीं बनता है लेकिन दिनांक 1.8.2009 को संयुक्त निरीक्षण एवं इससे पूर्व किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार क्षेत्र खसरा नम्बर 219 गैर मुमकिन राडा में आता है।" पत्र दिनांक 19.10.2012 की प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(8) उक्त प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 18.2.2013 से निर्णय दिनांक 14.11.2011 में विवादित आराजी मौके की आज की स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिये हैं। वर्तमान में यथास्थिति के आदेश होने तथा प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने से खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य चालू करने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

(9) उक्त प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने से माननीय उच्च न्यायालय व माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के निर्णय की अनुपालना करना उचित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ में निर्मित उप-कारागृह में कैदियों को देय सुविधाएं

468. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कारागार राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उप कारागृह का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब व इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप कारागार में कितने कैदियों के रखने की क्षमता है? क्या उक्त उप कारागार में कैदियों को समस्त सुविधाएं दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप कारागृह बहरोड़ का वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 की अवधि में निर्माण कराया गया तथा वर्ष 1980 में इसे प्रारम्भ किया गया था। इस उप कारागृह के निर्माण पर 3.50 लाख रुपये व्यरय हुये थे।

(2) उप कारागृह बहरोड में विभागीय नियमों के अनुसार 25 कैदियों को रखे जाने की क्षमता है। उप कारागृह में निरुद्ध बंदियों को जेल मैन्युअल के अन्तर्गत देय समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

सलूम्बर में उप कारागृह की स्थापना

469. **श्रीमती बसन्ती देवी मीणा** (सलूम्बर) : क्या कारागार राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के थाना सराड़ा, सेमारी एवं जावर माइन्स का न्यायालय सराड़ा है? क्या सरकार इस न्यायालय का उप कारागार सलूम्बर में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला उदयपुर के थाना सराड़ा, थाना सेमारी एवं थाना जावर माइन्स का न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सराड़ा है। इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा मे भेजे जाने वाले व्यक्तियों को रखे जाने हेतु उप कारागृह सलूम्बर पूर्व से खुला हुआ है।

आसींद के मंदिरों पर व्यय राशि

470. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र आसींद में देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत मंदिरों पर 31 मार्च, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक किन-किन मंदिरों पर कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसींद में देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत मंदिरों पर 31 मार्च, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र आसींद देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत मन्दिरों पर 31 मार्च, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक मन्दिरों पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	नाम मन्दिर	व्यय की गई राशि (रुपयों में)				
		31.3.09	31.3.10	31.3.11	31.3.12	31.3.13
1	2	3	4	5	6	7
1.	मंदिर श्री बाणनाथजी आसींद भीलवाड़ा	9600	9600	9600	0	0
2.	मंदिर श्री माताजी व आसिंदराय जी आसींद भीलवाडा	311812	9000	9000	11625	0
3.	मंदिर श्री माजी सा. का नया मंदिर आसींद बावड़ी भीलवाड़ा	455821	11100	11100	13735	0
4.	मंदिर श्री दुलेगोपाल जी आसींद भीलवाड़ा	314181	9600	9600	12225	0
5.	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी आसींद भीलवाड़ा	411469	9600	9600	12225	0
6.	मंदिर श्री नवलबिहारी आसींद भीलवाड़ा	15512	259662	301017	15443	0
7.	मंदिर श्री महासतिया जी आसींद भीलवाड़ा	9000	9000	9000	11625	0

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
8.	मंदिर श्री गोपलेश्वर जी आसींद भीलवाड़ा	19916	13420	13954	23595	0
9.	मंदिर श्रीराठौड़ जी का मंदिर आसींद भीलवाड़ा	9600	9600	9600	12225	0
10.	मंदिर श्री महादेव जी बाड़ी में आसींद भीलवाड़ा	0	0	0	0	0
11.	मंदिर श्री चारभुजा जी ग्राम करजालिया तहसील आसींद भीलवाड़ा	9000	9000	174446	0	0

चूरू जिले में स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

471. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चूरू जिले में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक कुल कितने अधिकृत राशन विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किये गये तथा उक्त अवधि में कुल कितने राशन डीलरों के लाइसेंसों को अनियमितता के कारण निलम्बित व रद्द किया गया तथा निलम्बित व रद्द किये गये डीलरों को पुन: कब व क्यों बहाल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला चूरू में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक कुल 133 लाइसेन्स जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त अवधि में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमितता के कारण अनुज्ञापत्र निलम्बन तथा बहाल किये गये, की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा रद्द किये गये प्राधिकार पत्रों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

उक्तविधि में चूरू जिले में रसद विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं के लाइसेन्स रद्द करने के बाद पुन: बहाल किये गये लाइसेन्सधारियों की सूची, बहाल करने के कारण सहित परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अन्त्योदय परिवारों को रियायती गैस कनेक्शन

472. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो उक्त योजना के समस्त प्रावधान एवं मानदण्ड सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक किस-किस जिले में किस-किस गैस एजेन्सी द्वारा कितने-कितने बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीपीएल को रियायती गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाली योजनान्तर्गत बीपीएल से भी निम्न श्रेणी में आने वाले अन्त्योदय परिवारों को गैस कनेक्शन आबंटित नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो 1 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक कितने अन्त्योदय परिवारों को रियायती गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के निर्देशानुसार तेल विपणन कम्पनियों द्वारा केवल बीपीएल परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के तहत रियायती गैस कनेक्शन (एक सिलेण्डर एवं एक रेग्यूलेटर नि:शुल्क गैस कम्पनी द्वारा) की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त योजना के समस्त प्रावधान एवं मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक बीपीएल कार्डधारकों को उपलब्ध कराये गये रियायती गैस कनेक्शनों की कम्पनीवार/ एजेन्सीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि; जयपुर से प्राप्त सूचनानुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार तेल विपणन कम्पनियों द्वारा केवल बीपीएल परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के तहत सिक्योरिटी फ्री नये गैस कनेक्शन (एक सिलेण्डर एवं एक रेग्यूलेटर नि:शुल्क गैस कम्पनी द्वारा) उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी श्रेणी के लिए यह योजना लागू नहीं है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर जिले के पुस्तकालय-रहित उच्च प्राथमिक विद्यालय

473. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में गत वर्ष सर्वशिक्षा अभियान की ओर से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई गई थी?

(2) उक्त योजनाओं में कौन-कौन से विद्यालय चयनित किये गये और उनमें कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विद्यालय के नाम, पता व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में कौन-कौन से विद्यालय शेष रहे हैं जिनमें पुस्तकालय खोले जाना बाकी हैं? नाम व पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सत्र 2011-12 में 218 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये। प्रत्येक विद्यालय को 13,000/- रुपये की दर से कुल 28.34 लाख रुपये जारी किये गये हैं। विद्यालयों की ब्लाकवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा सत्र 2012-13 में 157 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 13,000/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि 20.41 लाख रुपये जारी की गई है, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सत्र 2012-13 में क्रमोन्नत हुये निम्न विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापना की जा चुकी है :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1	राउप्रावि धुवास कोटरा धौलपुर	6	राउप्रावि बिदरपुर, बसेड़ी
2	राउप्रावि धुवास, बाडी	7	राउप्रावि कछपुरा, बसेड़ी
3	राउप्रावि टोडपुरा, बाडी	8	राउप्रावि बागथर, बसेड़ी
4	राउप्रावि गुजर्राकलां, बाडी	9	राउप्रावि बरौली, बसेड़ी
5	राउप्रावि धेनरा, बसेड़ी	10	राउप्रावि बगचौली लोधा, राजाखेड़ा

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डेगाना के चारदीवारी रहित विद्यालय

474. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के चारदीवारी रहित विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना में व कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत चारदीवारी विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित होने वाली आगामी वर्षों की कार्ययोजना में स्वीकृत बजट की सीमा में चारदीवारी का निर्माण कराया जा सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर चारदीवारी निर्माण सम्बन्धी प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर उक्त क्षेत्र के चारदीवारी विहीन विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण करवाया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माथूवाड़ा (ब्यावर) का नवीन भवन में स्थानान्तरण

475. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माथूवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को नवीन भवन में स्थानान्तरित करने हेतु कब-कब प्रस्ताव भेजे गये व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह)

(3) अब उक्त विद्यालय को नवीन भवन में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सत्र 2004-05 में माथूवाड़ा को उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माथूवाड़ा हेतु नवीन विद्यालय भवन का निर्माण नहीं करवाया गया है। अपितु राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माथूवाड़ा की भूमि पर नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 3 कमरों, एक वाटर टैंक, एक टायलेट एवं एक रैम्प का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ ही सत्र 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्मित नवीन भवन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माथूवाड़ा संचालित हो रहा है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माथूवाड़ा की विद्यालय विकास समिति द्वारा दिनांक 11.04.2011 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर, छात्र हित में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन में तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालय को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रस्ताव की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक ने दिनांक 19.02.2013 को विद्यालय का स्थानान्तरण का निर्णय लेकर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा का अनुमोदन चाहा गया है।

(3) निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर का अनुमोदन उपरान्त विद्यालय का स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का नियमन

476. सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में कितने विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्टर "क-1" तथा परिशिष्ट "क-2" पर संलग्न है।

(2) विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तथा इनको स्थाई करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में स्वीकृत नये तकनीकी शिक्षण संस्थान

477. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता-बारां): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में किस-किस स्थान पर कौन-कौन से नये तकनीकी शिक्षा संस्थान किस-किस मद में स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किस-किस तकनीकी संस्थान में क्या-क्या पाठ्यक्रम स्वीकृत हुआ एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितनी-कितनी प्रवेश क्षमता निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत तकनीकी संस्थान किस-किस सत्र से प्रारम्भ हो चुके हैं एवं इनमें किस-किस पाठ्यक्रम में कितना-कितना नामांकन रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन पालिटेक्निक एवं आई.टी.आई. शाखा से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :-

पालिटेक्निक शाक्षा

सत्र	संस्थान का नाम	मद
2010-11	राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय बारां (वर्तमान में संस्थान के स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण होने तक राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में संचालित)	केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत
2011-12	राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा (जिला बारां) भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है तथा भवन निर्माणाधीन है।	राज्य योजना के अन्तर्गत

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

आई.टी.आई. शाखा

बारां जिले में वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में वर्ष 2011-12 में 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहबाद सहरिया जाति के अभ्यर्थियों के लिये स्वीकृत की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

उक्त अवधि में स्वीकृत हुए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय बारां में स्वीकृत पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता का विवरण निम्नानुसार है :-

स्वीकृत पाठ्यक्रम	**प्रवेश क्षमता**
सिविल	40
मैकेनिकल	40
इलेक्ट्रीकल	40
योग	**120**

राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा का भवन निर्माणाधीन है। पाठ्यक्रम AICTE नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत नहीं है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहबाद में स्वीकृत पाठ्यक्रमों एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में सुपरन्यूमेररी स्थानों सहित अधिकतम प्रवेश क्षमता का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत पाठ्यक्रमों एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में सुपरन्यूमेररी स्थानों सहित अधिकतम प्रवेश क्षमता का विवरण परिशिष्ट-2 में समाहित है।

(3) सत्र 2010-2011 से प्रारम्भ राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :-

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

स्वीकृत पाठ्यक्रम	**नामांकन हुए विद्यार्थियों की संख्या**		
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**
सिविल	44	42	42
मैकेनिकल	44	42	41
इलेक्ट्रीकल	44	41	42
योग	**132**	**125**	**125**

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा का भवन निर्माणाधीन है। पाठ्यक्रम AICTE नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत नहीं होने के कारण संस्थान प्रारम्भ नहीं हुआ है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहबाद अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा के व्यवसाय मैकेनिक डीजल की 01 यूनिट को शाहबाद के लिये आरक्षित किया गया है एवं सत्र 2011-12 से प्रवेश दिये जा रहे हैं। सत्र 2011-12 में उक्त यूनिट में 21 एवं सत्र 2012-13 में भी 21 अभ्यर्थियों के नामांकन हुए। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रारम्भ सत्र एवं पाठ्यक्रमवार नामांकन विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में विधवा/वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

478. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के वृद्वावस्था एवं विधवा महिलाओं की पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड क्या निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में अलवर जिले में वृद्धावस्था व विधवा महिला पेंशन के लिये कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने लोगों को पेंशन वितरित की गई? वर्षवार व वर्गवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अलवर जिले में कितने

(श्री रामहेत सिंह)

लोगों ने उक्त पेंशन के लिये आवेदन किया तथा कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्धावस्था पेंशन एवं राज्य विधवा पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2, 3 पर संलग्न है।

(2) गत चार वर्षों में अलवर जिले में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन हेतु किये गये आवेदन एवं वितरित किये गये लाभार्थियों का वर्षवार व वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	आवेदकों की संख्या		लाभार्थियों की संख्या जिनको पेंशन वितरित की गई	
		वृद्धावस्था	विधवा	वृद्धावस्था	विधवा
1.	2008-09	3373	2881	3871	2879
2.	2009-10	3979	3046	3977	3044
3.	2010-11	11473	6064	11426	6036
4.	2011-12	4273	3243	4191	3192

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अलवर जिले में पेंशन के लिये किये गये आवेदनों एवं स्वीकृत किये गये आवेदनों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीम के छात्रावासों में देय सुविधा

479. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र एवं छात्राओं के लिये होस्टल संचालित किये जा रहे हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त संचालित होस्टल में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे-सर्दी में रजाई, स्वेटर आदि उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो रजाई किन-किन होस्टल में कब-कब वितरण की गई एवं इनकी अवधि के मानदण्ड क्या तय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संचालित होस्टलों में क्या खाने-पीने की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब छात्र-छात्राओं के लिए 3 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत क्षमता	लाभान्वित संख्या
1.	राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति) छात्रावास, भीम	50	50
2.	राजकीय अम्बेडकर (स्वच्छकार) छात्रावास, देवगढ़	35	32
3.	राजकीय सावित्री बाई फुले (स्वच्छकार) छात्रावास, देवगढ़	35	35

(2) उक्त संचालित छात्रावासों में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे रजाई/कम्बल, स्वेटर, गणवेश आदि सम पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के अनुसार आवासरत प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 2-2 कम्बल दिए जाने का प्रावधान है नियमों में रजाई का दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	कम्बल वितरण करने का माह
1.	राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति छात्रावास, भीम	नवम्बर, 2012
2.	राजकीय अम्बेडकर (स्वच्छकार) छात्रावास देवगढ़	अक्टूबर, 2012
3.	राजकीय सावित्री बाई फुले (स्वच्छकार) छात्रावास, देवगढ़	सितम्बर, 2012

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड II के नियम 17(11) में उल्लेखित अनुलग्नक खण्ड ख के अनुसार कम्बल की निर्धारित अवधि 5 वर्ष तय है।

(3) उक्त छात्रावासों में खाने-पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से एवं नियमानुसार संचालित की जा रही है। छात्रावासी छात्र-छात्राओं के लिए भोजन व अन्य सुविधाओं पर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 7 (2)()राछा/सान्याअवि/11/41746 जयपुर दिनांक 26/5/2011

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की घोषणा संख्या 72 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तर एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1000 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। बढ़ी हुई दरें दिनांक 1.7.2011 से लागू होंगी तथा एक शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9½ माह हेतु देय होगी। बढ़ी हुई दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	मद	संशोधित दरें (प्रतिमाह)	संशोधित दर अनुसार (प्रति छात्र 9½ माह हेतु)
1	2	3	4
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1000	9500
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि	125	1187.50

1	2	3	4
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	30	285
4.	धुलाई (चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि की)	25	237.50
5.	बिजली-पानी	60	570
6.	समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि	10	95
	योग	**1250**	**11875**

स्कूल यूनिफार्म, गर्म जर्सी, जूते-मौजे, तौलिया हेतु दी जानी वाली राशि रुपये 1187.50 प्रति छात्र-छात्रा प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी हालत में कुल व्यय प्रति छात्र प्रतिमाह 1250 एवं प्रति सत्र 11875 से अधिक नहीं होगा।

ये आदेश दिनांक 1.7.2011 से प्रभावी होंगे। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161100486 दिनांक 12.5.2011 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव

जमवारामगढ़ में आरक्षित वर्ग के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

480. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा किस-किस सरकारी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां किस-किस विद्यालय/महाविद्यालयों में वितरित की गई? योजनावार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्तियां अभी भी लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इन्हें कब तक वितरित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षों 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि का विद्यालय/महाविद्यालयवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण लम्बित है। सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप पूर्ति करने पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृति की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परित्यक्त महिलाओं को पेंशन स्वीकृति हेतु कार्य योजना

481. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकारी योजनाओं में परित्यक्ता पेंशन का प्रावधान है? यदि हां, तो इनकी पात्रता क्या है?

(2) ससुराल द्वारा छोड़ी हुई वे महिलाएं जिन्होंने कोर्ट में अपील नहीं की है, क्या सरकार उनको पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत परित्यक्ता पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पति द्वारा छोड़ी हुई ऐसी महिलाएं जिन्होंने न्यायालय में परित्यक्ता प्रमाण पत्र हेतु अपील नहीं की है, को परित्यक्ता पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्र. एफ 9 (12)ओएपी/रूल्स/एसजे एवं ईडी/06-07/5996   जयपुर, दि. 4.11.2009

आदेश

राज्यपाल, निराश्रितों को वार्धक्य पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान के विनियमन हेतु नियमों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश सं. एफ : 1 (22) एफडी (रूल्स) 73 दिनांक 15.05.1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त आदेश में,

संशोधन

(क) जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "विधवा" आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "विधवा/परित्यक्ता" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) नियम 2 के विद्यमान खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (viii) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

(viii) "परित्यक्ता" से अभिप्रेत है :—

(i) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह-विच्छेद डिक्री हो,

(ii) समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,

(iii) ऐसी समस्त महिलाएं, जिनके विवाह-विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिनके पास न्यायालय दस्तावेज हों।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

ऐसे मामले जहां समाज कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश सं. एफ 9 (5)(9)ओएपी/एस.डब्ल्यू.डी/03/1086-1156 दिनांक 21.06.2003 को ध्यान में रखते हुए, इस संशोधन आदेश के जारी होने की तारीख के पूर्व "परित्यक्ता" महिलाओं को पहले से ही पेंशन अनुज्ञात की जा चुकी है वहां उन पर नए सिरे से विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे मामलों में किया गया संदाय विनियमित किया जायेगा और यदि ऐसी

"परित्यक्ता" महिलाएं इस संशोधन में उल्लिखित मानकों को पूरा करती हैं तो उन्हें इस आदेश के अधीन पेंशन मंजूर की जायेगी।

इसे वित्त (व्यय-2) विभाग की, उनकी आई.डी. सं. 100903326 दिनांक 03.09.2009 द्वारा सहमति प्राप्त है।

ह.
(पी. एस. मेहरा)
आयुक्त एवं शासन सचिव।

Government of Rajasthan

Social Justice & Empowerment Department

No F.9(12)OAP/Rules/SJ&ED/10-11/13564

Jaipur, Dated the 15th March, 2011

Order

The Governor is pleased to make the following amendments in department order No. F.9(12)OAP/Rules/SJED/06-07/5996 Dated 04-11-09 regarding Rules governing grant and payment of Old Age & widow pension to destitutes, namely:-

In the said order-

Amendment

(b) after the existing sub-clause (viii) of clause 2, the following new point is added for Parityakta as below :-

(v) Muslim divorced women supported by a divorce certificate from religious authorities namely, Authorized Quazi or in case no Quazi is available any other person eligible to conduct Nikah along with affidavit of the Muslim women concerned, with two affidavits of independent witnesses to establish the fact of divorce.

This order shall come into force with immediate effect.

This bears concurrence of Finance (Exp-2) Department vide their I.D. No.101100036 dated 02-02-2011.

R Order
Sd/-
(Aditi Mehta)
Principal Secretary

मारवाड़ जंक्शन की ग्राम सहकारी समिति बिठोडाकलां का भवन निर्माण प्रकरण

482. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बिठोडाकलां में ग्राम सहकारी समिति का भवन निर्माण किस कार्यकारी एजेन्सी द्वारा करवाया गया? इसके लिये किस योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी राशि किस कार्य/मद में व्यय की गई? बिल वाउचरों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया तथा क्या इसकी गुणवत्ता की जांच की गई? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भवन निर्माण निर्धारित मानदण्ड में हुई अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बिठोडाकलां में खारची ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के कार्यक्षेत्र के ग्राम में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम एवं कार्यालय भवन का निर्माण सहकारी विभाग के आदेश दिनांक 3.2.2009 से गठित निर्माण कमेटी के माध्यम से करवाया गया।

इसके लिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक फा.15(12)सविरा/स्टोरेज/एनएडीपी/2008 दिनांक 22.12.2008 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रु. 8.00 लाख स्वीकृत किये गये (स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से निम्नानुसार मदवार व्यय हुआ है:-

1.	सामग्री मद में व्यय	6,46,604.00
2.	श्रम मद में व्यय	2,58,621.00
	कुल व्यय	**9,05,225.00**

(सहकारिता मंत्री)

उक्त व्यय राशि के मदवार वाउचर्स परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। उक्त निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया तथा उसकी गुणवत्ता की जांच श्री ताराराम सीरवी, कनिष्ट अभियन्ता, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा की गई एवं उसके आधार पर निर्माण कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र मय फोटो निर्माण कमेटी के हस्ताक्षरों सहित जारी किये गये। जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पाली को प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश की सहकारी समितियों के पुराने गोदामों की मरम्मत हेतु आबंटित राशि

483. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की सहकारी समितियों के पुराने गोदाम जिनकी भण्डारण क्षमता 100 एम टी है की रिपेयरिंग कार्य पेटे सरकार द्वारा एक लाख रुपये प्रति गोदाम दिये जा रहे हैं, जबकि 250 एम टी के पुराने गोदामों की मरम्मत पेटे मात्र 50 हजार रुपये प्रति गोदाम दिये जाने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार 250 एम टी के पुराने गोदामों की रिपेयर के लिए 2.50 लाख रुपये स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में पुराने गोदामों की मरम्मत के लिये 1.00 लाख रुपये तथा 250 मै. टन क्षमता के गोदामों के लिये 2.50 लाख या मरम्मत के एस्टीमेट में से जो भी राशि कम होगी की सीमा तक स्वीकृति जारी की गई है।

समग्र सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की अप्रैल टीम द्वारा जिलों का भ्रमण करने के उपरान्त समग्र सहकारी विकास परियोजना हेतु अपने स्वीकृति पत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनकी आवश्यकता अनुसार गोदाम मरम्मत हेतु 0.25 लाख रुपये से 1.00 लाख

(सहकारिता मंत्री)

रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को उनकी आवश्यकता अनुसार गोदाम मरम्मत हेतु 0.50 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इसमें 100 एम. टी. एवं 250 एम. टी. गोदाम मरम्मत का अलग हवाला नहीं है।

(2) 250 मै. टन के सहकारी समितियों के पुराने गोदामों की मरम्मत के लिये 2.50 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक स्वीकृत किये जा रहे हैं।

जिलों में चल रही समग्र सहकारी विकास परियोजनाओं के दो वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त गोदाम मरम्मत हेतु आवश्यकता अनुसार व एस्टीमेट के आधार पर इकाई लागत में परिवर्तन हेतु परियोजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति में प्रस्ताव पारित करवाकर फेरबदल हेतु राज्य स्तरीय कमेटी में भिजवाने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की गाइड लाइन के अनुसार विचार किया जा सकता है।

सीकर-खूड हेतु निगम बस सेवा

484. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आम जन को सुविधा प्रदान करने हेतु सीकर से खूड वाया कदमों का बास, चोखा का बास, बिडोली, मांडोता ग्रामीण परिवहन सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर से जीणमाता होकर दांतारामगढ़ की दूरी सबसे कम किलोमीटर है? यदि हां, तो क्या सरकार किराये व समय की बचत को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग पर रोडवेज की नियमित बसें चलाकर इस क्षेत्र के ग्रामीणजन को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर से खूड राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कदमों का बास स्थित है, जिस पर वर्तमान में निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। कदमों का बास से चोखा का बास 5 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त मार्ग पर सड़क तंग है, जिस पर जीप व मिनी बसें चल सकती हैं। बिडोली एवं मांडोता ग्राम पंचायतों को राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना में सम्मिलित किया हुआ है।

(यातायात राज्य मंत्री)

(2) सीकर से दांतारामगढ़ वाया जीणमाता एवं सीकर से दांतारामगढ़ वाया खूड़ की दूरी समान है, इस मार्ग की दोनों वायाज होकर दूरी 49 कि.मी. है।

वर्तमान में सीकर से दांतारामगढ़ वाया जीणमाता अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम की दैनिक 2 एकल परिचक्र (1 अप व 1 डाउन) संचालित है। वर्तमान में उपलब्ध हो रहे यात्रीभार को देखते हुए इस अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर और बसें बढ़ाये जाने का कोई विचार नहीं है।

सीकर से दांतारामगढ़ वाया खूड़ मार्ग पर पर्याप्त संख्या में निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु निगम बस सेवा

485. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरहदी बाड़मेर जिले में अधिकांश ग्राम पंचायतों के ग्रामीण निजी बसों में अधिक किराया देकर यात्रा करने को विवश हैं?

(2) क्या सरकार ग्रामीणों की समस्या को मध्यनजर सरहदी बाड़मेर जिले की अधिकांश ग्राम पंचायत मुख्यालयों को रोडवेज/अनुबंधित बसों से जोड़ने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस योजना के तहत बाड़मेर जिले के किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इस सुविधा को कब तक लागू किया जायेगा? पंचायत समितिवार ग्राम पंचायत की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी रोडवेज/अनुबंधित बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निजी बसों हेतु यात्री किराया दरें सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। बाड़मेर जिले में निजी यात्री बसों द्वारा अधिक किराया वसूली सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को पीपीपी मोड पर ग्रामीण परिवहन सेवाओं से जोड़ने की घोषणा के अन्तर्गत

(यातायात राज्य मंत्री)

बाड़मेर जिले की जोड़ी जाने वाली 241 ग्राम पंचायतों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। पीपीपी मोड पर दिनांक 14.02.2013 को प्रमुख समाचार पत्रों में NIT प्रकाशित कर निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.4.2013 है। निविदा प्रस्ताव आने के बाद निर्णय लिया जावेगा।

(3) उपरोक्तानुसार 'ग्रामीण परिवहन सेवा' योजना के तहत ही सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा से जोड़ा जावेगा।

परिशिष्ट-1

ग्रामीण परिवहन सेवा में बाड़मेर जिले की जोड़ी जाने वाली ग्राम पंचायतों के नाम

पंचायत समिति	बाडमेर	बालोतरा	चोहटन	बायतू	धोरीमन्ना	सिणधरी	सिवाना	शिव
क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बालेरा	बलाऊ जाटी	आटिया	आकदड़ा	अरनियाली	आडेल	बामसीन	आकली
2.	मादरेश गाधव	बाणियावास	अरटि	बान्दरा	बामरला	बाण्ड	देवन्दी	असाडी
3.	पीण्डे का पार	बडनावा जागीर	बंदरवाला	बाटाड़ू	बामनोर अमीर	बेरीवाला तला	धारणा	आरंग
4;	बोला	बिद्‌जा	बवडी कला	बायतू पनजी	बारासन	बोरवा	ढीढस	बालासर
5;	बूट जेतमाल	चान्देसरा	बीजासर	बायतू चिमनजी	भालीसर	छोटू	धीरा	बालेवा
6.	चाडार मदरूप	बिलानाडी	बीसासर	भीमडा	भेडाना	दाखा	दूदा का बाडा (अजीत)	बंधडा
7.	चाडी	गंगावास	भवार	चिबी	भेरूडी	डन्डाली	गोलिया	चोचारा
8.	चूली	गोल स्टेशन	भवरिया	छीतर का पर	भीमथल	धनवा	गुडा	धारनी कलां
9.	धारासर	गोपडी	भोजारिया	चिडिया	बिसारनिया	धोलानाडा	जेठन्तरी	गिराब

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	बूदाबेरी	ग्वालनाडा	बीजराड	चौखला	गंगासरा	एड सिणधरी	कांखी	हरसाणी
11.	बरल	कालेवा	बुढराठोडान	गिडा	गौरा	गोलिया जैतमाल	करमावास	हाथीसिंह गांव
12.	गरडिया	कनाना	बुरान का तला	हीरा की ढाणी	करतिया	होडू	कोटड़ी	झणकली
13.	ईन्द्रोही	काकराला	चिचासर	जाजवा	कैंकण	जूना मीठा खारा	कुण्डल	काश्मीर
14.	ईशरोल	किटनोद	देदूसर	झाक	खारी	कगाऊ	गजल	खबडाला
15.	जाखडों की ढाणी	मण्डली	गोडा का तला	कानोड	कितनोरिया	खारा महेवा	मेली	खानयानी
16.	जसाई	मेवानगर	गुमाने का तला	कसुमबला	कोजा	खरंटिया	मिठौडा	खारची
17.	लीलसर	मूल की ढाणी	हरपालिया	खारापार	लोहारवा	खुडासा	मोतीसरा	कोटडा
18.	महावर	नवातला	हथला	खीपर	लूणवा जागीर	कौशलू	पादरू	मौखाब कलां
19.	मीठडा	बागावास	इटावा	खोखसर	मिथरा खुर्द	मालपुरा	रामपुरा	मुगेरिया
20.	मांद	कोरना	जानपालिया	खोखसर पश्चिम	नवातला राठौडान	मेहलू	रानीदेशीपुरा	नागडदा
21.	पांधीकापार	नवोडाबेरा	जडपा	खरडा भारतसिंह	नेडी माडी	निम्बलकोट	समदडी	फोगेरा
22.	रसासर	नेवरी	कापराम	कोलू	नेहरों की ढाणी	मेहरों की ढाणी	सेला	राणसर
23.	चेतराऊ	पारलू	कलनोर	कोसरिया	राणासर कलां	नोखडा	सेवाली	रोहिली
24.	सियानी	पाटोदी	कोनरा	कुम्पालिया	रतनपुरा	नोसर	सिलोर	
25.	सुराधारणान	लाजियाली पदमसिंह	मीठे का तला	लापुन्दडा बारठान	सौभाला दर्शन	राणसर खुर्द	सिणेर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	तारातरा	राजियाली राजाबेरी	मीठाऊ	लुनाडा	सोनरी	सांजटा		
27.	विशाला	सांखलों की ढाणी	नवातला बाखासर	मुढो की ढाणी	वीरसखान	सणफा मानजी		
28.	विशाला आगोर	सराना	नवातला जेतमाल	पानावरा	ओगला	सरली		
29.		सिणली जागीर	नेतराड	परेऊ		सरनू चीमजी		
30.		थूम्बली	पनोरिया	पुनियों का तला		सियोनीयाल		
31.		तिलवाडा	फागलिया	रतुऊ		सिणधरी चारनान		
32.			पोकरासर	सन्तरा				
33.			रमजान की गफन	सवाऊ मूलराज				
34.			सालरिया	सिंधोरिया				
35.			सावा	सवाऊ पदमसिंह				
36.			सरला					
37.			सरूप का तला					
38.			शोभाला जैतमाल					
39.			तालसर					
40.			तरला					
योग	**28**	**31**	**40**	**35**	**28**	**31**	**25**	**23**
				241				

परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान

486. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि समस्त परिलाभों का भुगतान समय पर किया जाता है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितने कार्मिक (विभिन्न पदों से) सेवानिवृत्त हुए जिनमें से कितनों को समय पर समस्त परिलाभों का भुगतान किया गया तथा कितनों को विलम्ब से/सेवानिवृत्ति के कितने समय पश्चात् किया गया अथवा अभी तक नहीं किया जा सका? पदवार, समयावधिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर परिलाभों का भुगतान समय पर नहीं होने के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उक्त परिलाभों का भुगतान किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम की रोकड़ तरलता (Cash liquidity) की स्थिति सही नहीं होने के कारण इन परिलाभों के भुगतान में 2 से 4 माह की अवधि का विलम्ब रहा है। गत 4 वर्षों में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही लम्बित रहने एवं निगम की रोकड़ तरलता (Cash liquidity) की स्थिति सही नहीं होना ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण है। अत: भुगतान में देरी के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई दोषी नहीं है।

(3) निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति परिलाभ उपलब्ध फण्ड के अनुसार समय पर किये जाने हेतु प्रयासरत है।

परिशिष्ट-1

गत चार वर्षों में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को सेवानिवृत्त परिलाभों का समय पर भुगतान, कुछ समय पश्चात विलम्ब से भुगतान व भुगतान नहीं किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या व सेवानिवृत्त हुये कुल कर्मचारियों की संख्या का वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्गवार विवरण	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012
1	2	3	4	5	6
1. मंत्रालयिक वर्ग (क. लि., व. लि., अधिकारी आदि)					
	समय पर भुगतान	3	5	10	17
	कुछ समय पश्चात विलम्ब से भुगतान	17	55	187	152
	भुगतान नहीं किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	—	1	5	42
	मंत्रालयिक वर्ग के कुल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	20	61	202	211
2. चालक वर्ग					
	समय पर भुगतान	9	10	8	8
	कुछ समय पश्चात विलम्ब से भुगतान	26	65	104	113
	भुगतान नहीं किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	—	2	6	44
	चालक वर्ग के कुल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	35	77	118	165

1	2	3	4	5	6
3. यातायात वर्ग (परिचालक, पत्रक वितरक, अधिकारी आदि)					
	समय पर भुगतान	5	10	22	28
	कुछ समय पश्चात विलम्ब से भुगतान	35	117	256	267
	भुगतान नहीं किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	—	2	9	116
	यातायात वर्ग के कुल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	40	129	287	411
4. कार्यशाला कर्मचारी वर्ग (मैकेनिक ग्रेड-I, II, III, अधिकारी आदि)					
	समय पर भुगतान	2	5	11	13
	कुछ समय पश्चात विलम्ब से भुगतान	9	90	163	168
	भुगतान नहीं किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	—	—	5	58
	कार्यशाला वर्ग के कुल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	11	95	179	239
	कुल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	**106**	**362**	**786**	**1026**

निगम बस/वाहनों का बीमा प्रकरण

487. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान रोडवेज द्वारा गत तीन वर्षों में बसों का बीमा कराने हेतु कितना प्रीमियम जमा कराया गया?

(2) बीमा कराई गई बसों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितना क्लेम उठाया गया?

(3) क्या यह सही है कि डीलक्स बसों का बीमा किसी एजेंसी के माध्यम से कराया गया है? यदि हां, तो इससे रोडवेज को कितना नुकसान हुआ है?

(4) गत तीन वर्षों में डीलक्स बसों से प्रदेश में कितने राजस्व की प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम के डीलक्स आगार में संचालित 15 वोल्वो एवं 10 मर्सडीज वाहनों का बीमा कराया गया है जिनके वर्षवार जमा कराये गये प्रीमियम का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	प्रीमियम राशि रुपये
1	2010-11	22,85,730.00
2	2011-12	23,62,840.00
3	2012-13	22,67,803.00

इसके अतिरिक्त 2012-13 में निगम द्वारा 341 नई बसों का बीमा करवाया गया है जिसके पेटे राशि 1,57,12,598.00 रुपये प्रीमियम जमा करवाया गया है।

(2) 15 वोल्वो एवं 10 मर्सडीज बीमित वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त/क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कम्पनी से 3 वर्षों के दौरान (जून 2010 से फरवरी 2013 तक) 36,51,134/- रुपये का क्लेम प्राप्त हो चुका है तथा 20,76,264/- रुपये के देय क्लेम हेतु बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किये हुए हैं।

इसके अतिरिक्त 2012-13 में 341 अन्य नई बीमित बसों का 1,02,099/- रुपये का क्लेम उठाया गया है तथा लगभग 22 क्लेम केसों के क्लेम राशि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(यातायात राज्य मंत्री)

(3) डीलक्स आगार की वाहनों का 2010-11 से 2012-13 तक वर्षवार कम्पनियों के नाम जिनके द्वारा निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये उनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। 2010-11, 2011-12 में कोटेशन के माध्यम से बीमा कराया गया जिसमें अनियमितता के लिए सम्बन्धित तत्कालीन जोनल मैनेजर को सेवा विनियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। 2012-13 में निविदा के माध्यम से वाहनों का बीमा आगार स्तर की कमेटी के माध्यम से कराया गया है किन्तु निगम स्तर से एजेन्ट को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीलक्स आगार से प्राप्त कुल राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्राप्त राजस्व रुपये**
1	2010-11	72.16 करोड़
2	2011-12	85.64 करोड़
3	2012-13 (दिसम्बर 2012 तक)	68.42 करोड़

परिशिष्ट "1"

डीलक्स आगार की वाहनों का 2010-11 से 2012-13 तक वर्षवार कम्पनियों के नाम जिनके द्वारा निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये उनकी सूची

वर्ष 2010-11	**कम्पनी का नाम**
	i) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
	ii) दी न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
	iii) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
न्यूनतम दर प्रथम i)	
2011-12	i) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
	ii) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
न्यूनतम दर प्रथम i)	
2012-13	i) दी न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

	ii) भारती एक्सा जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
	iii) रायल सुन्दरम एलायन्स इन्श्योरेन्स
	iv) एचडीएफसी ईआरजी जनरल इन्श्योरेन्स
	v) नेशनल इन्शोयेरेन्स कम्पनी लिमिटेड
	vi) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
न्यूनतम दर प्रथम i)	
तीनों वर्षों में बीमा की न्यूनतम दर पर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड "प्रथम" रही हैं	

जयपुर के मानसरोवर-मुहाना मण्डी एवं पत्रकार कालोनी हेतु नगरीय बस सुविधा

488. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा जनता को राहत देने की दृष्टि से हाल ही में जयपुर शहर के कुछ मार्गों पर थ्री व्हीलर्स एवं फोर व्हीलर्स को परमिट जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्गों पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के विजय पथ (मानसरोवर) से मुहाना मण्डी तक एवं वीटी रोड (मानसरोवर) से नेवटा वाया धोलाई स्थित पत्रकार कालोनी होते हुए जनता के आने-जाने के लिये किसी भी प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को राहत देने की दृष्टि से मानसरोवर, जयपुर के विजय पथ से मुहाना मंडी तक एवं वीटी रोड से नेवटा वाया पत्रकार कालोनी होते हुए परिवहन की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हाल ही में जयपुर शहर में निम्नलिखित नगरीय श्रेणी मार्ग खोले गये हैं :-

1. निवारू सरणा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र से चांदपोल
2. अजमेरी गेट परकोटा से मालवीय नगर, औद्योगिक क्षेत्र

(यातायात राज्य मंत्री)

3. निवारू से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन

4. गोपालबाड़ी (रेल्वे स्टेशन) से बेनाड़ गांव - आपणों गांव

इन मार्गों पर नगरीय सेवा हेतु वाहनों के परमिट (अनुज्ञापत्र) जारी किया जाना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर (उत्तर एवं दक्षिण) में प्रक्रियाधीन है।

(2) यह सही है कि जयपुर के विजयपथ (मानसरोवर) से मुहाना तक एवं वीटी रोड (मानसरोवर) से नेवटा वाया धोलाई स्थित पत्रकार कालोनी होते हुए वर्तमान में नगरीय परिवहन सेवा हेतु कोई भी मार्ग निर्धारित नहीं किया गया है। प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का अब सर्वे कराया जाकर समुचित निर्णय ले लिया जावेगा।

जयपुर-माधोराजपुरा बस सेवा का पुनर्संचालन

489. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर जिले की तहसील फागी में कितने मार्गों पर बसें संचालित की जा रही हैं? मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से माधोराजपुरा एवं जयपुर से चान्दमा कलां तक पूर्व में बस सेवा संचालित थी, जिन्हें बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्गों पर पर्याप्त यात्री भार होने के बावजूद जयपुर के लिए कोई बस संचालित नहीं है, जिससे लोगों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(4) क्या सरकार जयपुर से माधोराजपुरा एवं चान्दमा कलां हेतु पुन: बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा जयपुर जिले की फागी तहसील में होकर संचालित बस सेवाओं की मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर से बीची वाया फागी-माधोराजपुरा होकर एक बस सेवा का संचालन किया जा रहा था, जिसका संचालन माह मार्च 2010 से

(यातायात राज्य मंत्री)

लागत से कम आय तथा यात्रीभार में कमी के कारण बन्द कर दिया गया तथा निगम द्वारा जयपुर से चान्दमाकलां मार्ग पर पूर्व में वर्ष 1999 में एक बस सेवा का संचालन किया गया था। इस सेवा का संचालन आय एवं यात्रीभार कम प्राप्त होने के कारण माह अप्रैल 2000 से बंद कर दिया गया है विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं।

(3) जयपुर से बीची वाया फागी-माधोराजपुरा मार्ग पर संचालित सेवा को पर्याप्त आय प्रति कि.मी./यात्रीभार नहीं मिलने के कारण ही संचालन बन्द किया गया था। जयपुर से चान्दमाकलां वाया फागी, माधोराजपुरा, खेडा बालाजी मार्ग पर दिनांक 16.03.2013 से एक बस सेवा का संचालन निम्न समयानुसार प्रारम्भ कर दिया गया है:-

जयपुर	**चान्दमाकलां**	**चान्दमाकलां**	**जयपुर**
1820	2035	0629	0844

(4) उपरोक्तानुसार

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि उपज मण्डी, जोधपुर में राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु लम्बित प्रकरण

490. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर में वर्ष 2011 से 31 जनवरी, 2013 तक किसानों की कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने के कारण राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई? कितने प्रकरणों में स्वीकृति बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बकाया प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत वर्ष 2011 से जनवरी 2013 तक कुल 104 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से 63 दावेदारों को उनके नाम के आगे अंकित सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिनका वर्षवार विवरण भी संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। 10 प्रकरणों में स्वीकृति बकाया है, जिनका वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। बकाया 10 प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उचित मूल्य पर प्याज आपूर्ति हेतु कार्य योजना

491. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षों में प्याज के अधिकतम, न्यूनतम एवं औसत खुदरा मूल्य क्या थे?

(2) राजस्थान में प्याज का उत्पादन उक्त वर्षों में कितना था?

(3) राज्य सरकार उचित मूल्यों पर प्याज की आपूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रही है? प्याज के मूल्यों में वर्तमान में हुई अचानक एवं भारी वृद्धि के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग के अधिनस्थ कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का थोक व्यापार होने के कारण खुदरा मूल्यों का संधारण नहीं किया जाता है।

(2) उद्यान विभाग एवं राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान में प्याज का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है-

वर्ष	**उत्पादन (मीट्रिक टन में)**
2009-10	358405 "
2010-11	541107 "
2011-12	664215 "
2012-13	839031 (अनुमानित)

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) खाद्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार फिलहाल उचित मूल्य पर प्याज की आपूर्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। प्याज के मूल्यों में वर्तमान में हुई भावों में अचानक वृद्धि अन्य राज्यों से प्याज की आपूर्ति की तुलना में स्थानीय मांग का अधिक होना, परिवहन लागत और राज्य में नये प्याज की आवक समय पर नहीं होना इत्यादि कारणों से हुई है।

जैसलमेर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषकों को देय सुविधाएं

492. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला जैसलमेर में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक मण्डी समितियों में कौन-कौन सी फसल आई एवं उनसे मण्डी समिति को कितना शुल्क प्राप्त हुआ? वर्षवार सूचना प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय बजट का कितना हिस्सा किस-किस कार्य के पेटे व्यय किया गया तथा किसानों को इस मण्डी में कौनसी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जैसलमेर के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक कृषि जिन्सों की आवक एवं प्राप्त मण्डी शुल्क का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक वर्षवार व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

किसानों के ठहरने के लिए किसान भवन निर्मित है। इसके अतिरिक्त पानी, बिजली, छाया, बरसात में त्रिपाल व भण्डारण की सुविधा मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-अ

कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक फसलों की आवक एवं प्राप्त मण्डी शुल्क का वितरण

(आवक क्विंटल में राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम जिंस	दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2009		अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010		अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011		अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012		अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013	
		आवक	मण्डी शुल्क	आवक	मण्डी शुल्क	आवक	मण्डी शुल्क	आवक	मण्डी शुल्क	आवक	मण्डी शुल्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
(क) अनाज											
1.	बाजरा	849	0.03	24011	1.19	12193	0.62	5869	0.3	10098	0.64
2.	जौ	0	0								
3.	ज्वार	0	0	220	0.02	0	0	0	0	165	0.03
4.	मक्का	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	चावल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गेहूं	10	0.01	12050	2.51	0	0	3812	0.78	20334	38.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ख) दलहन)											
7.	अरहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	चौला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	चना	0	0	123104	40.78	53467	17.07	230911	87.19	191518	115.33
10.	मसूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मूंग	0	0	457	0.41	3939	2.15	505	0.29	219	0.29
12.	मौठ	0	0	66	0.05	30	0.01	61	0.02	0	0
13.	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मटर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	उड़द	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) तिलहन											
16.	अलसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	अरणी	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	मूंगफली	4133	1.17	12624	4.47	10842	3.98	6613	2.77	5404	3.57
19.	सरसों	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	रायड़ा	20173	6.31	80948	17.3	16409	3.41	77863	17.97	63288	21.25
22.	सोयाबीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सूर्यमुखी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तारामीरा	0	0	0	0	200	0.04	0	0	0	0
25.	तिल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) मसाले											
26.	अजवाइन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	मिर्च	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	धनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	जीरा	0	0	0	0	0	0	167	0.05	736	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	मेथी	0	0	0	0	0	0	32	0.01	0	0
31.	राई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	सौंफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ) अन्य											
33.	बटर आयल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	देशी घी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	आलू	26	0.002	0	0	350	0.03	1046	0.09	757	0.1
36.	प्याज	0	0	0	0	840	0.13	1814	0.17	1928	0.18
37.	लहसन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	अन्य समस्त फ स	0	0	0	0	1977	0.16	7693	0.63	8096	0.75
39.	गुड़	0	0	1313	0.56	1251	0.48	3044	1.03	1701	0.82
40.	ग्वार	9668	7.46	29570	9.71	240781	91.28	115547	158.74	32148	64.06
41.	ईसबगोल	0	0	0	0	36	0.01	16826	4.51	15739	3.97
42.	कपास देशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	खाण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	मेहंदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	नरमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	पोस्त दाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	डोडा पोस्त चूरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	चीनी	3805	1.36	13641	5.17	12515	5.45	12336	5.49	10253	1.28
50.	ई. लकड़ी	0	0.05	0	0.18	0	0.26	0	0.29	0	0.05
51.	ऊन	97	0.03	521	0.31	155	0.1	384	0.21	106	0.1
52.	अश्वगंधा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	सोनामुखी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	फूल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	फूल की सूखी पत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	नारियल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :-	**38761**	**16.422**	**298525**	**82.66**	**354985**	**125.18**	**484523**	**280.54**	**362514**	**250.84**

परिशिष्ट-ब

कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर का वर्षवार व्यय का विवरण (दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक)

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	अवधि	संस्थापन व्यय	बोर्ड अंशदान	परियोजना निर्माण व्यय	गैर परियोजना निर्माण व्यय	सम्पर्क सड़कों पर व्यय	मण्डी सुविधा पर व्यय	अन्य व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	दिसम्बर 2008 से मार्च 2009	10.31	0.00	5.54	0.00	0.00	2.67	2.23
2.	अप्रैल 2009 से मार्च 2010	22.81	0.00	51.67	0.00	0.00	9.68	0.84
3.	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	18.52	0.00	0.00	12.01	1.50	9.45	15.82
4.	अप्रैल 2011 से मार्च 2012	19.79	0.00	90.33	0.00	6.00	14.00	0.00
5.	अप्रैल 2012 से जनवरी 2013	19.79	0.00	90.35	0.00	6.00	14.42	7.37

दांतारामगढ़ में कब्रिस्तान हेतु आबंटित भूमि

493. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम खाटू श्यामजी व खाचरियावास में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान की भूमि का आबंटन कब हुआ तथा कब अमल दरामद किया गया तथा कौनसी भूमि आबंटित की गई? खसरा संख्या मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों ग्रामों में कब्रिस्तान की भूमि आज तक लम्बित रहने के क्या कारण रहे तथा इसकी दुरूस्ती कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, सीकर की सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम खाटूश्यामजी में जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक-एफ/(14)सम कब्र./भू.आ./राजस्व/06/3005-12 दि. 07/08/2006 द्वारा खसरा नं. 506 रकबा 2.25 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 1.25 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी को आरक्षित की गई। जिसका ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा नामांतरण संख्या-1105 दिनांक 22/09/2006 को दर्ज कर स्वीकार हुआ है। इस आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

तत्पश्चात् जिला क्लक्टर कार्यालय के संशोधन आदेश क्रमांक-एफ-7 (158)समकब्र./भू.आ./राजस्व/12/240-248 दि. 09/01/2013 द्वारा ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ स्थित उक्त खसरा नं.-506 रकबा 2.25 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से कब्रिस्तान हेतु आरक्षित 1.25 हैक्टेयर भूमि में मौके पर हिन्दुओं के शमशान होने के कारण तथा खसरा नं.-506 की आबंटित भूमि में से मात्र 0.65 हैक्टेयर भूमि ही कब्रिस्तान के काम में आने के कारण खसरा नम्बर-506 में से आबंटित 1.25 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर भूमि का आबंटन यथावत रखने व शेष 0.60 हैक्टेयर का आबंटन निरस्त करने तथा इसके बदले में खसरा नं.-640 रकबा 1.71 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.60 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन आदेश की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-"ब"। संशोधन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। जिला कलक्टर सीकर की सूचना अनुसार अमल दरामद शीघ्र करा दिया जायेगा।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ के गत खसरा नम्बर-619/1 रकबा 40 बीघा 02 बिस्वा जिसके हाल ख. नं.-607, 608, 606/1409 बने हैं की राजस्थान वक्फ बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 23/09/1965 को जारी हुई है।

नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस परिशिष्ट-"स" ।

(2) जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक-एफ/(14) सम कब्र./ भू.आ./राजस्व/06/3005-12 दि. 07/08/2006 जिसके द्वारा ग्राम खाटूश्यामजी में कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित की गई है का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। परन्तु संशोधन आदेश क्रमांक-एफ.7(158)) सम कब्र/भू.आ/राजस्व/12/240-248 दि.-09/01/2013 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। जिला कलक्टर सीकर से प्राप्त सूचना अनुसार अमल दरामद शीघ्र करा दिया जायेगा।

ग्राम खाचरियावास तह. दांतारामगढ़ के खसरा नम्बर 619/1 भू-प्रबन्धक विभाग राजस्थान राज्यय की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2020 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। तथा इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2020-23 में खातेदारी श्मशान भूमि के नाम दर्ज हुई है खसरा नं. 619/1 रकबा 40 बीघा 02 बिस्वा राज्य सरकार द्वारा कराये गये वक्फ सर्वे के आधार पर राजस्थान राजपत्र जिला सीकर की तहसील दांतारामगढ़ में अधिसूचना दिनांक 23/09/1965 में बतौर वक्फ प्रकाशित है जबकि मौके पर श्मशान एवं कब्रिस्तान दोनों के काम आ रही है। उक्त अधिसूचना का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है।

इस मामले में स्थानीय व्यक्ति श्री गनी मोहम्मद द्वारा एक वाद उनवानी गनी मोहम्मद बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय न्यायालय, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में प्रस्तुत किया है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 01/04/2013 नियत है। अधिकरण में विचाराधीन वाद के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न सं. 374 का विवरण व सूची)

भरतपुर जिले की मण्डी समितियों के गत 3 वर्षों में निदेशालय को निर्णयार्थ हेतु प्राप्त प्रकरणों का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	निदेशालय को प्रेषित प्रकरणों में दावेदार का नाम	मृतक/चोटग्रस्त व्यक्ति का नाम एवं सम्बन्ध	मृत्यु/ अंगभंग	दुर्घटना दिनांक एवं विवरण	निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	भरतपुर	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री लाभूसिंह ग्राम नंगला गोलासिंह, हेलक तह. कुम्हेर जिला भरतपुर	नानकी कौर (पुत्र)	मृत्यु	31.5.12 कृषि कार्य करते समय सर्पदंश से मृत्यु	निदेशालय स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के क्रम में मण्डी समिति द्वारा दिनांक 14.3.13 के द्वारा राशि रुपये 1.00 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी।
2.	भरतपुर	श्री चन्द्रभान पुत्र श्री हरचरन ग्राम व पोस्ट सैथली तह. कुम्हेर जिला भरतपुर	समोदा (पत्नी)	मृत्यु	28.7.12 चारा काटते समय सर्पदंश से मृत्यु	निदेशालय स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के क्रम में मण्डी समिति द्वारा दिनांक 14.3.13 के द्वारा राशि रुपये 1.00 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी।
3.	भरतपुर	श्री मोतीराम पुत्र श्री छोटेलाल ग्राम सूबेदार का अस्तावन, तह. कुम्हेर जिला भरतपुर	श्रीमती लक्ष्मी (पत्नी)	मृत्यु	02.9.12 चारा काटते समय सर्पदंश से मृत्यु	निदेशालय स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के क्रम में मण्डी समिति द्वारा दिनांक 14.3.13 के द्वारा राशि रुपये 1.00 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी।

भरतपुर जिले की मण्डियों में वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत लम्बित 11 प्रकरणों का विवरण

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	आवेदनकर्ता का नाम पता		मृतक/ चोटग्रस्त व्यक्ति का नाम एवं दावेदार से सम्बन्ध	दुर्घटना दिनांक व विवरण	मृत्यु या अंगभंग	प्रकरण कब से लम्बित है	लम्बित रहने का कारण	निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	भरतपुर	1	श्रीमती रेशम पत्नी श्री रतन सिंह, ग्राम जाटौली, जिला भरतपुर	श्री चन्द्रभान, (पुत्र)	18.3.12 को सिंचाई करते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	25.6.12	दिनांक 13.8.12 को मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक में सदस्यों में असहमति होने के कारण निस्तारण हेतु निदेशालय जयपुर को भिजवाया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। निदेशालय के पत्र	मण्डी स्तरीय सहायता समिति की आगामी बैठक में प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा

1	2	3		4	5	6	7	8	9
								क्रमांक 827 दिनांक 11.3.13 के द्वारा सहायता राशि के भुगतान करने की स्वीकृति मण्डी समिति भरतपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी।	
		2	श्री प्रेमसिंह पुत्र हरिकिशन ग्राम बांसरोली जिला भरतपुर	श्री विमलेश, (पत्नी)	12.9.12 को चारा काटते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	9.01.13	आवेदक के साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण।	आगामी बैठक में निस्तारण जावेगा
		3	श्रीमती गीता पत्नी श्री लालसिंह ग्राम हथौनी, जिला भरतपुर	सुनील कुमार, (पुत्र)	30.11.12 को खाद डालते समय अचानक मृत्यु	मृत्यु	21.01.13	एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण	एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर निस्तारण किया जावेगा

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		4	श्रीमती ममता पत्नी श्री सोहनलाल ग्राम ढहरा, जिला भरतपुर	श्री सोहनलाल, (पति)	21.8.12 को चारा काटते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	20.02.13	मण्डी समिति स्तरीय जांच नहीं होने के कारण	जांच उपरान्त सहायता समिति की आगामी बैठक में निस्तारण किया जावेगा
2.	डीग	5	श्रीमती मीना पत्नी स्व. श्री भजनलाल ग्राम बेढम, जिला भरतपुर	श्री भजनलाल (पति)	15.9.12 को खेत में खाद डालते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	12.10.12	एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने का कारण	एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर निस्तारण किया जायेगा।
3.	नदबई	6	श्रीमती कल्लूआराम स्व. श्री मलखान मीणा ग्राम संथेला जिला भरतपुर	श्री मलखान मीणा (पिता)	29.11.10 को खेत में पानी देते समय जहरीले सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	14.2.11	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से मार्ग-दर्शन चाहा गया है।	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		7	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह, ग्राम मिरचूआ जिला भरतपुर	श्री मोहन सिंह (पति)	21.10.2010 को जंगल में भैंस चराते समय बोरिंग की कुईय में गिरने से मृत्यु	मृत्यु	16.12.10	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से मार्ग-दर्शन चाहा गया है।	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।
		8	श्रीमती केसन्ती पत्नी स्व. श्री श्रीराम ग्राम ऊंच जिला भरतपुर	श्री श्रीराम (पति)	19.8.12 को खेत से चारा लाते समय पैर फिसल कर गिरने से गम्भीर चोट से मृत्यु	मृत्यु	03.12.12	मण्डी समिति स्तरीय जांच नहीं होने के कारण।	जांच उपरांत आगामी बैठक में निस्तारण किया जायेगा।
		9	श्रीमती कमलेश पति स्व. श्री करतार सिंह ग्राम करेली जिला भरतपुर	श्री करतार सिंह (पति)	4.9.12 को चारा काटते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	03.12.12	मण्डी समिति स्तरीय जांच नहीं होने के कारण।	जांच उपरांत आगामी बैठक में निस्तारण किया जायेगा।

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		10	श्रीमती संतरा देवी पत्नी स्व. श्री राजकुमार ग्राम लखनपुर जिला भरतपुर	श्री राम कुमार (पति)	18.7.12 को बाजरे की नराई, मुड़ाई करते समय सर्पदंश से मृत्यु	मृत्यु	18.12.12	मण्डी समिति स्तरीय जांच नहीं होने के कारण।	जांच उपरांत आगामी बैठक में निस्तारण किया जायेगा।
		11	श्री रामकिशन पुत्र श्री दोजी ग्राम भरकाउ जिला भरतपुर	श्री रामकिशन (स्वयं)	14.01.13 को चारा मशीन से कुटाई करते समय बांये हाथ की एक अंगूली कटी	अंग भंग	13.2.13	मण्डी समिति स्तरीय जांच नहीं होने के कारण।	जांच उपरांत आगामी बैठक में निस्तारण किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

विद्यार्थी मित्रों की मांगों का समाधान

राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ अपने प्रान्तीय निर्णयानुसार अपने मांग पत्र पर राज्य सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित करता रहा है, जिसमें पिछले पांच वर्षों से विद्यार्थी मित्र शिक्षक दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प मानदेय में बेहतरीन शिक्षण करा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के विद्यार्थी मित्र जिन्हें रेलमगरा एवं कुम्भलगढ़ ब्लाक में लगाया गया है उन्हें भीम एवं देवगढ़ ब्लाक में चाहे वह प्राथमिक हो या माध्यमिक विद्यालयों में लगाया जाय। आज के बेहताशा महंगाई में अल्प मानदेय के कारण इन विद्यार्थी मित्रों का जीवन यापन दूभर हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से विद्यार्थी मित्रों की मांगें सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं—

1. विद्यार्थी मित्रों का न्यूनतम मानदेय छठे वेतन आयोग के अनुसार फिक्स किया जाये।
2. ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश का मानदेय दिलवाया जाये।
3. विद्यार्थी मित्रों की सेवाएं अनवरत रखी जायें।
4. आकस्मिक अवकाश एवं प्रसूति अवकाश दिलवाया जाये।
5. विद्यार्थी मित्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, नियमित किया जावे।
6. वे विद्यार्थी मित्र जो अपने क्षेत्र से दूर कार्यरत हैं उन्हें अपने क्षेत्र में स्थापित किया जावे।

अत: माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि विद्यार्थी मित्रों की उक्त मांगों को ध्यान में रखकर निराकरण करवाया जाये जिससे राज्य के विद्यार्थी मित्रों का राज्य सरकार के प्रति विश्वास बना रहें। चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

हरिसिंह रावत
(भीम)

संविदाकर्मियों को स्थायी नौकरी

शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के शिक्षकों को व पंचायती राज के संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर सरकार इनको स्थाई नौकरी देना चाहती है, मैं

सरकार से पूछना चाहती हूं कि दूसरे विभाग ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिसे आप नियमित नहीं करना चाहते हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 108 एम्बुलेंस में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी, वाहन चालक को भी बोनस अंक देकर स्थायी कर सकते हैं क्योंकि उक्त नर्सिंग स्टाफ डिप्लोमाधारक भी है, वर्तमान में नर्सिंग स्टाफ 108 में (EMT) के रूप में पिछले पांच वर्षो से सेवाऐं दे रहे हैं, राज्य सरकार ने पूर्व में भी संविदाकर्मियों को स्थायी किया एवं वेतनवृद्धि की गई है, लेकिन स्थाई नौकरी नहीं दी गई है, उक्त एनआरएचएम नर्सिंग कर्मचारियों एवं एएनएम तथा 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं में लगे नर्सिंग स्टाफ मूल योग्यता समान होने पर भी और एक ही परियोजना निदेशक होने के बावजूद भी 108 एम्बुलेंस में लगे कर्मचारियों को वेतनभत्तों में भी समानता नहीं रखी गई है, जबकि योग्यता डिप्लोमा समान है, महानरेगा में संविदाकर्मी व एनआरएचएम में लगे संविदा नर्सिंगकर्मी, मेडिकल रिलीफ सोसायटी, एडस कन्ट्रोल सोसायटी, सहकारिता विभाग, सहकारिता उपभोक्ता भण्डार, व्यक्तिगत अनुबन्धन अस्थाई अवधि के आधार पर कर्मचारियों को बोनस अंक देने पर विचार करें।

इसके साथ ही महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भी स्थाई किया जावे। डोट्स प्रोग्राम (टी.बी.) रोकथाम हेतु आरएनटीसीपी प्रोग्राम राज्य में अक्टूबर, 2005 से प्रत्येक जिले में संविदा कर्मचारी जो कार्यरत हैं, इनको सरकार जो फिक्स मानदेय दे रही है, वह बहुत ही कम मात्रा में है। मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में जिला अस्पतालों एवं सी.एच.सी.-पी.एच.सी. में लगे लैब टेक्निशियन को स्पेशल पे 50 रुपये देते हैं, जिस दिन से इसे लागू किया गया है। आज तक 50 रुपये ही है जबकि अन्य किसी प्रकार के मेसिंग एलाउंस नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रामीण भत्ता मिलना चाहिये।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

बयाना की अनुसूचित जाति हेतु आबंटित बजट का सार्वजनिकीकरण

विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत एस.सी. की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय पर जो बजट एस.सी. के विकास हेतु आता है, कतिपय व्यवस्थाओं में हेराफेरी स्वरूप उन गरीब व्यक्तियों को नहीं मिल पाता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एस.सी. वर्ग का वह मजदूरी पर निर्भर व्यक्ति जो अपने पेट यापन की व्यवस्थाओं में ही व्यस्त रहता है। उसे यह भी पता नहीं कि सरकार उनके उत्थान के लिये क्या कर रही है। सरकार की पारदर्शिता का भी अभाव रहता है इसके लिये जरूरी है कि कम से कम इस आबंटित राशि को तहसील मुख्यालय पर सार्वजनिक किये जाने की व्यवस्था हो, ताकि आम आदमी को पता चल सके, इसके अभाव में

एस.सी. वर्ग की वह जाति जो सदैव से ही पूरे बजट का उपभोग करती है। सीधा-सीधा फायदा उठाने में सफल होते रहते हैं, किन्तु एस.सी. वर्ग की ऐसी जातियां जो कम जनसंख्या में ग्रामों में निवास करती हैं या शिक्षा में पिछडी हुई हैं। वंचित हो जाती हैं, जो उनका शोषण का प्रतीक सिद्ध होता है। अल्प जनसंख्या की एस.सी. को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाकर, यदि उन्हें लाभ दिलाने में सहायक होगा, तभी उनका उत्थान चाहे, वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के अवसर हों, उत्थान सम्भव होगा और उनकी मानिटरिंग भी जिला स्तर पर की जावे। अन्यथा एक विशेष वर्ग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता रहेगा और गरीब पिछड़ जायेंगे।

अत: मेरा प्रस्ताव है कि बजट का सार्वजनिक होना एवं सभी जातियों को साथ लेकर चलना, विकास में सहायक होगा।

ग्यारसाराम कोली

(बयाना)

वैर में कतिपय सड़कों का निर्माण

उपरोक्त सन्दर्भ में लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आज भी आने-जाने का सही रास्ता नहीं है जैसा कि झील की माता का मन्दिर कालीसिल से ग्राम तालिमपुर जिसकी लम्बाई करीब 2 किमी. है यहां पर आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है झील माता के मन्दिर पर साल में दो बार मेला लगता है जिसमें करीब रोजाना लाखों की संख्या में लोग मेला के समय आते हैं इस सड़क के करीब दस गांव जुड़ते हैं और बयाना व वैर जाने के लिए करीब 10 कि.मी. का अन्तर आने जाने से बच जायेगा और इसी तरह समराया से भगोरा लम्बाई करीब ढाई किलोमीटर व नयाबरखेड़ा तिराहे से वैर हन्तरा रोड तक लम्बाई करीब 1 कि.मी. व अजरौदा रोड से लुहासा तक लम्बाई करीब 2 कि.मी., भुसावर रोड कदम से शाहपुर होते हुये नगला धवला तक लम्बाई 2 कि.मी. उपरोक्त सड़कों के नहीं होने के कारण वर्षा के दिनों में कोई रास्ता नहीं रहता है इन सभी सड़कों से करीब 10-12 गांव जुड़ते हैं जिनके लिये कई बार बरसात के मौसम में आने जाने में बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है और बरसात के मौसम में कोई व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में बीमार हो जाता है तो उसको लाने ले जाने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में आम जनता को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अत: महोदय आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त सड़कों का निर्माण कर दिया जाता है तो आम जनता की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा।

बहादुर सिंह

(वैर)

जवाजा मुख्यालय पंचायत समिति को तहसील का दर्जा

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायत समिति-जवाजा मुख्यालय के आस-पास में ग्राम पंचायत-कोटड़ा, काबरा, नाईकलां, बडकोचरा, जवाजा, देवाता, सुरजपुरा, सर्विणा, लोटियाणा, रावतमाल, तारागढ इत्यादि ग्राम पंचायतों को टाटगढ़ तहसील में शामिल करने से इस क्षेत्र के लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड रहा है। क्षेत्र के लोग धरना-प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायतों को लोगों को 80 कि.मी. दूर टाटगढ़ तहसील में क्यों मिलाया गया। यह हमारे लिये बहुत बड़ी सरकार की तरफ से सजा है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि पंचायत समिति-जवाजा मुख्यालय को तहसील का दर्जा दिया जावे एवं ऐसा सम्भव नहीं होने पर उक्त ग्राम पंचायतों को पूर्व की ही भांति तहसील ब्यावर में ही रखा जाने का आदेश जारी करावें।

अत: क्षेत्र की जनता के व्यापक आक्रोश को देखते हुए पंचायत समिति-जवाजा मुख्यालय को तहसील का दर्जा दिया जावे एवं साथ ही उक्त ग्राम पंचायतों को पूर्व की भांति तहसील ब्यावर में ही रखा जाने का आदेश जारी करवाकर आम जनता को राहत प्रदान करें।

शंकर सिंह

(ब्यावर)

कोटकासिम उपखण्ड मुख्यालय (अलवर) पर मुंसिफ न्यायालय खोला जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अलवर जिले में 12 उपखण्ड कार्यालय हैं तथा 2 उपखण्ड कार्यालय इसी बजट में नये खोलने की घोषणा की गई। पूर्व में स्थापित अलवर जिले के 12 उपखण्ड मुख्यालयों में मात्र कोटकासिम उपखण्ड मुख्यालय को छोड़कर सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय स्थित है। उपखण्ड मुख्यालय तिजारा, किशनगढ़ बास, बहरोड़, बानसूर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर आदि स्थानों पर ए.डी.जे. न्यायालय भी वर्षो से कार्यरत हैं व तिजारा, नीमराणा में तो ग्रामीण न्यायालय भी स्थित है। कोटकासिम क्षेत्र के लोगों को सस्ता एवं सुलभता से न्याय मिल सके इस महत्व को ध्यान में रखते हुये उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर मुंसिफ न्यायालय खोलना अति आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में कई वर्षों से वहां के वकील, क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार मुंसिफ न्यायालय खोलने की मांग की जा रही है।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी निवेदन करता हूं कि जनभावनाओं के अनुरूप उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर अतिशीघ्र मुंसिफ न्यायालय खोलकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

रामहेत सिंह

(किशनगढ़ बास)

बायतू की सड़कों की दुर्दशा

राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री का विशेष उल्लेख के तहत सड़कों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश की लोककल्याणकारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में जनहित के कई निर्णय लिये हैं। जिससे जनता को लाभ पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मार्ग सड़कों के माध्यम से ही पहुंचता है। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मीसींग लिंक, आर.आई.डी.एफ. एवं टी.एफ.सी. में सड़कें स्वीकृत की हैं एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी को क्षेत्र में भेजकर सड़कों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। तथा नितान्त आवश्यक सड़कों के पेचवर्क भी करवाये एवं नवीनीकरण भी करवाया है।

चूंकि सड़कों के माध्यम से ही विकास का मार्ग गांवों तक जाता है। इसलिए सड़क ठीक होना नितान्त आवश्यक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नेशनल हाइवे, तीन स्टेट हाइवे, दो एम.डी.आर., पांच ओ.डी.आर. एवं 218 वी.आर है। जिसमें से एसएच-40 चवा-कानोड-फलसूण्ड सड़क में 2 किमी सड़क बहुत खराब है। एम.डी.आर. 20-ए पचपदरा-पाटोदी 20 किमी में से 12 किमी आईआरडीएफ के तहत नवीनीकरण हेतु स्वीकृत की गई है। लेकिन सबसे अधिक खराब एवं आवश्यक मेरे क्षेत्र के 6 किमी के हिस्से को छोड़ दिया गया है। जिसे स्वीकृत किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वैसे तो मेरे क्षेत्र में एसएच-40, एमडीआर 20ए व 21, ओडीआर 2, 7, 26, 29 एवं वी.आर. 66, 133, 134, 136, 139, 193, 268, 301, 317, 362, 493, 497, 501, 580, 599, 603, 609, 613 कई पूर्ण एवं कई आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं कई स्थानों पर तो समाप्त प्राय हो चुकी हैं। लेकिन अधिकांश उपयोगी एवं महत्वपूर्ण एमडीआर 21, एम.डी.आर. 26 का 18 किमी का हिस्सा, वी.आर. 66 का क्षतिग्रस्त 4 किमी का हिस्सा, वी.आर. 136 का 3.500 किमी, वी.आर. 193 का 6 किमी, वी.आर. 317 पूरी, वी.आर. 501, 603, 609 बहुत ही क्षतिग्रस्त है। इन पर वाहन तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकीन हो गया है। आम नागरिक को परेशानी का सामना करना

पडता है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण विभाग आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। जिससे हमारी सरकार एवं विभाग की छवि खराब हो रही है।

मेरा निवेदन यह है कि ये सड़कें मेरे क्षेत्र की नहीं बल्कि जिले की भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये सड़कें रामदेवरा, नाकोडा जैसे तीर्थ स्थलों के साथ ही जोधपुर, जैसलमेर जिले को जोड़ने वाली सड़कें हैं। इन पर वाहनों का भारी दबाव रहता है इसलिए इनकी मरम्मत नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्री महोदय को भी कई बार पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर निवेदन भी किया गया है। मंत्रीजी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से उक्त सड़कों का मौका निरीक्षण करवाया गया था। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त सड़कों से 60 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त बताकर मरम्मत की आवश्यकता की सिफारिश भी की है। राज्य सरकार एवं विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा विशेष निवेदन है कि उक्त सड़कों की मरम्मत करने की स्वीकृति जारी कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करें।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

सोंखरी ग्राम (अलवर) में वन क्षेत्र में घाटी मार्ग पर सड़क निर्माण

मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर के ग्राम सोंखरी में एक मार्ग है जो घाटी में होकर गुजरता है। लेकिन घाटी क्षेत्र वन विभाग में आती है। ग्राम सोंखरी के 80 प्रतिशत किसानों की खेती इस पहाड़ के पीछे है। पैदल यात्री तो निकल जाते हैं लेकिन मवेशी चरने इस पहाड़ के पीछे जाते हैं तो कई बार कई भैंसों के पैर टूट गये। व्यक्तियों को मोच आ गई। किसान अपनी फसल को लेकर आते हैं या खेती कृषि का सामान गाड़ियों से खेती पर पहुंचाते हैं तो इन किसानों को तीन से चार किलोमीटर का चक्कर खाना पड़ता है। तीन ग्राम पंचायतों के निवासियों का यह रास्ता है। करीब पांच हजार व्यक्ति रोजाना इस पैदल मार्ग से गुजरता है केवल साइकिल या मोटर साइकिल ही बडी परेशानी के बाद निकलती है।

मैंने छह माह पूर्व ग्राम के निवासियों के साथ इस घाटी मार्ग को ठीक करने के लिए ग्रामवासियों के सहयोग से कार्य प्रारम्भ किया तो वन विभाग के कर्मचारियों ने इसमें आपत्ति जताई। इस घाटी मार्ग को खुद DFO अलवर देखने पहुंचे तथा तत्कालीन SDM वहां मौका देखने पहुंची। करीब चार हजार व्यक्ति वहां मौजूद थे। ग्रामवासियों की व्यथा व परेशानी SDM कठूमर, तहसीलदार कठूमर व DFO अलवर ने सुनी इसके बाद पटवारी हल्का सोंखरी तहसीलदार व SDM कठूमर ने इस मार्ग को बनाना व

ठीक करना उचित समझा। SDM कठूमर ने रिटर्न में अपनी राय DFO अलवर को भेजी तथा DFO अलवर ने वन विभाग जयपुर से अनुमति व निर्देश मांगे हैं कि इस मार्ग को बनाना जनहित में है। मैंने इसे बनाने हेतु विधायक कोष से राशि 2012 में से 3 लाख रुपये इस मार्ग को बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता खेरली को दिये हैं। तथा अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजगढ़ जि. अलवर ने भी इसके एस्टीमेट व अन्य जानकारी वन विभाग को भेजी है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को बनाने हेतु वन विभाग के अधिकारी जयपुर मुख्यालय डीएफओ अलवर को निर्देश जारी करें कि इस आवश्यक मार्ग को जनहित में सार्वजनिक निर्माण विभाग को बनाने में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होने दें। यह मार्ग 1960 से पूर्व से संचालित है। रोजाना व्यक्ति निकलते हैं इसे मात्र खेती के उद्देश्य से किसानों को फसल लाने ले जाने हेतु मार्ग को चौड़ा व समतल करने का कार्य करने दें। तुरन्त आदेश जारी करवाने की कृपा करें।

बाबूलाल बैरवा

(कठूमर)

सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति का कोटा 15 से 20 प्रतिशत किया जाना

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1979 के अनुसार राजस्थान में कर्मचारियों का आरक्षित कोटा 50 प्रतिशत निर्धारित है जबकि सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति मात्र 15 प्रतिशत है जो कि सहायक कर्मचारियों के साथ बेहद अन्यायपूर्ण है। आप जानते हैं कि नौकरियों में बेहद कमी आने के कारण आज अच्छे योग्यताधारी सहायक कर्मचारी पदों पर नियुक्त हैं। पूर्व में सहायक कर्मचारी पदों पर कम पढ़े हुए लोग ही चयनित होते थे तब यह 15 प्रतिशत पदोन्नति रखी गई थी। परन्तु आज योग्यताधारी काफी पढ़े लिखे आते हैं। यह 15 प्रतिशत अन्य कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तुलना में सहायक कर्मचारियों के साथ बेहद सौतेला व्यवहार है। सहायक कर्मचारियों के बहुत बड़े वर्ग के हित में तथा न्याय के हित में यह पदोन्नति कोटा अव्यवहारिक 15 से बढ़ाकर व्यवहारिक 50 प्रतिशत किया जाए।

रविन्द्र सिंह बोहरा

(राजाखेड़ा)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP) की अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में 5.5 प्रतिशत का पृथक आरक्षण

निवेदन है कि राजस्थान राज्य में कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए कुल 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के

अनुसार कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत लोग TSP एरिये में निवास करते हैं जो पूर्णत: कमजोर एवं अशिक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आरक्षित 12 प्रतिशत का वास्तविक लाभ इस TSP क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे अन्य 52 प्रतिशत लोग फायदा उठा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप आजादी से आज दिनांक तक TSP क्षेत्र से प्रशासनिक एवं उच्च सेवा में TSP क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है।

अत: मेरा निवेदन है कि राजस्थान प्रशासनिक एवं अन्य उच्च सेवा में TSP क्षेत्र की (48 प्रतिशत) जनसंख्या के अनुपात में कुल 12 प्रतिशत आरक्षण में से 5.5 प्रतिशत TSP क्षेत्र की जनता के लिए अलग से प्रावधान कर दिया जावे ताकि TSP क्षेत्र के वास्तविक रूप से पिछडी अनुसूचित जनजाति की संख्या भी उच्च सेवा का लाभ प्राप्त कर सके। ताकि इस क्षेत्र से चुना हुआ अधिकारी अपने क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा कर सके।

शंकर लाल अहारी

(चौरासी)

बीकानेर के महाराजा डा. करणी सिंह स्टेडियम की दुर्दशा

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर जिले में सबसे बड़ा महाराजा डा. करणी सिंह स्टेडियम है, इस स्टेडियम में अलग-अलग ब्लाक में अनेक खेल खेले जाते रहे हैं जिनमें से प्रमुख रूप से हाकी, क्रिकेट, फुटबाल, साइकिलिंग, बालीबाल, टेनिस, शुटिंग, बाल क्लाइसिंग आदि। बीकानेर के डा. करणी सिंह स्टेडियम में पहले सभी खेल मैदानों पर खिलाड़ी निरन्तर अभ्यास करते थे तथा अनेकों राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें होती थीं। उसी का परिणाम है कि बीकानेर से फुटबाल, शुटिंग, साइकिलिंग सहित अनेक खेलों में अनेक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश के लिये खेले और जिले, प्रदेश और देश का रोशन किया।

बीकानेर के सबसे बड़े महाराजा डा. करणी सिंह स्टेडियम की पिछले कई वर्षों से दुर्दशा हो रही है। स्टेडियम के विकास के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर पैसा भी खर्च किया जाता होगा लेकिन वो पैसा कहां खर्च होता है। स्टेडियम में नजर नहीं आता।

मैं, निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर के महाराजा डा. करणी सिंह स्टेडियम की दुर्दशा को सुधरवाया जाये। बीकानेर में साइकिलिंग एकेडमी स्थापित करवाई जाये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग वेलोड्राम का निर्माण करवाया जाये। जिससे बीकानेर के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके।

सुश्री सिद्धि कुमारी

(बीकानेर पूर्व)

मेघवालों का भाट, मेघवालों के रावलिया/रावलिया मेघवाल अंकित कर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

राज्य एवं पाली जिले में मेघवालों के भाट निवास करते हैं। उनका पुश्तैनी व वर्तमान व्यवसाय मेघवालों पर ही आधारित है। इस जाति के कुछ लोगों के पास खेती की जमीन है उनके राजस्व रिकार्ड में जाति के नाम पर केवल “भाट” दर्ज है जो ओबीसी में मानी जाती है जो वास्तव में अनुसूचित जाति के हैं। गांवों में उनका व्यवहार रीति रिवाज बैठक-उठक खान-पान रहन-सहन आदि मेघवालों के साथ है लिहाजा ये सभी मेघवालों के समान ही अनुसूचित जाति के हैं किन्तु जाति प्रमाण पत्र बनाने में राजस्व रिकार्ड को ही माना जाता है। उसके कारण से इन जाति के लोगों को अनु. जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जिससे इन लोगों को एससी के होते हुए भी एससी का लाभ नहीं मिल पाता।

इन समाज के लोग मेघवालों के घर नाचने गाने सम्बन्धी काम भी करते थे। जिससे इन्हें रावलिया कहा जाता है जिसके आधार पर पहले एससी प्रमाण पत्र “रावल” जाति का दिया जाता था। परन्तु वर्तमान में राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था के कारण इनको भी एससी का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।

अत: निवेदन है कि गजट नोटिफिकेशन में “मेघवालों का भाट” मेघवालों के रावलिया/रावलिया मेघवाल जो भी उचित हो अंकित करवाकर वांछित जाति दर्ज करने की प्रक्रिया करके इन लोगों को अनुग्रहीत करावें।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 29– नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) **:**

1. लम्बे समय से नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय कालोनी विकसित नहीं करने के कारण अनाधिकृत कालोनियों का नियमन कर उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

3. नगरपालिका अनूपगढ़ में राजकीय चिकित्सालय के पास स्थित चौक का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

4. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के नीमकाथाना नगर के विकास में जमा 10 करोड़ के विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

5. प्रदेश में आगामी 20 वर्ष के लिये मास्टर प्लान के साथ-साथ दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. नगरों का समय पर मास्टर प्लान नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. नगर आयोजना के अन्तर्गत विराट नगर पौराणिक स्थान के विकास के लिये बजट आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. छोटी नगरपालिकाओं को विशेष सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

9. रामगंजमण्डी नगरपालिका को नगरीय विकास हेतु आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राजगंजमण्डी नगरपालिका में अहीर समाज को छात्रावास का भू-खण्ड आबंटन हेतु राशि जमा होने के उपरान्त भी भू-खण्ड आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. रामगंजमण्डी नगर में रेलवे ओवरब्रिज पर उपजिला कलक्टर कार्यालय उण्डवारोड पर ट्री रोड की पुलिया का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी नगरपालिका एवं कोटा नगर निगम क्षेत्र में जनता को मूलभूत सुविधाएं जैसे-पानी, बिजली, सफाई आदि की समुचित व्यवस्थाएं समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

13. जोधपुर विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क जमा करवाकर पट्टा लेने के बावजूद भी जल, विद्युत कनेक्शन हेतु पुन: विकास शुल्क के नाम पर कनेक्शनों में चार गुना डिमाण्ड से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा/पीपाड़शहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवासीय पट्टे नि:शुल्क आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. बिलाड़ा/पीपाड़शहर नगरपालिका क्षेत्र में बने मास्टर प्लान में नगरीय सीमा से जुड़े गांवों में भू-खण्डों के पट्टे देने एवं कृषि भूमियों के संपरिवर्तन पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

16. प्रत्येक ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से गांव का मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. नगर आयोजना समितियों को वितीय अधिकार देने एवं नगर आयोजना समिति की मीटिंग समयबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

18. शहरी विकास एवं मास्टर प्लान में समन्वय करके विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

19. दिल्ली बाइपास रोड स्थित नागतलाई कली के भट्टों एवं लबलबी की कोठी की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने एवं चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. आदर्श नगर में खड्डा बस्ती नाम से बसी हुई कच्ची बस्ती के कारण आसपास के निवासियों को होने वाली परेशानियों तथा उक्त बस्ती का अन्यत्र पुनर्वास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
23. गलता तीर्थस्थल के आसपास में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

24. ब्यावर शहर में नगर सुधार न्यास की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

25. आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
26. नगरीय क्षेत्र की टूटी-फूटी सड़कों को क्रमबद्ध तरीके से तीन वर्ष में पुन: निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

27. चूरू नगरपालिका में स्वीकृत ए.डी.बी. प्रोजेक्ट का कार्य अधूरा रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

28. अटरू व खेड़लीगंज ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
29. बारां शहर में वर्षा के समय पानी भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

30. भीलवाड़ा शहर में मास्टर प्लान स्वीकृत हुये बिना हो रही तोड़फोड़ को रोकने एवं जनता को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. भीलवाड़ा के प्रस्तावित मास्टर प्लान में दर्ज कराई गई आपत्तियों की सुनवाई जल्दी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों एवं अन्य स्थानों पर पट्टे देने में भारी राशि वसूलने से गरीबों एवं मध्यम वर्ग पर पड़ने वाले बोझ के कारण इस राशि को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. नगर परिषद भीलवाड़ा एवं जिन्दल शा लिमिटेड के मध्य हुये रजिस्टर्ड करार में तय की गई शर्तों को शीघ्र लागू कराने एवं नगर परिषद भीलवाड़ा को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

34. तारानगर नगरपालिका को केन्द्र सरकार की योजना से मिलने वाला लाभ नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. तारानगर नगरपालिका में सफाईकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) :

36. बानसूर (अलवर) को नगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

37. नगर परिषद जालौर में सीवरेज लाइन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

38. नावां शहर हेतु सीवरेज लाइन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. कुचामन नगरपालिका क्षेत्र एवं नांवां नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण करने एवं सौंदर्यकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. कुचामन शहर में स्वीकृत सीवरेज लाइन का कार्य शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

41. नगरपालिका क्षेत्र बड़ी सादड़ी में रेलवे स्टेशन से प्रजापत बस्ती एवं कल्याणपुरा तक सी.सी. सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. नगरपालिका क्षेत्र बड़ी सादड़ी से भागल तक डामर/सी.सी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. नगरपालिका मुख्यालय बड़ी सादड़ी की आवासीय बस्तियों में सी.सी. सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

44. चौमूं नगरपालिका में पट्टों के लिये पूर्व में राशि जमा करवाने के उपरान्त भी पट्टे जारी नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. मेट्रो रेल परियोजना को चौमूं-गोविन्दगढ़ तक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. नगरपालिका चौमूं एवं अन्य नगरपालिकाओं द्वारा प्रशासन शहरों के संग के दौरान नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी रियायती संशोधन दरें लागू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. चौमूं कस्बे की जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित कालोनियों में श्यामनगर व कैलाश विहार पार्क का विकास करने हेतु राशि स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. चौमूं कस्बा एवं जे.डी.ए. अधीन ग्राम मोरीजा, अणतपुरा, चौप व जैतपुरा में सड़क निर्माण के लिये राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

49. नगरपालिका माण्डलगढ़ में सीवरेज लाइन डालने एवं नगरपालिका के नये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

50. नगरपालिका राणी में नालियों पर बनी लोहे की जालियों का अधिक भुगतान उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. नगरपालिका राणी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

52. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्ड नं. 70 के दीनानाथजी के रास्ते में

स्थित उमाशंकर चौक में नगर निगम द्वारा हाल ही बनाई गई सीमेंट की सड़क में घटिया सामग्री लगाये जाने के कारण सड़क खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

53. नव क्रमोन्नत नगरपालिका मकराना में गार्डन, सौन्दर्यकरण, रोडलाइट, हाइमास्क लाइट, सड़कें निर्माण आदि कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. नव क्रमोन्नत नगर परिषद मकराना में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. नव क्रमोन्नत मकराना नगर परिषद में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. मकराना नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. नगर परिषद मकराना में छोटी दमकल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

58. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के अन्दरूनी शहरी इलाके के लिये विशेष पैकेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर, मुक्ताप्रसाद नगर एवं नंगला नगर में कच्ची बस्तियों के नवीनीकरण एवं मुरलीधर व्यास नगर के सौंदर्यकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास नगर एवं मुक्ता प्रसाद नगर के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

61. प्रदेश में टाउनशिप पालिसी 2010 के तहत आस-पास के गांवों की भूमि के रास्ते रुकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. हनुमानगढ़ जिले की समस्त नगरपालिकाओं में लागू हुए मास्टर प्लान से आ रही कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

63. नगरपालिका रायसिंहनगर के वार्ड नं.11, 12, 13 एवं 14 की कच्ची बस्तियों के पट्टे नहीं देकर पालिका अध्यक्ष एवं कर्मचारियों द्वारा आमजन को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. रायसिंहनगर नगरपालिका के वार्ड नं. 25 में 50 वर्ष पुराने सार्वजनिक कुएं के स्थान पर दुकानें काट कर नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहर की सफाई व्यवस्था के लिये नियमित सफाईकर्मियों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. श्री विजयनगर, नगरपालिका क्षेत्र में अवैध एवं बिना स्वीकृति के काम्प्लेक्सों के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

67. मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाली कालोनियों में सड़कें, पार्क एवं सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में केवल अनुमोदित योजना के पट्टे जारी करने, गैर अनुमोदित योजना एवं अवाप्तिधीन भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के भी पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. जयपुर के मास्टर प्लान 2025 को लागू किये जाने से पूर्व जयपुर के जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 10 में आने वाले खसरा नं. 172 एवं 170 (बास बदनपुरा) में अवाप्तिधीन भूमि पर बसी कालोनियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में दी गयी शिथिलता के तहत नियमन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. जयपुर में वर्षाकाल में टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

72. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की नगरपालिकाओं में प्रशासन एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध कालोनियों का विस्तार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

73. रामगंजमण्डी नगर में रेलवे अण्डरपास नहीं बनाने व निर्मित दोनों ओवर ब्रिजों के निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 28– ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

1. प्रदेश में व्यक्तिगत आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. ग्राम पंचायतों में टेण्डर प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महानरेगा योजना में सी.सी. सड़क निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महानरेगा योजना में प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सम्पत्ति निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

6. महानरेगा में इन्टरलिंकिग सड़क, पक्की नाड़ी सहित पक्के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लेबर कम्पोनेट को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

7. ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्यों की क्रियान्विति करने के लिए सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

8. पंचायत समिति घड़साना को स्वयं के कार्यालय में स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

10. प्रदेश में 500 तक की आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

11. जिला सीकर में नये सामुदायिक भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

12. विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात विकास बोर्ड से स्वीकृत कार्यों के धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

13. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के बी.पी.एल. परिवारों को अभी तक इन्द्रा आवास नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

14. डीग कस्बा स्थित पंचायत समिति में नवीन भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

15. मनरेगा में स्थायी सम्पत्ति निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
16. ढाणियों के क्लस्टर योजना के अन्तर्गत सड़कों का कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
17. गांवों में कीचड़ फैलने से उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिए पक्की सड़कें न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
18. विधायक/सांसद के कोष को मनरेगा से जोड़कर पक्के कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

19. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों पर द्वितीय/अन्तिम किश्त का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
20. विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कोष में ग्रामों में दो से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक सभा भवन/किसान भवन/विश्राम भवन/धर्मशाला निर्माण पर लगी रोक को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वितीय स्वीकृति जारी होने के बाद तय सीमा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा (पंचायत समिति लूनी, बिलाड़ा एवं मण्डोर) में चल रही जन सहभागिता योजना अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा गत दो-तीन वर्षों से राशि जमा कराने के बावजूद कार्य स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

23. प्रदेश में सभी ग्रामीण विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु शौच, शौचालय व शुद्ध पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश की सभी ग्राम पचायंतों को परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश के सभी निर्मित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कम्प्यूटर का उपयोग कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

28. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक छोटा स्टेडियम बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जन भागीदारी विकास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अधिक सोखता गड्ढा बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. प्रत्येक राजीव गांधी भारत निर्माण भवन में चौकीदार, लिपिक एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. अलवर जिला परिषद के माध्यम से विकास हेतु सभी पंचायत समितियों को समान रूप से राशि आबंटन नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

33. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं जलग्रहण योजना का अधिक प्रचार-प्रसार एवं विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में हरित राजस्थान कार्यक्रम को निजी काश्तकारों के माध्यम से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. ग्रामीण विकास के चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

36. ग्राम पंचायत भुसलिया में ग्राम सेवक द्वारा नरेगा में फर्जी हाजरी भरने एवं स्थान्तरण के बावजूद भी नहीं हटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

37. महानरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी दर कम होने एवं इस योजना के अन्तर्गत विकास के पक्के कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. ग्रामों के विकास के लिये समग्र योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामों में निर्धन परिवार आवास योजना के अन्तर्गत घोषित योजनाओं की क्रियान्विति में असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में ग्रामीण विकास हेतु विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक विलम्बता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे जल संरक्षण कार्य को पहाड़ी क्षेत्र में चालू करने से पहाड़ी क्षेत्र का पानी जो बहकर चला जाता है, उसका संरक्षण कर जल स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

42. ग्रामीण विकास के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

43. प्रदेश में पंचायती राज के सशक्तीकरण के अन्तर्गत किए गए कार्यक्रमों के निराशाजनक परिणाम आने व पंचायतीराज संस्थाओं के कमजोर होने के कारणों पर विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

44. ग्राम पंचायत सुमेल एवं विजयपुरा (पंचायत समिति झोटवाड़ा) में सड़कों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. ग्राम पंचायत सुमेल एवं विजयपुरा (पंचायत समिति झोटवाड़ा) के श्मशानों में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

46. प्रदेश के गावों की सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश के समस्त गांवों का मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश के गांवों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्ति के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश की समस्त गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश की समस्त गोचर भूमि पर चरागाह विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

51. पंचायत समिति, सेवर (भरतपुर) में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. पंचायत समिति, सेवर (भरतपुर) में ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की यू.सी. व सी.सी. नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. पंचायत समिति, सेवर द्वारा मनरेगा में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. पंचायत समिति, सेवर (भरतपुर) में राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्रों के निर्माण कार्यों के उपयोग में लाई गई सामग्री में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

55. पंचायत समिति राजाखेड़ा में आर.डी.एस. सेवा के विकास अधिकारी एवं सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां/पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के रेशों को बदल कर योजना के

अन्तर्गत पक्की-स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

57. राज्य की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर्स का उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में नरेगा श्रमिकों को बकाया भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

59. चूरू जिले में 'महानरेगा' में जांच के बाद भ्रष्टाचार में पाये गये गम्भीर प्रकरणों में जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

60. केन्द्र प्रवर्तित निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन-सहन में सुधार लाने, 2017 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने व सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल पंचायतों के स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अब तक की उपलब्धि व प्रयासों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत एवं शहरी सुविधाएं यथा-जल एवं सीवरेज, ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रखरखाव, नालियां, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व कौशल विकास हेतु 'पुरा योजना' से पृथक ऐसी कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाभान्वित किए जाने व आवास निर्माण हेतु देय राशि एक लाख रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों का दायरा बढ़ाये जाने व उक्त कार्यों से निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में बायो फ्यूल मिशन के उद्देश्यों के अन्तर्गत डीजल रूप में बायो फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती का विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

65. सीकर जिले में पंचायत समिति पिपराली में ग्राम नाथावतपुरा में निर्माणधीन सड़क का कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. सीकर जिले में विधायक कोष के स्वीकृत कार्यों में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. सीकर जिले में भूमि का कनवर्जन चार्ज की राशि जिला परिषद से ग्राम पंचायतों को उनके हिस्से का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंचों का भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. ग्राम पंचायतों में पक्का कार्य करने के लिए श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 की पाबंदी हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

70. बारां शहर के नये 11 गांवों के विकास हेतु विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

71. विधान सभा क्षेत्र मकराना की पंचायत समिति मकराना द्वारा वर्ष 2009 से 2012-13 तक की घोषणाओं के तहत कार्यों को आज तक पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र मकराना में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक विभिन्न योजनाओं में कराये गये घटिया निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र मकराना में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित/प्रायोजित योजना में कराये गये कार्यों में बरती गई अनियमितताओं व वर्षवार लेप्सी बजट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र मकराना में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में तथा केन्द्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं में निर्धारित टारगेट के अनुरूप वर्षवार प्रस्ताव नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

75. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नरेगा योजनान्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ

पुराने कुओं को गहरे कराने एवं नवीन कुओं की खुदाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के नरेगा योजनान्तर्गत उमरदा तालाब, नालिया खेडाबांध, बालोट बांध, बानाखेड़ी बांध की रिपेयरिंग व ऊंचाई बढ़ाने तथा बागन बांध की नहरों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. नरेगा योजनान्तर्गत श्रम मजदूरी का भुगतान नरेगा योजना से एवं मैटेरियल पेटे का भुगतान मकान मालिक से वसूल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नरेगा योजनान्तर्गत तालाब आमाजर, हडप, कुण्डिया, झांथला, मालेश्वर बी के निर्माण एवं खुदाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

79. जहाजपुर क्षेत्र से महानरेगा के अन्तर्गत बावड़ी, तस्वारिया भीलड़ी एवं टीटोटी तालाबों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जहाजपुर क्षेत्र में पंचायतों द्वारा टी.एफ.सी. व एस.सी. की राशि व्यय करने में की गई अनियमितता की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. जहाजपुर क्षेत्र में महानरेगा के तहत स्वीकृत झोंपड़िया वाली नाड़ी से महादेवजी के तालाब तक नाली निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

82. मांडा योजना के तहत केशोरायपाटन के धार्मिक स्थल करवाला का भैंरूजी तक सड़क निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

83. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के बी.पी.एल. परिवारों को इन्द्रा आवास नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

84. चौमूं तहसील के ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि की नियमन दरें अन्य तहसीलों के समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

85. ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकारी भवनों में शौचालय निर्माण करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. पूर्व में निर्मित जर्जर ग्रामीण सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों की गलियों में इन्टर लिंकिंग खरेजा निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गांवों में नाली निर्माण का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम पंचायत मुख्यालय से गांवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

90. पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के भत्तों एवं मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

91. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में गांवों में नरेगा में स्वीकृत सड़कों एवं रपटों का कार्य नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. पाली जिले में स्वीकृत कार्यशालाओं के निर्माण के भुगतान में हुए घोटाले की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

93. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना महानरेगा के तहत पक्के कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

94. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में सैदपुरा से बरिछा तक सी.सी. रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव उसेर, नंगला, वक्ता, गांगरौली, भदीरा, बांसीकलां, श्यौराना, पार एवं छतरपुर में पोखर सुरक्षा दीवार निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव बछामदी अंधियारी, जहांगीरपुर एवं छतरपुर में श्मशान घाट की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव कटारा में मुख्य सड़क से

ऊंचाई तक सी.सी. सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में सी.सी. रोड से लालपुर वाले रास्ते में सी.सी. रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

99. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामीण क्षेत्र में बाध्यता को हटाकर हर किसान के खेत में तथा हर ग्रामीण के घर में पानी का होद निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. मनरेगा के तहत जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिये गये आश्वासन अनुसार डेगाना की झगडवास ग्राम पंचायत में नये रेल्वे फाटक हेतु स्वीकृत सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में मनरेगा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012-13 के प्रस्तावित विकास कार्यों को अभी तक शुरू नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विकास अधिकारी डेगाना द्वारा बिना किसी कारण के ग्राम सेवकों को बार-बार ए.पी.ओ. करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

103. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में करमीसर, सुजानदेसर, बंगला नगर, गोपेश्वर बस्ती, किसभीदेसर आदि में मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के करमीसर, सुजानदेसर गांव की रोड, नाली, लाइट एवं सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

105. विधान सभा क्षेत्र भगठवास में नरेगा की ग्रेवल बनी सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर)

106. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण बी.पी.एल. आवासीय योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े आवासों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. हनुमानगढ़ जिले में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

108. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बी.ए.डी.पी. योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में स्वविवेक जिला विकास योजना के अन्तर्गत श्रीगंगानगर में पिछले 5 वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत सतजन्ड रायसिंहनगर के वर्तमान सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी रायसिंह नगर द्वारा वाटरवर्क्स के गेट को बदलकर पुराने गेट के आगे की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. ग्राम पंचायत, 41 जी.बी., 6 बी.एल.एम. पंचायत समिति अनूपगढ, ग्राम पंचायत सतजन्डा, 75 एन.पी. की पंचायत समिति आर.एस.एन.आर. नरेगा एवं सांसदों, विधायकों के विकास निधि के कार्यों में हो रही धान्धलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. श्रीगंगानगर, 'सुगम की शिकायत नं. 2013 SUGAM-GANG-71' के जवाव में विकास अधिकारी रायसिंहनगर एवं ग्राम सचिव सतजन्डा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)

113. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न ग्रामों में सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

115. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में नरेगा कार्यों में पक्के निर्माण कार्य की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. पंचायत राज संस्थाओं द्वारा पक्के निर्माण कार्य संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

117. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्राम पंचायत का पुनर्गठन कर नवीन ग्राम पंचायतें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तानों की

चारदीवारी बनाने एवं टीन शेड लगाने तथा पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

119. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में नरेगा में पक्के कार्यों को करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

120. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में मेवात विकास बोर्ड द्वारा जिला परिषद में भेदभाव पूर्ण अनुमोदन करवाने व स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने में देरी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में नरेगा योजना में स्वीकृत ग्रेवल सड़कों को पूर्ण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की पंचायत समिति कोटकासिम व किशनगढ़ बास में कर्मचारियों व अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

1. ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे एवं स्नातक युवाओं को निजी क्षेत्र में लगे उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. ग्रामीण रोजगार के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. मनरेगा में ग्रामीण बेरोजगारों को कृषि भूमि के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

4. विधान सभा क्षेत्र भीम में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

5. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, सभी गांवों में रोजगार न मिलने, काम मिलने एवं मजदूरी कम मिलने की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नरेगा मजदूरों को काम देने एवं 6 नम्बर फार्म भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

7. छोटे व सीमान्त किसानों की कृषि भूमि की निंदाई, कटाई एवं गटाई नरेगा योजना में कराकर बेरोजगारी को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

8. प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं न्यूनतम मजदूरी दर को महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

9. विधान सभा क्षेत्र नगर में मनरेगा के तहत कम काम स्वीकृत होने से

गांवों के गरीबों के रोजगार व विकास में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

10. प्रदेश के ग्रामों में स्वरोजगार के कम अवसर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. मनरेगा में घटते बजट से बेरोजगारी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. स्वरोजगार के लिए वर्तमान में वित्तीय व्यवस्था की प्रक्रिया में गांवों के गरीब लोगों की कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

14. ग्रामीण क्षेत्र में सभी जोबकार्ड धारकों को मनरेगा में सौ दिन रोजगार उपलब्ध नहीं कराने व उन्हें रोजगार भत्ता नहीं देने से उत्पन्न स्थति पर चर्चा के लिये।

15. सभी ग्राम पंचायतों में निर्मित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगारोन्मुखी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. ग्रामीण रोजगार हेतु छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धन्धे गांवों में नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त सहायक रोजगारों को स्थाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सभी विकास निर्माण कार्य स्थानीय बेरोजगारों से नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

19. राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत मजदूरों की दैनिक मजदूरी में कटौती कर 100/- रुपये प्रतिदिन से कम मजदूरी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

20. प्रदेश में बरसाती पानी के संग्रहण हेतु मनरेगा के तहत बी.पी.एल. के साथ ए.पी.एल. लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. 'मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' पंचायतों में तुरन्त प्रभाव से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रोजगार हेतु मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत 'अपना खेत अपना काम योजना' में समस्त काश्तकारों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. ग्राम पंचायत माजरीकला, गादोज, जठगांवड़ा व अन्य पंचायतों में मनरेगा के कार्य बन्द होने से बेरोजगारी में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) **:**

24. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. महानरेगा में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों को स्थाई नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) **:**

26. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार के नये साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों में विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. ग्रामीण योजना के अन्तर्गत लोक जुम्बिश योजना के कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में संविदा के आधार पर समायोजित करना तथा लम्बे समय से कार्यरत उन कार्मिकों को योग्यता के अनुसार राजकीय सेवा में नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण क्षेत्रों में महानरेगा रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों के कार्यकाल में वृद्धि नहीं करके बार-बार नये कार्मिकों को भेदभावपूर्ण रूप से नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से स्वरोजगार केन्द्र खोले गये हैं इन केन्द्रों में राजसमन्द जिले की गुणवत्ता में कमी एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन के अभाव में इस योजना का बेरोजगार युवाओं को लाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) **:**

31. राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत जिन मजदूरों को 100 दिन का

रोजगार नहीं देने के उपरान्त उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

33. सरकार की अपादर्शी व अदूरदर्शी नीति से ग्रामीण रोजगारों में कमी व मनरेगा कार्यक्रम में 100 दिन की मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

34. प्रदेश में ग्रामीणों को ग्राम्य हथकरघा हस्तशिल्प आदि उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश के ग्रामीणों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

36. राज्य में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में 4 वर्ष की अवधि में ही कई गुना कमी आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत 4 लाख बी.पी.एल. परिवारों की आय में स्थाई वृद्धि करके गरीबी रेखा से ऊपर लाये जाने के लक्ष्यों के सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धि व प्रयासों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी के समकक्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. राज्य में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने व उससे वास्तविक जरूरतमंद को लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

40. रोजगार सहायक व जे.टी.ए. के पद को नियमित किया जाकर कार्यरत

व्यक्तियों को राज्य कर्मचारी के समान वेतन भत्ते देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

41. विधान सभा क्षेत्र मकराना में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 के दौरान वर्षवार टारगेट के अनुरूप बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र मकराना के बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं (केन्द्र प्रत्यावर्ती योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं) में वर्ष 2009 से अब तक लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

43. पंचायत समिति प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत पाल एवं जोलर में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

44. जहाजपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलासिया में महानरेगा के तहत कार्यरत निर्दोष मेटों को बिना जांच कार्यवाही के ब्लेक लिस्टेड कर देने से पुन: मेट नियुक्त कर रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

45. प्रदेश में ग्राम्य हथकरघा और हस्तशिल्प विद्याओं एवं उत्पाद विपणन तकनीकों के प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

46. ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

47. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ग्रामीण रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

49. प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को उद्योग विभाग द्वारा बैंकों एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

50. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

51. ग्रामीण रोजगार के लिए ऋण योजनाओं में अनुदान राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

52. राज्य में मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना में रोजगार देने के लिए बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।